VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365 2024

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

अप्रैल, 2023 से
मार्च, 2024

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

विषय-सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE) 10

1.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 10

1.1.1. कृषि अवसंरचना कोष (AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND: AIF) 10

1.1.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: PM-KISAN) 12

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) 13

2. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS) 16

2.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 16

2.1.1. सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता योजना {Assistance to Medical Device Clusters for Common Facilities (AMD-CF) Scheme} 16

2.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 18

2.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना {PRADHAN MANTRI BHARTIYA JAN AUSHADHI PARIYOJANA (PMBJP) SCHEME} 18

3. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION) 21

3.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 21

3.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) {UDE DESH KA AAM NAAGRIK (UDAN)/ REGIONAL CONNECTIVITY SCHEME (RCS)} 21

4. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) 23

4.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 23

4.1.1. भारतनेट (BHARATNET) 23

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION) 25

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 25

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013} 25

6. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE) 28

6.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 28

6.1.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme} 28

7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MeiTY) 31

7.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 31

7.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME) 31

7.1.2. आईटी. हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) 2.0 FOR IT HARDWARE} 33

8. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE) 36

8.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 36

8.1.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA (PMJDY) - NATIONAL MISSION FOR FINANCIAL INCLUSION} 36

8.1.2. सुकन्या समृद्धि योजना (SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA: SSY) 38

8.1.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (STAND UP INDIA SCHEME) 40

9. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) 42

9.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 42

9.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)} 42

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW) 44

10.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 44

10.1.1. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {AYUSHMAN BHARAT - PRADHAN MANTRI JAN AROGYA YOJANA (AB-PMJAY)} 44

10.1.2. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)} 47

10.1.3. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION: ABDM) 49

11. भारी उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES) 51

11.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 51

11.1.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) {Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS)} 51

12. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS) 53

12.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 53

12.1.1. नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 {CITY INVESTMENTS TO INNOVATE, INTEGRATE AND SUSTAIN 2.0 (CITIIS 2.0)} 53

12.1.2. स्मार्ट सिटी मिशन (SMART CITIES MISSION) 55

12.1.3. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA- URBAN (NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION): DAY-NULM} 57

12.1.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme} 59

12.1.5. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 {SWACHH BHARAT MISSION URBAN 2.0 (SBM-URBAN 2.0)} 61

12.1.6. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA - URBAN (PMAY- U)} 63

13. जल शक्ति मंत्रालय (MINISTRY OF JAL SHAKTI) 66

13.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 66

13.1.1. अटल भूजल योजना (अटल जल) {ATAL BHUJAL YOJANA (ATAL JAL)} ... 66

13.1.2. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {JAL JEEVAN MISSION (JJM): HAR GHAR JAL} 68

13.1.3. नमामि गंगे योजना (NAMAMI GANGE YOJANA) 71

13.1.4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II {SWACHH BHARAT MISSION (GRAMEEN) PHASE-II} 74

14. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT) 77

14.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 77

14.1.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) {ATMANIRBHAR BHARAT ROZGAR YOJANA (ABRY)} 77

14.1.2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PRADHAN MANTRI SHRAM YOGI MAAN DHAN: PM-SYM) 78

15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS) 80

15.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 80

15.1.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम {PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAM (PMJVK)} 80

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES) 82

16.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 82

16.1.1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES: CGMSE) 82

16.1.2. पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME) 84

17. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY) 87

17.1. शुरू की गई नई योजना (NEWLY LAUNCHED SCHEME) 87

17.1.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) 87

18. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS) 89

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 89

18.1.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी {NATIONAL PROGRAMME FOR CIVIL SERVICES CAPACITY BUILDING (NPCSCB)- MISSION KARMAYOGI} 89

19. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS) 91

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 91

19.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 {PRADHAN MANTRI UJJWALA YOJANA (PMUY) 2.0} 91

20. पंचायती राज मंत्रालय (MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ) 93

20.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 93

20.1.1. स्वामित्व योजना (SVAMITVA SCHEME) 93

21. विद्युत मंत्रालय (MINISTRY OF POWER) 95

21.1. शुरू की गई योजनाएं (NEWLY LAUNCHED SCHEME) 95

21.1.1. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR) {MISSION ON ADVANCED AND HIGH-IMPACT RESEARCH (MAHIR)} 95

22. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT) 98

22.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 98

22.1.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 {MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT (MGNREGA) 2005} 98

22.1.2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME: NSAP) 100

22.1.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA: PMGSY) 101

23. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP) 104

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 104

23.1.1. स्किल इंडिया प्रोग्राम (SKILL INDIA PROGRAMME) 104

24. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) 107

24.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 107

24.1.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (MISSION SHAKTI: AN INTEGRATED WOMEN EMPOWERMENT PROGRAMME) 107

24.1.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BETI BACHAO BETI PADHAO: BBBP) 111

24.1.3. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) {SAKSHAM ANGANWADI AND POSHAN 2.0 (MISSION POSHAN 2.0)} 113

25. जनजातीय कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS) 116

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEME IN NEWS) 116

25.1. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PRADHAN MANTRI ADI ADARSH GRAM YOJANA: PMAAGY) 116

26. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (OTHER SCHEMES/INITIATIVES IN NEWS) 119

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
14 मई | 9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

नोट:
पढ़ना आसान बनाने और अभ्यर्थियों को अपने समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस वर्ष भी हम सरकारी योजनाओं के डॉक्यूमेंट के दो सेट जारी करेंगे।

- **2023-24 के दौरान सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं:** इस डॉक्यूमेंट में वे सभी योजनाएं शामिल हैं, जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।
- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव:** इसमें अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए, **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं** डॉक्यूमेंट में सरकारी योजनाओं को आगे दो **उप प्रकारों में वर्गीकृत** किया गया है।

- **हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं:** वे योजनाएं जिन्हें अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक शुरू किया गया था।
- **सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं:** इस श्रेणी में, हमने योजनाओं में किए गए हाल के संशोधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, जो योजना के मूल्यांकन या अवधि के पूरा होने आदि जैसे विविध कारणों से सुर्ख़ियों में थीं।
    - योजना के सुर्ख़ियों में रहने के कारण का अलग से उल्लेख किया गया है।

विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए **इन्फोग्राफिक्स** को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए **QR आधारित स्मार्ट क्विज़** को शामिल किया गया है।

QUIZ SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

LIVE / ONLINE
Classes also Available

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2025, 2026 & 2027

17 MAY, 1 PM | 4 JUNE, 9 AM

GTB Nagar Metro | 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD 20 JUNE	BENGALURU 15 MAY	BHOPAL 21 MAY
CHANDIGARH 5 APRIL	HYDERABAD 10 MAY	JAIPUR 7 MAY
JODHPUR 20 MAY	LUCKNOW 17 MAY	PUNE 5 MAY

- Includes comprehensive coverage of all topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims, CSAT and Essay
- Access to Live as well as Recorded classes on your personal online Student Platform
- Includes Personality Development Programme
- Duration for 2025 Program: 12 months
- Duration of each class: 3-4 hrs, 5-6 days a week (If need arises, classes can be held on Sundays also)

NOTE-Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mall.

Continuous Individual Assessment
Students are provided personalized, specific & concrete feedback and attention through regular tutorials, mini tests and All IndiaTest Series

Read by All, Recommended by All
Relevant & up-to-date study material in the form of magazines compiled by a dedicated team of experts

Personal Guidance Simplified
Receive one-to-one guidance on a regular basis to resolve your queries & stay motivated

All India Test Series
Opted by every 2 out of 3 selected candidates. The VisionIAS Post Test Analysis provides corrective measures and also continuous performance improvement

Never Miss a Class
Technological support to access recorded classes, resources, track your Absolute & Relative performance through your own student portal

Preparation Uninterrupted
Organize all your lectures and study material effectively & access them from anywhere, anytime

/c/VisionIASdelhi | /vision_ias | /visionias_upsc | /VisionIAS_UPSC

1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN

1.1.1. कृषि अवसंरचना कोष (AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND: AIF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के अंतर्गत **'BHARAT' (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन)** नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना तथा निवेश जुटाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक **(NABARD/नाबार्ड)**।
- **योजना की अवधि:** इस योजना के अंतर्गत **वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये** वितरित किए जाने हैं तथा **वित्त वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट के रूप में आर्थिक सहायता** और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी।

उद्देश्य

- यह **फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त-पोषण** सुविधा प्रदान करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** कृषि अवसंरचना कोष (AIF) को मई 2020 में केंद्र द्वारा घोषित **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- **पात्र लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - किसान,
  - प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS),
  - किसान उत्पादक संगठन (FPOs),
  - स्वयं सहायता समूह (SHGs),

- राज्य एजेंसियां/ कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs)

- **वित्तीय सहायता**
  - इसके तहत **बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ** प्रदान करेंगे।
  - **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण के लिए **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत क्रेडिट गारंटी** कवरेज प्रदान करना।

- **पात्र सामुदायिक परिसंपत्ति परियोजना**
  - निर्यात क्लस्टर्स सहित **फसलों के क्लस्टर्स के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना** उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गई परियोजनाएं।
  - ऐसी परियोजनाएं जिन्हें **केंद्र/ राज्य/ स्थानीय निकायों या उनकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
  - **जैविक आदान (इनपुट)** उत्पादन; **बायो स्टिमुलेट** उत्पादन इकाइयां तथा स्मार्ट और प्रिसीजन कृषि के लिए **अवसंरचना।**

- **प्रबंधन और निगरानी**
  - यह कार्य ऑनलाइन **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म** के जरिए संपन्न किया जाता है।
  - **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां** रियल-टाइम निगरानी एवं प्रभावी फीडबैक प्रदान करती हैं।

- **BHARAT अभियान के बारे में**
  - **BHARAT अभियान को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया है-**
    - लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना;
    - कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच **प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार** करना आदि।

- **लाभ**
  - **किसानों के लिए:** फसल की कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होने और बिचौलियों की संख्या कम होने से वे बाजार में अपनी उपज बेहतर दाम में बेच सकेंगे।
  - **सरकार के लिए:** वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं के लिए **सीधे प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण** देने में सक्षम होगी। इससे **कृषि-उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलेगा।**
  - **उपभोक्ताओं के लिए:** उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिल सकेंगे।

1.1.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: PM-KISAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पी.एम.-किसान के तहत **16वीं किस्त** की राशि जारी की।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **योजना का लक्ष्य: अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स)** की खरीद के लिए सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं और उनकी **घरेलू व्यय आवश्यकताओं** की पूर्ति करना।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर **सभी भूमि-धारक किसान।**
- **योजना के लाभ:** इसके तहत पात्र किसानों को **प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये** दिए जाते हैं।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य **सभी पात्र भूमि-धारक किसान परिवारों को आय सहायता** प्रदान करना है। **परिवार** की परिभाषा में **पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे** शामिल हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **अनिवार्य भू-अभिलेख/ स्वत्वाधिकार (Land records):** इस योजना का लाभ केवल **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** इसके अपवाद हैं- **वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड,** जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं।
- **लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान:** इनकी पहचान **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
- **स्व-पंजीकरण तंत्र: मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में जाकर पंजीकरण** करवाया जा सकता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): पी.एम.-किसान के सभी** लाभार्थियों को किसान

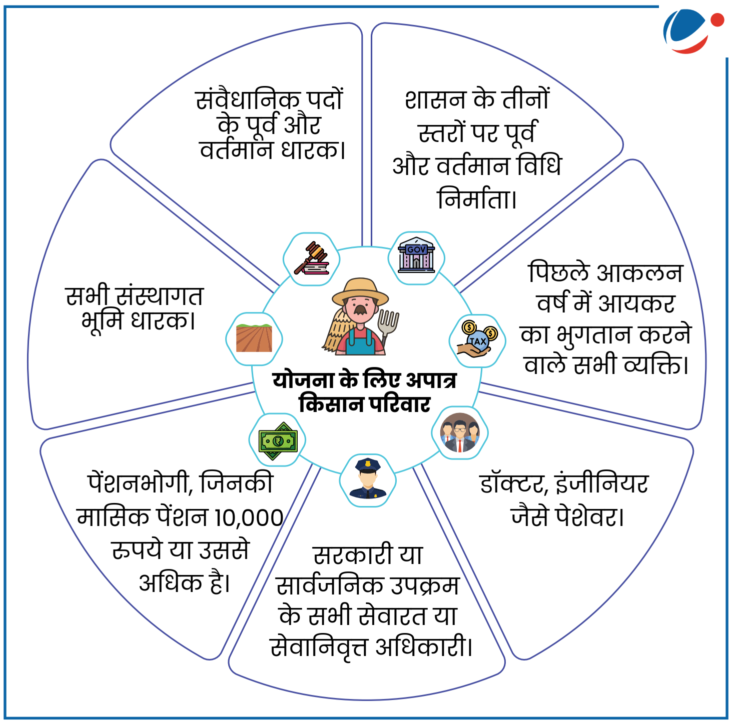

क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे। **KCC के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।

- **ऋण से प्राप्त राशि के प्रयोजन से इतर उपयोग या दुरुपयोग की रोकथाम:** हर साल 5 प्रतिशत लाभार्थियों का **भौतिक सत्यापन** मॉड्यूल, **आधार प्रमाणीकरण** और **आयकर दाता सत्यापन।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit: PMU):** PMU को **केंद्रीय स्तर** पर स्थापित किया गया है। यह योजना की **समग्र निगरानी** के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें योजना का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए एक **समर्पित** PMU स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं।
- **शिकायत निवारण:** निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को **दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया** जाना चाहिए।
- **योजना के लिए अपात्र किसान:** ऐसे किसान **जिनकी आय अधिक है,** वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रालय ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का **डिजीक्लेम नामक डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल** लॉन्च किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का लक्ष्य:** फसल की **बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक** व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना की प्रकृति:** यह एक मांग आधारित योजना है तथा राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है।
- **लाभार्थी:** सभी किसान (बंटाईदार और काश्तकार सहित) इस योजना के लिए पात्र हैं

उद्देश्य

- फसल हानि/ क्षति का सामना करने वाले **किसानों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना, उनके लिए **स्थिर आय सुनिश्चित करना तथा कृषि क्षेत्रक में ऋण प्रवाह** सुनिश्चित करना;
- **नवोन्मेषी और आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं फसल विविधीकरण** को अपनाना आदि।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS के स्थान** पर लाया गया है।

- **हालांकि, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS)** को जारी रखा गया है।
  - RWBCIS **मौसम संबंधी मापदंडों को फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी"** के रूप में उपयोग करता है, ताकि किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।

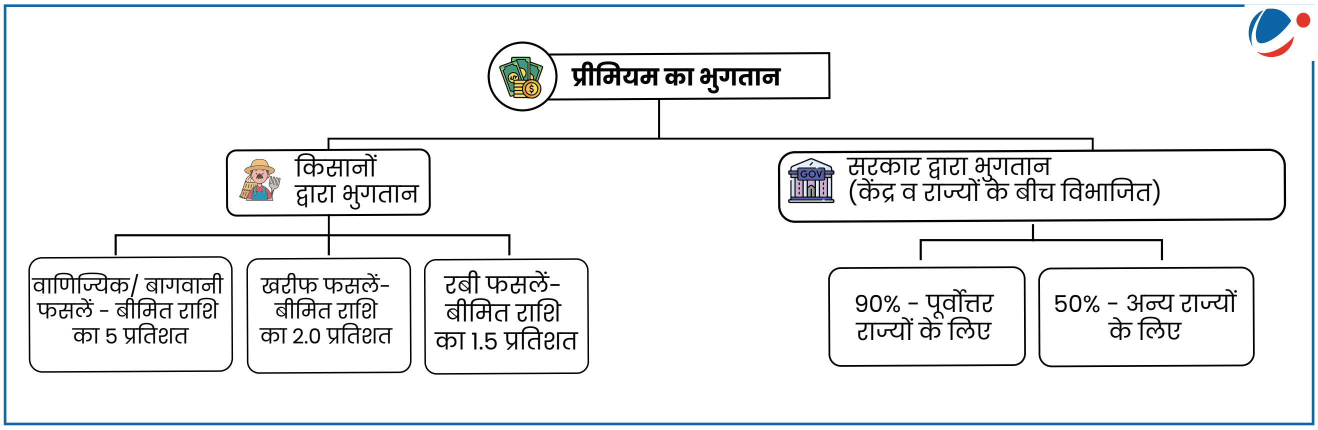

- **रबी और खरीफ की कवर की गई फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन।
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (Actuarial Premium Rate: APR),** जो भी कम हो, के रूप में किया जाता है।
  - APR, बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।
- **फसल की कुल बीमित राशि:**
  - **MSP वाली फसलें:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश या तो प्रति इकाई खेती वाले क्षेत्र में फसल उगाने के लिए निर्धारित **आवश्यक वित्त (स्केल ऑफ फाइनेंस)** या MSP पर परिकल्पित **औसत उपज के जिला स्तर मूल्य** का चयन कर सकते हैं।
  - **बिना MSP वाली फसलें:** इसे **फार्म गेट प्राइस** (किसानों को उनकी फसलों के लिए उनके इलाके में मिलने वाले मूल्य) के आधार पर तय किया जाता है।
- **जोखिम का कवरेज और अपवर्जन**
  - **मूल कवरेज (अनिवार्य):** सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन जैसे **गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों** के कारण **उपज हानि** (बुवाई से कटाई तक) को कवर किया जाएगा।
  - **ऐड-ऑन कवरेज (राज्यों का विवेकाधिकार):** बुवाई/ रोपाई/ अंकुरण से संबंधित जोखिम आदि से बचने के लिए कवरेज।
  - **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और परमाणु जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा रोकथाम योग्य अन्य जोखिमों से हुए नुकसान को कवर नहीं किया जाएगा।
- **अन्य प्रावधान**
  - क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात् '**बीमा इकाई (IU)**' में सभी किसानों को समान जोखिम का सामना करना पड़ता है।
  - **आधार** का होना अनिवार्य है।
  - राज्य **अपनी बीमा कंपनियां** स्थापित कर सकते हैं।
  - बीमा कंपनियों को **3 वर्ष के लिए व्यवसाय का आवंटन** किया जाएगा।
- **कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम**

- बोली प्रक्रिया के जरिए **बीमा कंपनियों के चयन के लिए अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है;**
- **तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल्स को शामिल किया गया है:** लाभ और हानि साझाकरण, कप एंड कैप (60-130), कप एंड कैप (80-110)। इसके तहत **यदि कोई दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा।**
- **CROPIC:** फसलों के रियल टाइम पर्यवेक्षण और फोटो का संग्रह।

- **PMFBY के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें**
  - **डिजीक्लेम:** डिजीक्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के जरिए आंकलन** किया जाता है। इसके बाद **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** का उपयोग करके **किसानों के खातों में भुगतान** किया जाता है। इसकी निगरानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।
    - **किसान डिजीक्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते हैं।** केवल भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की ही इस तक पहुंच है।
    - हालांकि, दावों के निपटान पर किसान को एक लिंक के साथ एक SMS भेजा जाता है। इससे किसान अपने दावों के भुगतान की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम्स (WINDS) पोर्टल:** यह एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म है। यह तालुका/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित **मौसम स्टेशंस एवं रेन गेजस द्वारा एकत्र किए गए अति स्थानीय मौसम संबंधी डेटा को होस्ट, मैनेज व प्रोसेस** करता है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आंकलन व निर्णय निर्माण में सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) मैनुअल:** यह एक तकनीक संचालित उपज अनुमान प्रणाली है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन करने के लिए विधियां, सर्वोत्तम पद्धतियां और एकीकरण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- **डोर टू डोर नामांकन ऐप AIDE/ सहायक:** इसका उद्देश्य योजना की पहुंच को बढ़ाना है।
- **फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्सर्वेशंस (FASAL) परियोजना** शुरू की गई है।
- **कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA):** इसे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के जरिए कृषि से संबंधित जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु आरंभ किया गया है।
- **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS):** इसे कृषि सूखे के आकलन के लिए शुरू किया गया है।
- **इसरो का भू-प्लेटफॉर्म 'भुवन':** यह प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम से संबंधित डेटा प्रदान करता है।

2 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

2.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

2.1.1. सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता योजना {Assistance to Medical Device Clusters for Common Facilities (AMD-CF) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता (AMD-CF) योजना को **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023** के साथ शुरू किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक।
- AMD-CF **योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:**
  - सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता; और
  - परिक्षण सुविधाओं की लिए सहायता।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

- **वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स** को मजबूत करना। साथ ही, चिकित्सा उपकरणों के लिए **अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना।**

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं

- **सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता : सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना।**
  - **आर्थिक प्रोत्साहन**
    - » आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो,** होगी।

- » **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **20 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।
- परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए **चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयों** द्वारा क्लस्टर्स में **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** का गठन किया जाएगा।
  - » SPV के सदस्य के रूप में कम-से-कम **5 चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयों** को शामिल किया जाएगा।
  - » **राज्य सरकारें** भी क्लस्टर्स को बढ़ावा दे सकती हैं।
- एकल विनिर्माण इकाई **SPV में 40%** से अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। **चिकित्सा उपकरण उद्यमों** के पास SPV की कम-से-कम **51% इक्विटी** होनी चाहिए।

- **परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता:** गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
  - **आर्थिक प्रोत्साहन**
    - » आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो,** होगी।
    - » **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **5 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।
- चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरणों सहित वर्ग A, B, C और D चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने या उनकी क्षमता बढ़ाने में रुचि रखने वाली कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की **सरकारी या निजी संस्थाएं इसके लिए पात्र** हैं।
  - » भारतीय कानून के तहत ऐसी वैध संस्थाओं के लिए इस घटक के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु उपयोग की जाने वाली निधियों के लिए एक **अलग खाता खोलना** होगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023	
विज़न	**रणनीति**
• **रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण** को अपनाते हुए तेजी से विकास करना। • **अगले 25 वर्षों में विस्तारित वैश्विक बाजार में 10-12% हिस्सेदारी हासिल** करना। साथ ही, चिकित्सा उपकरणों के **विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता** का दर्जा प्राप्त करना। • चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक को **मौजूदा 11 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 50 बिलियन डॉलर** तक पहुंचाने में मदद करना।	• विनियमों को सुसंगत बनाना, • अवसंरचना को सक्षम बनाना, • अनुसंधान व विकास एवं नवाचार को सुविधाजनक बनाना, • इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना, • मानव संसाधन का विकास करना, • ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना आदि।

2.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

2.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना {PRADHAN MANTRI BHARTIYA JAN AUSHADHI PARIYOJANA (PMBJP) SCHEME}

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के संचालन की अनुमति दी गई है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** आम नागरिकों को **किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां** उपलब्ध कराना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **खुदरा बिक्री केंद्र:** PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

अन्य उद्देश्य

- **गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना,** ताकि दवाओं पर होने वाले अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इस प्रकार **प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को भी कम** किया जा सकेगा।
- शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना,** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2015 में, 'जन औषधि योजना' को **'प्रधान मंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY)** के रूप में बदल दिया गया था। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दे दिया गया था।
- **PMBJP केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन**
  - PMBJP केंद्र मालिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये है। यह मासिक खरीद के **15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह उच्चतम सीमा** के अधीन है। यह प्रोत्साहन अप्रैल 2021 से लागू है।
  - **नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों** (पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों) में खोले गए PMBJP केंद्रों या **महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC एवं ST** द्वारा खोले गए PMBJP

केंद्रों को फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के लिए अधिकतम **2 लाख रुपये** का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

- **PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद**
  - इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं-
    - » रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए **विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा**
    - » **सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों** (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) **को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण।**
- **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:**
  - दवाएं केवल **विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा CE प्रमाणित** आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
  - दवाओं को **'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL)** द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
  - उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की परख और घुलनशीलता आदि के संदर्भ में **लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से तुलना** की जाती है।
  - **SAP आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन** और पूर्वानुमान प्रणाली।
  - दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए **विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने/ प्रतिबंधित** करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही, देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है।
- **PMBI:** इसे फार्मा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) द्वारा **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी** के रूप में स्थापित किया गया है।
- **योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें**
  - **जन औषधि 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन:** सैनिटरी नैपकिन **1 रुपया प्रति पैड** की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य **"स्वच्छ भारत और हरित भारत"** के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड **ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के हानिकारक नहीं** होते हैं।
  - **जन औषधि सुगम ऐप:** यह **गूगल मैप के जरिए आस-पास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने, उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने** आदि की सुविधा प्रदान करता है।

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3 नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

3.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

3.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) {UDE DESH KA AAM NAAGRIK (UDAN)/ REGIONAL CONNECTIVITY SCHEME (RCS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना–उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:**
  - देश के दूर-दराज वाले व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से वहनीय यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना;
  - संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और
  - जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **एयरलाइंस को सहायता:** यह सहायता **रियायतों और व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF)** के रूप में प्रदान की जाएगी।
- **योजना की अवधि: 10 वर्ष।**

अन्य उद्देश्य

- इसका उद्देश्य **टियर-II और टियर-III शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा हवाई संपर्क की सुविधा** प्रदान करना है। 'उड़ान' विज़न का पालन करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना भी इसका एक उद्देश्य है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016** के तहत शुरू किया गया है।
  - NCAP का लक्ष्य एक **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)** स्थापित करना है। इसका उद्देश्य **वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी** को बढ़ावा दिया जाएगा।

- उड़ान योजना को छोटे शहरों को आपस में जोड़ने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु अल्पसेवित (Underserved)/ असेवित (Unserved) हवाई अड्डों पर हवाई परिचालन को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **रियायती दरों पर सीटों की उपलब्धता**
  - 500 कि.मी. से 600 कि.मी. की दूरी के लिए **प्रति सीट हवाई किराया 2500 रुपये** निर्धारित किया गया है। हालांकि, उड़ान योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किराए की ऊपरी सीमा में समायोजन किया जा सकता है।
  - एयरलाइंस को 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 सीटें) रियायती दरों पर उपलब्ध करानी होती हैं।
- **क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड (RCF):** यह एक **स्व वित्त-पोषण तंत्र की सुविधा** प्रदान करता है। इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें/ VGF प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ानों पर **प्रति प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।
- **मांग और बाजार आधारित मॉडल:**
  - यह **योजना केवल उन राज्यों और हवाईअड्डों/ एयरोड्रम/ हेलीपैड्स के लिए** उपलब्ध है, जो **योजना हेतु आवश्यक रियायतें प्रदान करके योजना के प्रति प्रतिबद्ध** हैं तथा सहायता प्रदान करते हैं।
  - **राज्य सरकारों** द्वारा **निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमान पत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि** आदि प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- **एयरलाइंस को समर्थन/ सहायता:** शुल्क से प्राप्त की गई राशि के ज़रिए VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। VGF का शेष 20% हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 10% है।
- **मार्गों के चयन में लचीलापन:** एयरलाइन ऑपरेटर उन **क्षेत्रीय मार्गों का प्रस्ताव** प्रस्तुत करते हैं, जिनके संचालन में वे रुचि रखते हैं और VGF चाहते हैं।

'उड़ान (UDAN)' योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख पहलें

लाइफलाइन उड़ान

कोविड-19 महामारी से निपटने के क्रम में भारत सरकार ने देशभर में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए **"लाइफलाइन उड़ान"** शुरू की थी।

कृषि उड़ान

इसका उद्देश्य **कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना** है, ताकि अपने कृषि उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (IACS)

नागर विमानन मंत्रालय ने IACS की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर उनकी सहायता** करना है।

4 संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

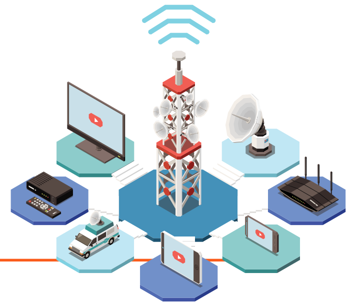

4.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

4.1.1. भारतनेट (BHARATNET)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रालय के अनुसार, देश में भारतनेट परियोजना के तहत **2.1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा** के लिए तैयार किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** देश की सभी ग्राम पंचायतों को **लास्ट माइल कनेक्टिविटी** प्रदान करना।
- **वित्त-पोषण:** सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) के जरिये।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क** (2022 में BSNL के साथ इसका विलय कर दिया गया)।

उद्देश्य

- डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने के लिए देश की सभी **ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को 100 Mbps बैंडविड्थ की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

भारतनेट योजना के 3 चरण:

भारतनेट: चरण-I	भारतनेट: चरण-II	भारतनेट: चरण-III
वर्ष 2011 में, **नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN, अब भारतनेट)** का सृजन किया गया था। यह प्रखंड मुख्यालयों (BHQs) को **ग्राम पंचायतों (GPs) से जोड़ने पर** केंद्रित था। इसके लिए BSNL, रेलटेल और PGCIL जैसे **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम** (CPSUs) **के मौजूदा फाइबर का उपयोग** किया गया था।	इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए **मीडिया के दक्ष माध्यम** (OFC, रेडियो और **सैटेलाइट**) प्रदान करता है। विविध कार्यान्वयन मॉडल हैं जैसे- **राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्रक मॉडल और CPSU मॉडल।**	**अत्याधुनिक नेटवर्क** के लिए **भविष्य में नेटवर्क की प्रूफिंग** व्यवस्था आदि।

- इस योजना के **तीसरे चरण को निम्नलिखित तीन चरणों में लागू** किया जा रहा है। इस चरण को 2025 तक लागू किया जाएगा-
  - **चरण 1:** भारतनेट के पहले चरण के तहत **1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार** किया गया था।
  - **चरण 2: 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से 71,000 से अधिक** ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
  - **चरण 3:** अत्याधुनिक, भविष्य के लिए तैयार **नेटवर्क।**
- **एप्रोच:**
  - योजना के कार्यान्वयन लिए **ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (Village Level Entrepreneurs: VLEs) के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन** प्रदान किया जा रहा है। VLEs **50:50 के अनुपात में राजस्व-साझाकरण के आधार पर घरों तक फाइबर कनेक्शन** पहुंचाएंगे। VLEs को उद्यमी के नाम से जाना जाता है।
  - BBNL द्वारा VLEs को राउटर और अतिरिक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल सहित आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- **सैटेलाइट कनेक्टिविटी:** भारतनेट परियोजना के तहत **जीसैट-11 और जीसैट-19** के जरिए लगभग 6,700 दुर्गम ग्राम पंचायतों/ क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा जाएगी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों का किसी अन्य माध्यम से जुड़ाव नहीं रहा है।
- **अन्य सुविधाएं :**
  - **राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना:** यह नेटवर्क एक **राष्ट्रीय संपत्ति** बना रहेगा। इसके संचालन और रख-रखाव का काम राज्यों द्वारा किया जा सकता है।
  - **निजी क्षेत्र का लाभ उठाना:** संचालन, रख-रखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल।
  - अब **ब्रॉडबैंड/ इंटरनेट सेवाओं के लिए** निर्मित अवसंरचना के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। **वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन आदि की सहायता** से इसका लाभ उठाया जाएगा।
- **अन्य लाभ:** इस परियोजना के जरिए ग्रामीण भारत में **ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस,** G2C, B2B, P2P, B2C आदि सुगम होंगे। साथ ही, मौसम, कृषि और अन्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होंगी।

5 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने NFSA के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को 1 जनवरी, 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा** दिया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** देश की आबादी का **67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) हिस्सा।**
- **लाभार्थी परिवारों की पहचान:** वित्त वर्ष 2011-12 के लिए **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डेटा** के आधार पर।

योजना के अन्य उद्देश्य

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान** करना। सब्सिडी वाली दरों यानी सब्सिडीकृत मूल्य को ही **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **लाभ:** लाभार्थियों को **क्रमशः 1, 2 व 3 रुपये प्रति किलोग्राम के केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर सब्सिडीकृत दरों पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज** उपलब्ध कराया जाता है।
- **लाभार्थियों की श्रेणियां**
  - प्राथमिकता वाले परिवार (PHHs); तथा

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार।
- **प्राथमिकता वाले परिवारों (PHHs) को 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह** खाद्यान्न दिया जाता है।
- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार** (सबसे गरीब परिवार) **प्रति माह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न** के हकदार हैं।
  - » इसके अतिरिक्त, AAY परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से प्रति परिवार **प्रति माह एक किलोग्राम चीनी** भी प्राप्त होती है।
    - केन्द्र सरकार योजना के भागीदार राज्यों के **AAY परिवारों को चीनी के लिए 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की सब्सिडी** देती है।
    - राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **वितरण लागत वहन** करते हैं। इसमें **डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी शामिल है।
    - हाल ही में, सरकार ने AAY परिवारों के लिए **चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने** को मंजूरी दे दी है।

NFSA, 2013 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया सुधार

राइस फोर्टीफिकेशन
यह आहार में विटामिन A और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी व पूरक रणनीति है।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं
त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इन्हें कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन
लगभग 20 राज्यों और/ या केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है। इससे आपूर्ति संबंधित रिसाव में कमी आई है।

आधार से जोड़ना
राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से नकली लाभार्थियों में कमी आती है और फर्जी कार्ड खत्म हो जाते हैं।

- **जीवन चक्र दृष्टिकोण (Life cycle approach)**
  - **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM) तथा बच्चे (6 माह-14 वर्ष)।**
    - » **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं** को आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में **कम-से-कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ** प्रदान किया जाता है।
- **अन्य लाभ**
  - **खाद्य सुरक्षा भत्ता:** यह खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है।
  - **शिकायत निवारण तंत्र:** जिला और राज्य स्तर पर स्थापित।
  - **लोक सेवक या प्राधिकारी पर अर्थदंड:** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत के अनुपालन में विफल रहने पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा आरोपित किया जाएगा।
  - **महिला सशक्तीकरण:** घर की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक) को राशन कार्ड जारी किया जाता है।
- **संघीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी:**
  - **केंद्र की जिम्मेदारी:** खाद्यान्न का आवंटन और परिवहन करना तथा FCI गोदामों से उचित मूल्य की दुकान (FPS) तक खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
  - **राज्य की जिम्मेदारी:** प्रभावी कार्यान्वयन जैसे- पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि।

महत्वपूर्ण पहलें

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (PMGKAY)
    - लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों (अर्थात, AAY परिवारों और PHH लाभार्थियों) को **पांच साल** की अवधि के लिए **मुफ्त खाद्यान्न** उपलब्ध कराया जा रहा है।
    - **लाभ:** लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है आदि।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** NFSA के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी **राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी** को लागू करना।
    - प्रवासी लाभार्थी, NFSA के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके **बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण** के जरिए लाभ उठाया जा सकता है।
- **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)**
    - इसे **2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने** के लिए शुरू किया गया है।
    - **लाभार्थी:**
        - » **प्री-स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे** (कक्षा I से पहले) तथा
        - » **कक्षा I से VIII तक के बच्चे।**
    - **शिक्षा मंत्रालय** इसका नोडल कार्यान्वियन मंत्रालय है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**
    - इसे 2017 में शुरू किया गया था और **2022 में इसे 'मिशन शक्ति'** में मिला दिया गया था।
        - » मिशन शक्ति **महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण** के लिए एक अम्ब्रेला योजना है।
    - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** नोडल कार्यान्वियन मंत्रालय है।
    - **यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है।**
    - **लाभार्थी:** अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम-से-कम **19 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)।**
    - **लाभ:**
        - » परिवार के **पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ।**
        - » **जननी सुरक्षा योजना (JSY)** के तहत संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। इस हिसाब से एक महिला को औसतन **6,000 रुपये** मिलते हैं।
        - » **बालिका को सहायता:** PMMVY 2.0 के तहत **दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान** किया जाता है।

6 रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

6.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

6.1.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** जहां देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, वहां लगभग 30 डीप-टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- **घटक:** ADITI योजना के विजेताओं और पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) को अनुदान सहायता।
- **शामिल प्रौद्योगिकियां:** इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक** हैं, लेकिन भारत **में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं** हैं।
- **योजनावधि:** वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- **रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास** को सुविधाजनक बनाना, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।
- **अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करना** और विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) पर निर्भरता को कम करना।
- ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।
- **"टेक्नोलॉजी वॉच टूल"** बनाना और **प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं** का आयोजन करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **ADITI चैलेंज:** प्रत्येक ADITI चैलेंज में अधिकतम **दो विजेताओं के लिए समर्थन** का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को **एक समय में केवल एक ही ADITI चैलेंज में पुरस्कृत** किया जाएगा।
  - ADITI योजना में ADITI की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए iDEX **प्राइम श्रेणी के चैलेंजज़ को शामिल** किया जाएगा। (इन्फोग्राफिक देखें)

- **पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs):** योजना की अवधि के दौरान विशेष विशेषज्ञता वाले लगभग **10 पार्टनर इन्क्यूबेटर्स का नेटवर्क** विकसित किया जाएगा। ये पार्टनर इन्क्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यावसायिक सलाह प्रदान करेंगे।
- **वित्तीय सहायता:**
  - **ADITI विजेताओं को सहायता अनुदान:** हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंधों के लिए **प्रति विजेता 25 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50 प्रतिशत तक अनुदान** दिया जाएगा।
  - **पार्टनर इनक्यूबेटर्स (PIs) को सहायता अनुदान:**
    - » इस परियोजना में **6 प्रमुख उपलब्धियों/ चरणों** को शामिल किया गया है। इनमें से **प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 1,50,000 रुपये** निर्धारित की गई है।
      - ऐसा अनुमान है कि यह भुगतान पार्टनर इन्क्यूबेटर्स को **उनके संबंधित चैलेंज के विजेता की प्रत्येक /चरण की सुविधा/ पूर्णता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।**
    - » इसके अलावा, पार्टनर इनक्यूबेटर्स को **आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित क्रियाकलाप (Activity) के अनुसार निधि भी प्रदान की जाएगी:-**
      - रक्षा क्षेत्रक की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकटवर्ती इलाकों से **स्टार्ट-अप्स/ MSMEs को संबद्ध** करना।
      - उपलब्धि/चरण के आधार पर चैलेंज के विजेताओं के लिए शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान व विकास के माध्यम से **तकनीकी/ वित्तीय यथोचित उद्यम, इन्क्यूबेशन एवं मेंटरशिप समर्थन** को सुविधाजनक बनाना।
      - **विस्तार करने, जागरूकता फैलाने** और अन्य उपायों के तहत नवोन्मेषी इकोसिस्टम को मजबूत करना।
- **ADITI चैलेंज के लिए पात्रता**
  - ऐसे **स्टार्ट-अप्स** जो उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग **(DPIIT) की परिभाषा के दायरे में** आते हैं और **मान्यता प्राप्त** हैं।
  - **कंपनी अधिनियम 1956/ 2013** के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी। इनमें मुख्य रूप से **MSME अधिनियम, 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां** शामिल होंगी।
  - **स्टार्ट-अप/ MSME के रूप में पंजीकृत अलग-अलग नवोन्मेषक।** अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

> **ADITI योजना और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार**
>
> iDEX Innovations for Defence Excellence PM Awardee
>
> ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।
>
> iDEX **रक्षा नवाचार संगठन (DIO) का कामकाजी फ्रेमवर्क है।**
>
> iDEX-DIO, **डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC)** के विजेता (स्टार्ट-अप्स/ व्यक्तियों) को **1.5 करोड़ रुपये** तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि **परियोजना की लागत और स्टार्ट-अप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार** पर दी जाती है।
>
> युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए **iDEX को iDEX प्राइम** के रूप में विस्तारित किया गया है। इसमें सहायता अनुदान को **1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

- **ADITI चैलेंज के लिए चयन की प्रक्रिया**
  - भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ADITI के लिए तैयार फ्रेमवर्क के तहत **चैलेंजज़ के माध्यम से प्रस्ताव** आमंत्रित किए जाएंगे।
  - इसमें चयन **उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति** (High-Power Selection Committee: HPSC) द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व **चैलेंज ओनर, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, अकादमिक/ उद्योग के**

प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक करेंगे।

- **iDEX पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता**
    - **कानूनी स्थिति:** आवेदक इनक्यूबेटर को **भारत में सार्वजनिक, निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। साथ ही, **भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त की हो या कर रहा हो।**
    - **अनुभव:**
        - इनक्यूबेटर को **कम-से-कम 5 वर्षों तक संचालित** होना चाहिए। साथ ही, **कम-से-कम 10 रक्षा-संबंधी स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट या वित्त पोषित** करना चाहिए।
        - इसके द्वारा **पिछले 3 वर्षों में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स इन्क्यूबेट** होने चाहिए। इसके अलावा, इन स्टार्ट-अप्स को रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा 'आवेदन के लिए आमंत्रण' की तारीख तक 'वित्तीय रूप से सक्षम संचालनरत संस्था (A going concern)' के रूप में परिचालन में होना चाहिए।
        - इसने **पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 2 क्षेत्रक-केंद्रित त्वरक कार्यक्रमों** (प्राथमिक रूप से डीप टेक, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, साइबर आदि में) को प्रबंधित किया हो।
    - **संसाधन:** आवेदन करने वाले इनक्यूबेटर के पास इससे संबद्ध स्टार्ट-अप्स के लिए कम-से-कम 25 मेंटर होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **5 रक्षा या एयरोस्पेस क्षेत्रक में लघु व मध्यम उद्यम (SMEs)** होने चाहिए तथा **कम-से-कम 2 निवेश विशेषज्ञ/ निवेशक** होने चाहिए।
    - **नेटवर्किंग:** ADITI के विजेताओं का समर्थन करने के लिए पार्टनर इन्क्यूबेटर्स के पास पर्याप्त बाह्य सहायता प्रणाली होनी चाहिए। बाह्य सहायता प्रणाली से तात्पर्य **उद्योग, शिक्षा जगत व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग** से है।
- **निगरानी:** रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा पार्टनर इंक्यूबेटर्स के माध्यम से अनुदान के उपयोग और प्रगति की **निगरानी** की जाएगी।
    - **DIO एक कंपनी है।** इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत निगमित किया गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) इसके खातों का **ऑडिट** कर सकता है।
    - DIO का गठन **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने** संयुक्त रूप से किया है।
- **योजना का मूल्यांकन:** योजना में बने रहने के लिए नए मूल्यांकन/ संशोधन से पहले **वित्त वर्ष 2025-26 में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन** की व्यवस्था की जाएगी।
- **टेक्नोलॉजी वॉच टूल:** इसे आधुनिक **सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं तथा रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच अंतर को समाप्त करने** के लिए विकसित किया जाएगा।

7 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MeiTY)

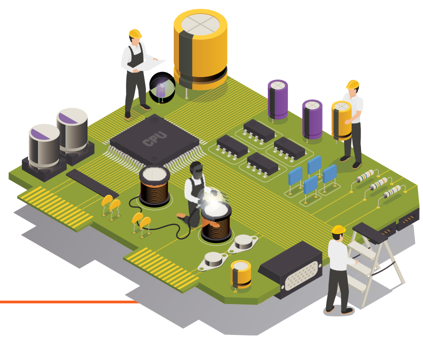

7.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

7.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने पांच साल **(वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक)** की अवधि के लिए **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार हेतु** 14,903 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।
- **योजना की प्रकृति:** यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो मंत्रालयों और विभागों की कई अलग-अलग ई-गवर्नेंस पहलों** को एक साथ जोड़ता है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी का लाभ उठाना:** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **कार्यान्वयन:** सभी मंत्रालयों द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें **समन्वय** का कार्य MeiTY करेगा।

उद्देश्य

- **भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।**
- **डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करना** और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि **नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हों।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इसे नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था।**
- यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम** है। इसके अंतर्गत अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की कई परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
  - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मिशन मोड एवं अन्य परियोजनाओं के **कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समग्र रूप से** संबंधित केंद्रीय **मंत्रालयों/ विभागों** एवं राज्य सरकारों की है।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

1. ब्रॉडबैंड हाईवे	4. ई-गवर्नेंस- प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस में सुधार	7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
2. मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच	5. ई. क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी	8. नौकरियों के लिए आई.टी.
3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम	6. सभी के लिए सूचना	9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

- **यह विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - **प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना**
    - » एक कोर उपयोगिता के रूप में **हाई-स्पीड इंटरनेट** उपलब्ध कराना,
    - » **जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान** - विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन, प्रामाणिक
    - » डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रक में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मोबाइल फोन और बैंक खाता,**
    - » कॉमन सर्विस सेंटर तक **आसान पहुंच,**
    - » पब्लिक क्लाउड पर **साझा करने योग्य प्राइवेट स्पेस,**
    - » देश में **सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर-स्पेस**
  - **मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्धता**
    - » विभागों या अधिकार क्षेत्रों में **निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं**
    - » ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए **रियल-टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराना**
    - » सभी नागरिक अधिकार **क्लाउड पर उपलब्ध** होंगे
    - » ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित** करना
    - » वित्तीय लेन-देन को **डिजिटल एवं कैशलेस बनाना**

» निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए **भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) का लाभ उठाना**

- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण**
  - » **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता**
  - » **सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन**
  - » सभी दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे
  - » **भारतीय भाषाओं में सभी डिजिटल संसाधनों/ सेवाओं की उपलब्धता**
  - » सहभागी शासन के लिए **सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म**
  - » क्लाउड के माध्यम से **सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी**

परियोजना प्रबंधन संरचना

निकाय	अध्यक्ष
निगरानी समिति	प्रधान मंत्री
डिजिटल इंडिया	सलाहकार समूह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
शीर्ष समिति	कैबिनेट सचिव

- **डिजिटल इंडिया (DI) पहलों को सक्षम करने वाली प्रमुख एजेंसियां: इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (CCA)
  - सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)
  - रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)
  - कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  - लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)
- **कुछ प्रमुख पहलें:** आधार, कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, CERT-In, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए उत्कृष्टता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि।

7.1.2. आई.टी. हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) 2.0 FOR IT HARDWARE}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **"आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 2.0 योजना"** के तहत 27 विनिर्माताओं को मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश आकर्षित करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **प्रोत्साहन की अवधि:** योजना अवधि **(6 वर्ष)** तक।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)

अन्य उद्देश्य

- घटकों और सब-असेंबली के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करके तथा देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए लंबी अवधि प्रदान करके देश में विनिर्माण प्रणाली को व्यापक बनाना और मजबूत करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 2.0 योजना में PLI - 1.0 की तुलना में प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करते हुए **परिव्यय को दोगुना** कर दिया गया और योजना अवधि बढ़ा दी गई है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 1.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी।
  - इसे **आवेदकों के लिए प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने** के लिए शुरू किया गया है। यह देश में आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए **लंबी अवधि** भी प्रदान करती है।
- **आवेदकों की 3 श्रेणियां:**
  - **वैश्विक** कंपनियां,
  - **हाइब्रिड** (वैश्विक/ घरेलू) कंपनियां
  - **घरेलू** कंपनियां।
- **लक्षित क्षेत्र:**
  - लैपटॉप, टैबलेट,
  - ऑल इन-वन PCs,
  - सर्वर
  - अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF)
  - PIL 2.0 योजना में **सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट विनिर्माण और पैकेजिंग** को प्रोत्साहन वाले घटकों में शामिल किया गया है।
- **पात्र उत्पाद:** भारत में विनिर्मित वस्तुएं और टारगेट सेगमेंट के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पाद। टारगेट सेगमेंट के उत्पादों की बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** आधार वर्ष पर निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग **5% प्रोत्साहन** दिया जाएगा।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** द्वारा की जाएगी।

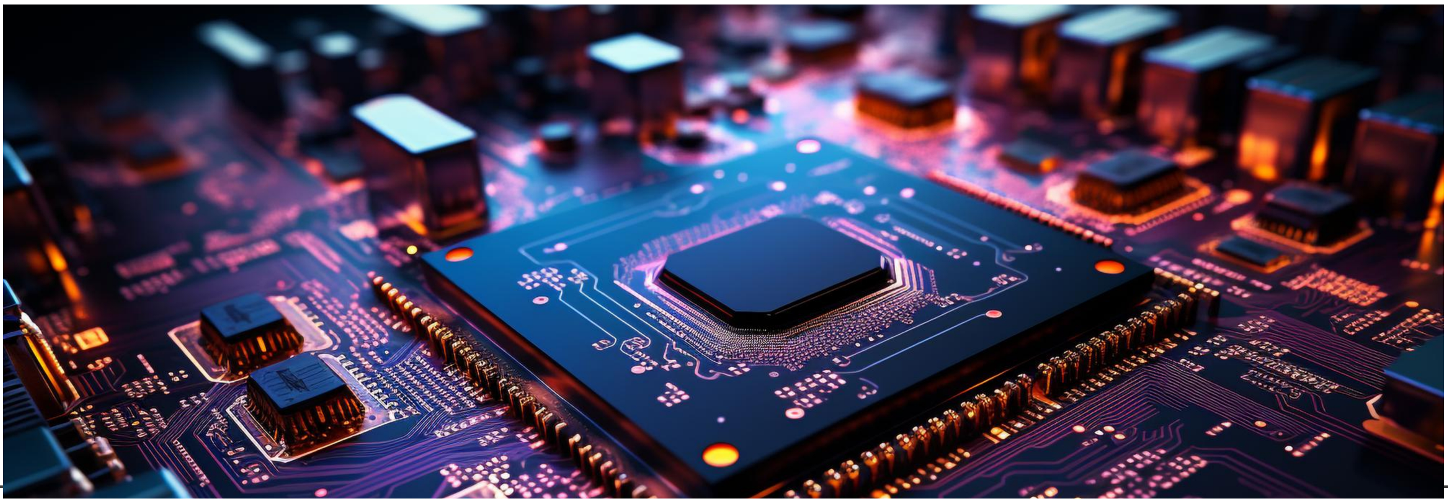

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया **GS** मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु **QR** कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

8 वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE)

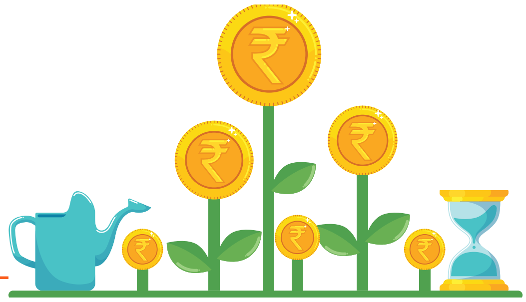

8.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

8.1.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA (PMJDY) - NATIONAL MISSION FOR FINANCIAL INCLUSION}

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के नौ वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** वित्तीय सेवाओं (वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन) तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **ओवरड्राफ्ट:** 10,000 रुपये
- **दुर्घटना बीमा:** 2 लाख रुपये।
- **फोकस:** प्रत्येक ऐसा वयस्क जिसका बैंक में खाता नहीं है।

अन्य उद्देश्य

- वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे 2014 में शुरू किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है।
- **PMJDY के मूल सिद्धांत:**
  - **बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना –** बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, KYC में छूट, e-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज/ शुल्क की सुविधा।
  - **वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना –** मर्चेंट लोकेशन (दुकानों आदि) पर नकद निकासी

और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, साथ में 2 लाख रुपये के निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना,
- **वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना -** सूक्ष्म-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद।

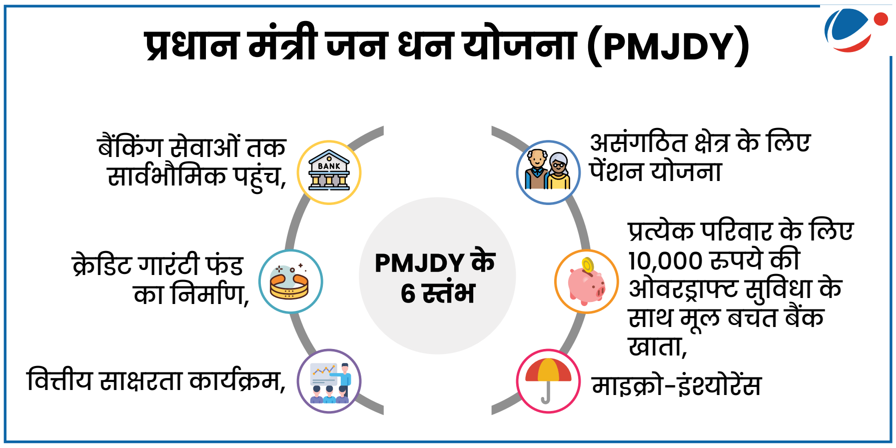

- **अपनाएं गए दृष्टिकोण**
  - **खोले गए नए खाते** अब बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में **ऑनलाइन खाते हैं।**
    - » पहले वेंडर के साथ लॉक-इन प्रौद्योगिकी वाले ऑफलाइन खाते खोले जाते थे।
  - RuPay डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ऑनलाइन **इंटर-ऑपरेबिलिटी के सुविधा।**
  - **फिक्स्ड-प्वाइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट।**
  - KYC की बोझिल प्रक्रियाओं के स्थान पर **सरलीकृत KYC/ e-KYC**
- **रुपे कार्ड बीमा:** 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के लिए रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि:**
  - **प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा (बिना किसी शर्त के) प्राप्त होगी।** गौरतलब है कि योजना के तहत 10000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है लेकिन 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के उपलब्ध है।
  - ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा **65 वर्ष** कर दी गई है।
- **चालू/सक्रिय PMJDY खाते:** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी PMJDY खाते में दो वर्ष से अधिक की अवधि तक ग्राहक कोई लेन-देन नहीं करता है, तो उस खाते को निष्क्रिय माना जाएगा।
- **जन धन दर्शक ऐप: नागरिक केंद्रित प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से** इस मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है। यह देश में **बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों, डाकघर जैसे बैंकिंग टच प्वाइंट्स का पता लगाने में सहायक है।**

PMJDY खाता धारक पात्र होगा:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लिए
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए
- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए
- अटल पेंशन योजना (APY) के लिए

8.1.2. सुकन्या समृद्धि योजना (SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA: SSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च (2024) तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: बालिकाओं के कल्याण** को बढ़ावा देना
- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान** का एक भाग है।
- **लाभार्थी:** बालिका **(एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाएं)**
- **सीमाएं: एक बालिका** के नाम पर **केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।

अन्य उद्देश्य

- **बालिकाओं के लिए एक लघु निवेश विकल्प प्रदान करना,** जिसका उपयोग माता-पिता द्वारा लड़की की शिक्षा और विवाह के खर्चों के भुगतान, आदि के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएं

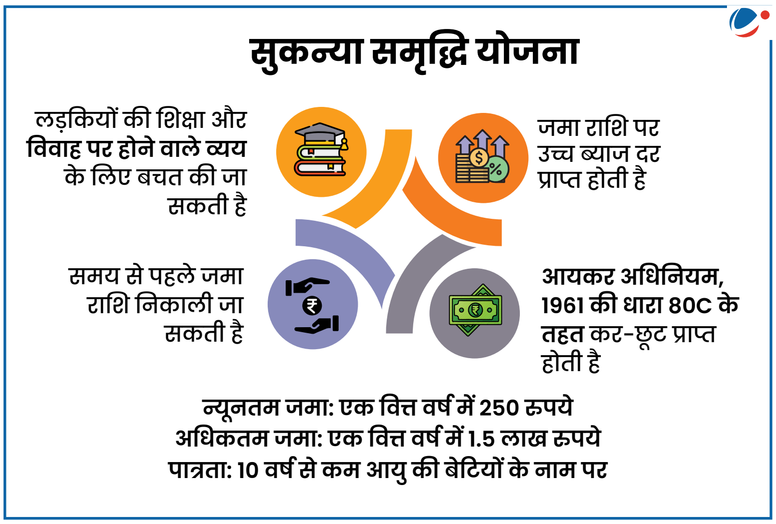

- **खाता खोलना: डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की अधिसूचित शाखाओं** में खाता खोला जा सकता है।
- **प्रति परिवार अधिकतम खाता:** इस योजना के तहत **एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता** और **एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।
  - **जुड़वां/ तीन बच्चों (ट्रिपलेट्स) के लिए छूट: प्रथम या दूसरे प्रसव में** जुड़वाँ या तीन बच्चों **(ट्रिपलेट्स)** के जन्म की स्थिति में दो से अधिक बालिकाओं के नाम पर **सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।।
    - » हालांकि, यदि पहले प्रसव में ही दो से अधिक लड़कियां जन्म लेती हैं, तो जुड़वां/ तीन बच्चों **(ट्रिपलेट्स)** के बाद जन्मी लड़कियां सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- **अकाउंट पोर्टेबिलिटी:** SSY खाते को **भारत में कहीं भी एक डाकघर/ बैंक से दूसरे डाकघर/ बैंक में स्थानांतरित** किया जा सकता है

- **ब्याज दर:** जमा राशि पर ब्याज (सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर) की **गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी** और खाते में जमा की जाएगी।
- **योजना की परिपक्वता: खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद** या जिस बालिका के नाम पर खाता खोला गया है **उसकी शादी होने पर, जो भी पहले हो,** उस समय खाते से राशि निकाली जा सकती है।
- **समय से पहले खाता बंद करना: खाताधारक की मृत्यु** की स्थिति में या जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि खाता जारी रखने से **खाताधारक को अनुचित कठिनाई** हो रही है, उस स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है।
- **समय से पहले निकासी:** बालिका की उम्र 18 वर्ष होने पर उच्चतर शिक्षा उद्देश्यों के लिए संचित शेष राशि का 50% तक परिपक्वता से पहले निकाली जा सकती है।
- **सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अन्य लाभ**
  - 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका स्वयं भी खाते का संचालन कर सकती है।
  - योजना की परिपक्वता पर बालिका को भुगतान किया जाता है।
  - यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो परिपक्वता के बाद भी उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  - भारत में कहीं भी हस्तांतरणीय है।
  - खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में राशि जमा की जा सकती है।
- **खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज**
  - सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म।
  - बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
  - पहचान प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देश के अनुसार)
  - निवास प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2024: 19 MAY
हिन्दी माध्यम 2024: 19 मई

ENGLISH MEDIUM 2025: 19 MAY
हिन्दी माध्यम 2025: 19 मई

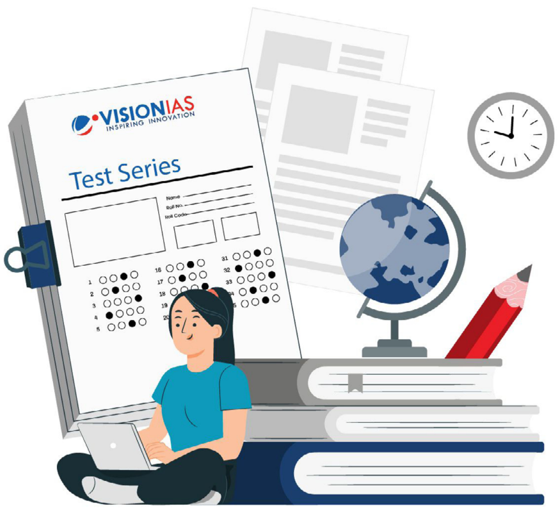

8.1.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (STAND UP INDIA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टैंड-अप इंडिया योजना के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर **प्रधान मंत्री** ने अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में **स्टैंड-अप इंडिया की भूमिका को रेखांकित किया।**

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **कवर किए गए उद्यम:** विनिर्माण, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

योजना के अन्य उद्देश्य

- **कम-से-कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्रक या कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम** स्थापित करने के लिए **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक** ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ऋण देने वाली संस्था:** वाणिज्यिक मानदंडों के अनुसार, **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं ऋण प्रदान करती हैं।**
- **ऋण सुरक्षा: प्राथमिक सुरक्षा** के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए CGFSI की जमानत सुरक्षा (कोलेटरल) या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।
  - **जमानत या कोलेटरल मुक्त कवरेज**
    - जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI) की स्थापना की है।
    - हालांकि, सरकार योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है।
- **ब्याज दर (RoI):** ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा **प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर** होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स

अर्हता और बहिष्करण

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला।
2. ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण
3. गैर-व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम-से-कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
4. उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% परिपक्वता काल (Tenor) प्रीमियम} से अधिक नहीं होगी।

- **ऋण भुगतान: अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम) के साथ ऋण** को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।
- **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर:**
    - **इस योजना में संभावित उधारकर्ताओं को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।**
    - सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे।
- **अन्य योजना के साथ जोड़ना: यह योजना केंद्र/राज्य सरकार की योजना के साथ जोड़ने (कन्वर्जेन्स) का भी प्रावधान करती है।**

स्टैंड-अप इंडिया इकोसिस्टम

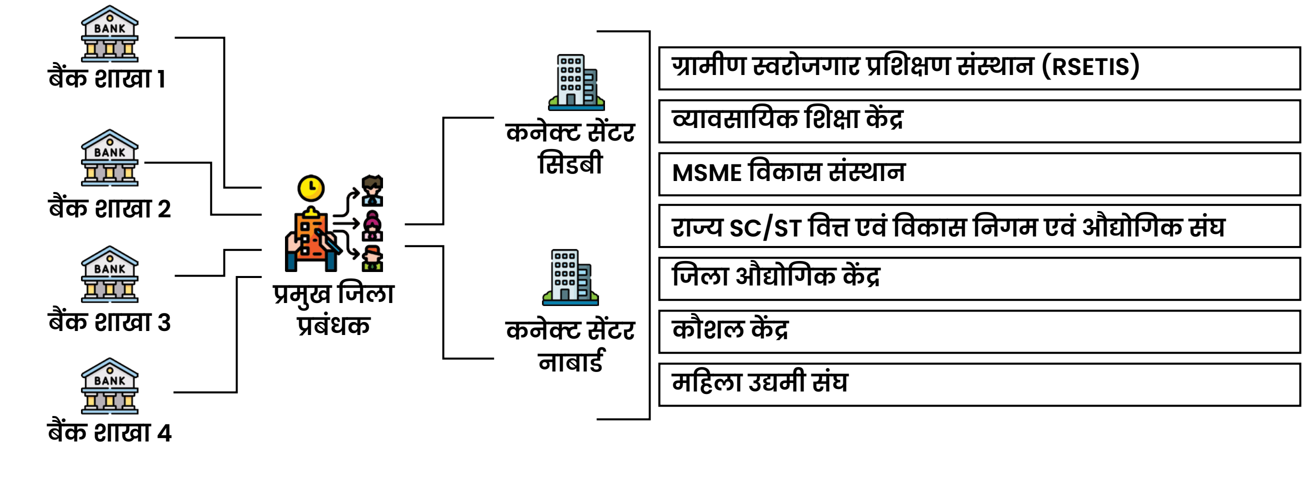

9 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)

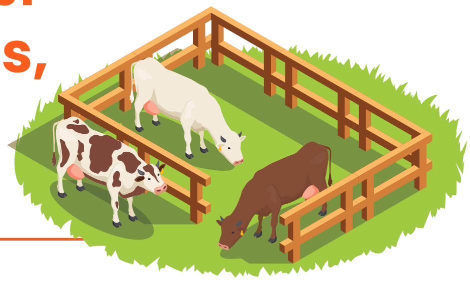

9.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

9.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

PMMSY के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर **मत्स्य सम्पदा जागृति अभियान** की शुरुआत की गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** भारत में मात्स्यिकी क्षेत्रक के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना।
- **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना**
- **दृष्टिकोण:** जहां तक संभव हो, **'क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण'** अपनाया जाना चाहिए
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक

अन्य उद्देश्य

- **मत्स्य पालन की क्षमता का बेहतर तरीके से दोहन करना।**
- **मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना,** फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना।
- मत्स्य **उत्पादन और उत्पादकता को** बढ़ाना।
- **सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन** और विनियामकीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना।
- **मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दोगुना करना** और रोजगार पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **फोकस:** उत्पादन से लेकर उपभोग तक विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना।

- PMMSY के **कुल निवेश का 42% मत्स्य पालन की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण और अपग्रेडेशन** के लिए निर्धारित किया गया है।
- **स्वच्छ सागर योजना:** इसके तहत प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:-
  - **जैव-शौचालय को बढ़ावा देना,**
  - मछुआरों की जहाजों के लिए **बीमा** कवरेज,
  - मत्स्य पालन प्रबंधन **योजनाएं,**
  - **ई-ट्रेडिंग/ मार्केटिंग,**
  - **मछुआरों और संसाधनों का सर्वेक्षण और**
  - **राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित डेटाबेस का निर्माण करना।**
- **ब्रूड बैंकों का राष्ट्रीय नेटवर्क: मुख्य रूप से** गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के स्रोत, चयन, पालन-पोषण और रख-रखाव के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में विशिष्ट/ बहुप्रजातीय ब्रूड बैंकों की स्थापना करना।
- **एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क:** यह नेटवर्क बीमारियों, एंटीबायोटिक दवाओं और अवशेष संबंधी समस्याओं, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के समाधान पर केंद्रित है।
- **एक्वापार्क:** इन्हें एक ही छत के नीचे सुनिश्चित, किफायती, गुणवत्तापूर्ण इनपुट आदि के साथ वन स्टॉप 'पार्क' के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

PMMSY के लक्ष्य

- **मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।**
- **कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में मत्स्यन क्षेत्र के GVA के योगदान को बढ़ाकर 9% करना।**
- **निर्यात संबंधी आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपये करना।**
- **पोस्ट-हार्वेस्ट होने वाले नुकसान में लगभग 10% (वर्तमान में 25%) की कमी करना।**
- **मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना।**

- **केन्द्र प्रायोजित घटक के लिए फंडिंग पैटर्न:** केन्द्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच फंड की हिस्सेदारी 90:10 होगी, जबकि केन्द्र और अन्य राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी 60:40 होगी।
- **प्रमुख पहलें**
  - **मत्स्य संपदा जागृति अभियान: पूरे भारत में पहुंच बढ़ाने और 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी'** सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
  - **रिवर रैंचिंग प्रोग्राम (River Ranching Programme)**
    - इसे भूमि और जल के विस्तार, गहनता के जरिए **मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता** को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
    - **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- **जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) चरण-II:** यह कार्यक्रम जलीय रोगों के प्रसार का **शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन** के लिए शुरू किया गया है।
- **पेनियस इंडिकस (भारतीय सफेद झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम - चरण- I:** इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा स्थापित करना है।

10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW)

10.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1.1. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {AYUSHMAN BHARAT - PRADHAN MANTRI JAN AROGYA YOJANA (AB-PMJAY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) पर एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्यः** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।
- **योजना का प्रकारः** यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लक्ष्यः** 12 करोड़ परिवार (शुरुआत में इसके तहत केवल 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था)
- **घटकः** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

अन्य उद्देश्य

- **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** (रोकथाम, सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए) में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना।
- अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के कारण **गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।** इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमिः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
- **लाभ: अंत में** इन्फोग्राफिक में देखिए।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र**
  - **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य**

केंद्र (HWCs) सृजित किए जाएंगे। ये सार्वभौमिक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हैं।

- **फोकस:** लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।
- **वित्त पोषण:** इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- **पृष्ठभूमि:** पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) का नाम परिवर्तित कर PM-JAY कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**

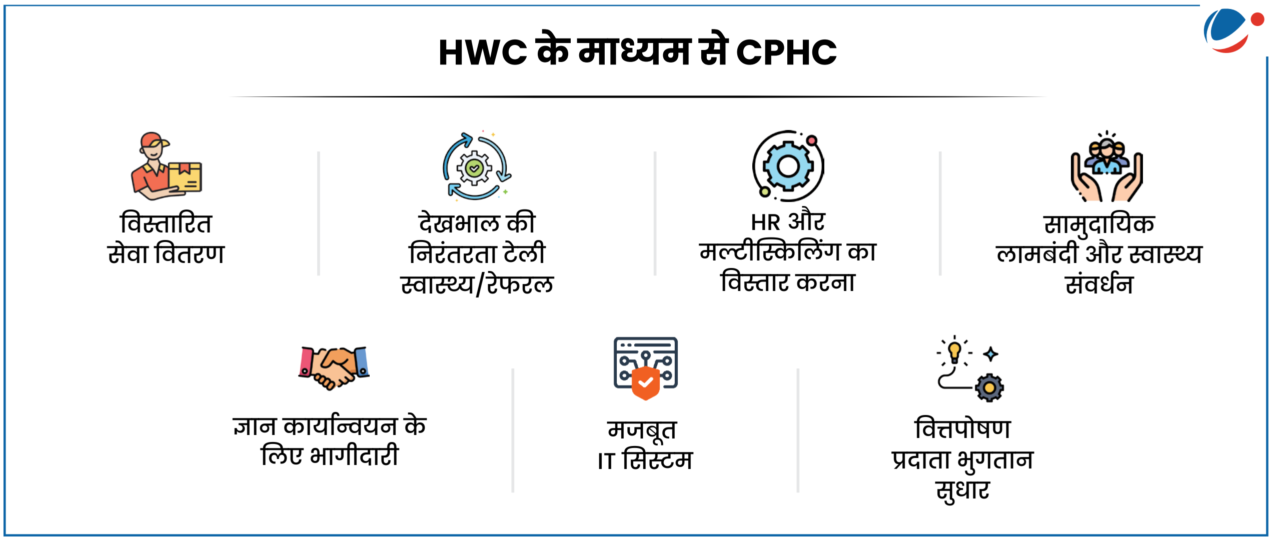

- **लाभार्थी:**
  - इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011)** के माध्यम से की जाएगी।
  - इसके अलावा, वे **परिवार** भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वे सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) का हिस्सा नहीं बने थे।

कार्यान्वयन की 3 विधियां/ तरीके

- **बीमा:** राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है।
- **आश्वासन/ विश्वास:** SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है।
- **मिश्रण:** उपर्युक्त दो का मिश्रण।

कार्यान्वयन एजेंसियां:

- **राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)** एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।
- **राज्य स्तर पर:** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)।
- **जिला स्तर पर:** जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता जिले के DC/ DM/ कलेक्टर द्वारा की जाती है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - **लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके हैं-** आधार आधारित e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे का प्रमाणीकरण।
  - NHA द्वारा जारी की गई **व्हिसल ब्लोअर नीति।**
  - राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए **एंटी-फ्रॉड सेल।**
- **प्रमुख पहलें**
  - **आयुष्मान भव अभियान:** भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज को सुनिश्चित करना है:
    - » आयुष्मान- **आपके द्वार 3.0,**
    - » स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर **आयुष्मान मेले** और
    - » प्रत्येक गांव और पंचायत में **आयुष्मान सभा।**

10.1.2. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (AB-HWCs) का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कर दिया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना जो भविष्य में आने वाली महामारियों/ आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपट सके।
- **योजना का प्रकार: कुछ केंद्रीय क्षेत्रक (CS) के घटकों के साथ केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS)**
- **फोकस: प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक सभी स्तरों** पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने के लिए।
- **अवधि:** वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक छह वर्ष के लिए।

स्मरणीय तथ्य

- **सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** प्रदान करने के लिए **जमीनी स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना।**
- वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों/ स्थानीय महामारियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए **सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना।**
- **लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप** का प्रभावी ढंग से पता लगाना, जांच करना, रोकना और मुकाबला करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना।**
- **कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए वन हेल्थ एप्रोच** की कोर क्षमता विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की शुरुआत 2021 में 'प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना' (PMASBY) योजना के रूप में की गई थी। इसकी अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक छह वर्ष के लिए है। इसका बजट लगभग 64,180 करोड़ रुपये है।
  - यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है।
- **केंद्र प्रायोजित योजना के घटक**
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य:** इस घटक के तहत 7 उच्च फोकस वाले राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) तथा 3 उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर, मेघालय व असम) में अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।

- **शहरी क्षेत्रों में 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर':** इस घटक के तहत देश भर में 11044 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन करना प्रस्तावित है।
- **प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां (BPHU): 11 उच्च फोकस वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों** (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (UT), झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में 3382 BPHU के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **शेष राज्यों के लिए,** स्थानीय सरकारों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अधीन स्वास्थ्य अनुदान के तहत BPHU की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।
  - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, **जिलों में PM ABHIM के तहत प्रस्तावित जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** केंद्र शासित प्रदेशों में प्रखंडों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
- सभी जिलों में **एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।**
- **5 लाख से अधिक आबादी वाले** सभी जिलों में राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/जिला अस्पतालों में **गहन चिकित्सा देखभाल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।**

केंद्रीय क्षेत्रक घटक

- 12 केंद्रीय संस्थानों में **गहन चिकित्सा देखभाल खंड।**
- **आपदा और स्थानीय महामारी से संबंधित तैयारी को सुदृढ़ बनाना:** 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों के लिए सहायता दी जाएगी।
- **संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप अनुक्रिया को मजबूत करना:** 20 महानगर निगरानी इकाइयों, 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रों (NCDCs) एवं सभी राज्यों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- **प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी क्षमता को मजबूत करना:** प्रवेश स्वास्थ्य इकाइयों के 17 नए बिंदुओं के लिए समर्थन और 33 मौजूदा इकाइयों को मजबूत करना।
- **जैव सुरक्षा की तैयारी और वैश्विक महामारी अनुसंधान एवं बहु क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थानों तथा वन हेल्थ के लिए मंच को मजबूत करना:** वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए सहायता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव-सुरक्षा स्तरीय III प्रयोगशालाएं और 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology: NIV)।

10.1.3. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION: ABDM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत **100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट** लॉन्च किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** निरंतरता के साथ देखभाल जारी रखने के लिए **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत** करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।
- **योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है**
- **योजना की अवधि:** 5 वर्ष
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)

अन्य उद्देश्य

- **मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **ABDM के मुख्य तत्त्व**
  - **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप**
    - आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक **14-अंकीय पहचान संख्या।** अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने का एक सुगम तरीका।
    - **ABHA ऐप:** यह मौजूदा भौतिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे कि नैदानिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आदि को स्वतः अपलोड/ स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण:** स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण, चिकित्सा की अलग-अलग प्रणालियों के अंतर्गत **सभी स्वास्थ्य सुविधाओं** का एक व्यापक भंडार है। इसमें **सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं** शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री: सभी स्वास्थ्य पेशेवरों** का एक व्यापक **भंडार** है। **चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों** के लिए उपलब्ध है।
- **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI): अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल** के रूप में कल्पना की गई है।
  - UHI अपॉइंटमेंट, टेली-परामर्श आदि सहित अलग-अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।

* **माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट:**
    * माइक्रोसाइट **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक के हितधारकों** (सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों इत्यादि) के एक समूह को दर्शाता है। ये सभी एक समान विशेषता वाली सेवाओं से परस्पर जुड़े होते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं
        * » एक निर्धारित **भौगोलिक क्षेत्र,**
        * » **साझा स्वामित्व,**
        * » **किसी समान/ साझा संघ/ समूह** आदि का भाग।
    * **विशेष रूप से निजी क्षेत्रक के प्रदाताओं के लिए ABDM को अपनाने में** आने वाली **अनेक चुनौतियों** के समाधान के उद्देश्य से माइक्रोसाइट्स को लागू किया जाता है।
    * माइक्रोसाइट के भीतर **केंद्रित आउटरीच प्रयास ABDM के बारे में जागरूकता** बढ़ा सकते हैं। यह रोगियों और प्रदाताओं दोनों के लिए ABDM के विभिन्न लाभों को दर्शाता है।

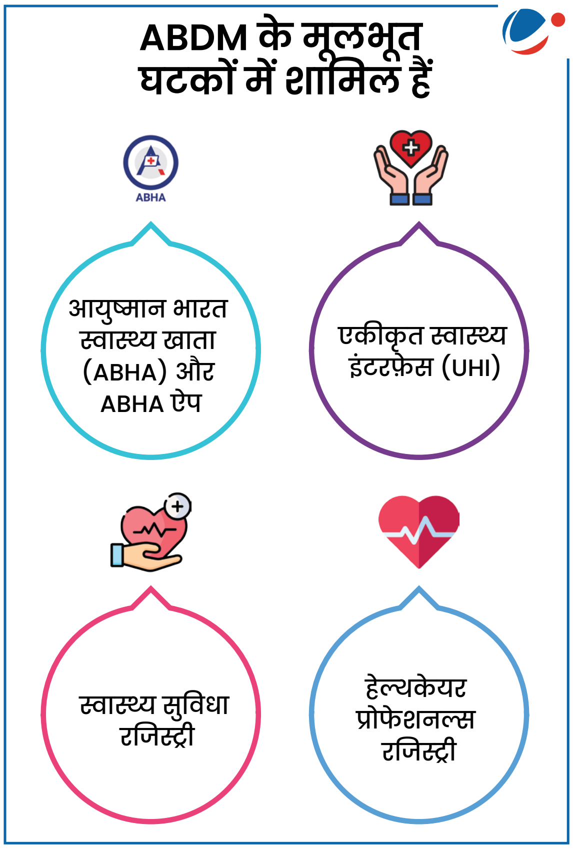

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2024: 19 MAY
हिन्दी माध्यम 2024: 19 मई

ENGLISH MEDIUM 2025: 19 MAY
हिन्दी माध्यम 2025: 19 मई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

11 भारी उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES)

11.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

11.1.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) {Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **फंड सीमित:** योजना के तहत कुल भुगतान 500 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित होगा।
- **योजनावधि:** 4 महीने (1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक)।
- **कार्यान्वयन:** योजना का कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा कराया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- देश में **ग्रीन मोबिलिटी को गति प्रदान करने** और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME-I)** को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था।
    - » इसकी योजनावधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक है।
  - FAME-II को **1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024** की अवधि के लिए आरंभ किया गया था।
    - » FAME-II की अवधि **31 मार्च, 2024** को समाप्त हो गई है। इसी समय EMPS की शुरुआत की गई।
- **योजना के घटक (Components):**
  - **सब्सिडी: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट** का डिमांड प्रोत्साहन।
    - » सरकार द्वारा वाहन की **बैटरी क्षमता** (यानी kWh में मापी गई ऊर्जा सामग्री) के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी।

- » **अत्याधुनिक वाहनों (Very high end vehicles) को सरकारी प्रोत्साहनों** का लाभ उठाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन की **सीमा पूर्व-कारवाई मूल्य के 15 प्रतिशत** पर होगी।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन IEC गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करके किया जाएगा।

डिमांड प्रोत्साहन के लिए योग्यता मानदंड: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को इसके वेरिएंट सहित होना चाहिए

- विनिर्माता से बैटरी सहित व्यापक वारंटी दी जानी चाहिए। साथ ही, वाहन के जीवनावधि के लिए बिक्री के बाद भी सेवा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- भारत में निर्मित किया जाना चाहिए और ऐसे घटकों का स्थानीय विनिर्माण और संयोजन होना चाहिए।
- CMVR में शामिल नियमों के अनुसार प्रकार के प्रमाणन, श्रेणीकरण, वर्गीकरण आदि के लिए प्रावधानों को पूरा करें।
- मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों से EMPS-2024 पात्रता मूल्यांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

- **डिमांड प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें:**
  - मूल उपकरण निर्माता (OEM) को MHI के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और उनके प्रत्येक ईवी मॉडल को MHI द्वारा अनुमोदित करना होगा।
  - प्रत्येक वाहन मॉडल को वाहन दक्षता के संबंध में न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** निर्माता समय के साथ ईवी घटकों के स्थानीयकरण की रूपरेखा तैयार करने वाले PMP दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
- **परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति (PISC):** यह सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति है।
  - इसका गठन समग्र निगरानी, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए किया गया है।
  - इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर/ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के बीच परस्पर आवंटन को बदलने की शक्ति है।
- **राज्य की जिम्मेदारियां:** राज्यों को छूट/रियायती सड़क कर या टोल टैक्स या पार्किंग शुल्क, परमिट से छूट, रियायती पंजीकरण शुल्क आदि सहित राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश करने की आवश्यकता है।
- **अन्य योजनाओं के तहत लाभों पर प्रभाव:** इस योजना के तहत प्रोत्साहन ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग (PLI-ऑटो) के लिए पीएलआई योजना और उन्नत रसायन विज्ञान सेल (PLI-ACC) के लिए PLI योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा।

12 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS)

12.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

12.1.1. नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 {CITY INVESTMENTS TO INNOVATE, INTEGRATE AND SUSTAIN 2.0 (CITIIS 2.0)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन (CITIIS)** परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** कुछ चुने हुए शहरों में **नवीन और टिकाऊ शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन** करना।
- **योजना को बाहरी सहायता:** इस योजना के लिए **फ्रांस और जर्मनी** ऋण सहायता दे रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- **योजना का समन्वय करने वाली संस्था:** राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA)।
- **योजना की अवधि:** चार वर्ष (2023-2027)

अन्य उद्देश्य

- **तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों और शहरों में जलवायु के प्रति संवेदनशील योजनाओं को बढ़ावा देना** तथा प्रमुख स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक सूचना संस्थानों एवं पहलों की शक्तियों का उपयोग करना।
- एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं के माध्यम से शहरी जलवायु कार्रवाई में निवेश को बढ़ावा** देना।
- राज्य और स्थानीय स्तर पर क्लाइमेट गवर्नेंस ढांचे के माध्यम से **संस्थागत तंत्र का निर्माण करना, साझेदारी का लाभ उठाना और एंकर क्षमताओं का निर्माण करना** तथा भारतीय शहरों और राज्यों में **जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** CITIIS 1.0 को 2018 में **स्मार्ट सिटी मिशन के उप-घटक** के रूप में आरंभ किया गया था। इसके तहत देश के 12 शहरों को इस परियोजना के तहत सहायता दी गई है।
  - CITIIS के तहत **चयनित शहरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान** की जाती है।
  - यह सहायता **संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित है।** इसके तहत कार्यान्वियन से पहले व्यवस्थित योजना (परिपक्वता चरण) के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाते हैं-
    - » **संसाधनों को समर्पित करना,**
    - » **परिणाम-आधारित निगरानी ढांचे विकसित करना, और**
    - » **कार्यक्रम निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।**
- **योजना में शामिल होने हेतु शहरों के लिए पात्रता:** CITIIS 2.0 के तहत प्रतिस्पर्धा के आधार पर 18 शहर चुने जाएंगे। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए **सभी 100 स्मार्ट शहर इस योजना में** आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- **CITIIS 2.0 के घटक**
  - **घटक 1: शहर-स्तरीय कार्रवाई:**
    - » **एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **चक्रीय अर्थव्यवस्था पर परियोजनाओं** को वित्तीय और तकनीकी सहायता।
    - » **विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों** में परियोजनाओं **का समान वितरण।**
    - » चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से **अधिकतम 18 परियोजनाओं** का चयन किया जाना है।
  - **घटक 2: राज्य स्तरीय कार्रवाई**
    - » **राज्यों में जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए** किए जाने वाले हस्तक्षेप।
    - » भारत के **सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** मांग के आधार पर समर्थन के पात्र होंगे।
    - » **राज्य जलवायु केंद्र,** क्लाइमेट सेल या ऐसे ही अन्य निकाय **स्थापित या मजबूत किए जाएंगे।**
    - » **राज्य और शहर स्तर पर जलवायु डेटा वेधशालाएं (Climate Data Observatories)** स्थापित की जाएंगी।
    - » **जलवायु कार्य योजनाएं** विकसित की जाएंगी और डेटा-संचालित योजना को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
    - » **नगर निगम पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण** किया जाएगा।
  - **घटक 3: राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई**
    - » **शहरी भारत में क्लाइमेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए** हस्तक्षेप।
    - » **संस्थाओं की मजबूती, ज्ञान के प्रसार, साझेदारी, अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से** बड़े स्तर की कार्रवाई का समर्थन करना।
    - » भारत के सभी शहरों के लिए **क्षमता निर्माण और लर्निंग।**

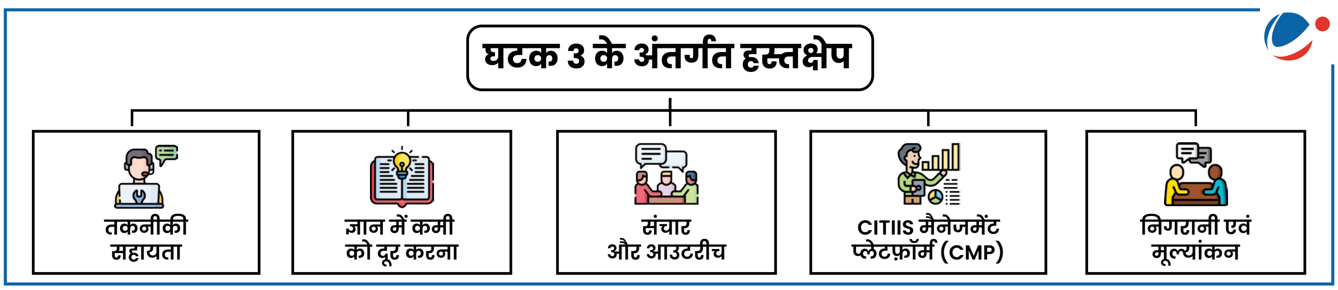

12.1.2. स्मार्ट सिटी मिशन (SMART CITIES MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय-सीमा को एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस समय-सीमा को जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **योजना का उद्देश्य:** 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना और उन्हें नागरिकों को अनुकूल बनाना
- **स्मार्ट शहर:** स्मार्ट शहर की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल

अन्य उद्देश्य

- 'स्मार्ट समाधान' लागू करके **शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- शहर के **सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना** बनाकर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना और **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- ऐसे **अनुकरणीय मॉडल तैयार करना** जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें।

प्रमुख विशेषताएं

स्मार्ट सिटीज के छह मौलिक सिद्धांत

केंद्र में समुदाय	कम संसाधन अधिक परिणाम	सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद	एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता	तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में, न	कन्वर्जेन्स (अभिसरण)
योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखना।	कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता।	शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जबकि परियोजना क्रियान्वयन में लचीलापन।	नवाचार पद्धतियों तथा एकीकृत एवं सतत समाधानों का उपयोग।	तकनीकों का सावधानीपूर्वक चयन, इन्हें शहरों के उपयोग के अनुकूल होना चाहिए।	क्षेत्रक एवं वित्तीय अभिसरण।

- **शहरों का चयन:** इनका चयन ऐसे **न्यायसंगत मानदंडों** के आधार पर किया जाता है जो **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** में **शहरी आबादी** और **वैधानिक कस्बों की संख्या को समान महत्व** देते हों।

- **स्मार्ट सिटीज परियोजना:** शॉर्टलिस्ट किए गए प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में या तो **रेट्रोफिटिंग या री-डेवलपमेंट या ग्रीनफील्ड विकास मॉडल या इन तीनों तथा स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ एक पैन-सिटी सुविधा** को शामिल किए जाने की संभावना है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)**
  - यह स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के **योजना-निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण** में मदद कर रहा है।
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **शहरी स्तर पर** एक **लिमिटेड कंपनी** के रूप में शामिल किया गया है।
  - **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और ULB प्रमोटर** हैं, जिनकी **इक्विटी शेयर धारिता 50:50 होती है।**
  - **केंद्र से जुड़े अनुदान (Tied grant) के रूप में** निधि प्रदान करता है **जिसे एक अलग अनुदान निधि** में रखा जाता है।
- **वित्त-पोषण:**
  - केंद्र सरकार ने 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक) में **48,000 करोड़ रुपये, यानी प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये तक** की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
    - » राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा समान आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी।
  - अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों से एकत्रित किया जाएगा:
    - » ULB के स्वयं के कोष से,
    - » वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से,
    - » म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से, तथा
    - » अन्य सरकारी कार्यक्रमों और उधारों के माध्यम से।
- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी** पर जोर दिया गया है।
- **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC):**
  - **इसे सभी 100 स्मार्ट शहरों में शुरू कर दिया गया है।**
  - इसके तहत **यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि** क्षेत्रकों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - यह **अपराधों की रोकथाम, बेहतर निगरानी एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी लाने** में मदद करता है।

12.1.3. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA- URBAN (NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION): DAY-NULM}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के अनुभवी सदस्यों के बीच महिला के नेतृत्व में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए **DAY-NULM और सिडबी (SIDBI) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य :** सतत आधार पर शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संकटों (वल्नेरेबिलिटी) को कम करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना के लाभार्थी:** शहरी गरीब समुदाय के व्यक्ति/ समूह/ स्वयं सहायता समूह (SHGs)।
- **योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्र:** जिला मुख्यालय वाले सभी शहर तथा 2011 की जनगणना के आधार पर 1,00,000 या उससे अधिक की आबादी वाले अन्य सभी शहर।

अन्य उद्देश्य

- शहरी गरीबों को लाभकारी **स्व-रोजगार तथा वेतन वाले कुशल रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में सक्षम बनाना।** इसके लिए गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत या उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **सामाजिक लामबंदी:** प्रत्येक **शहरी गरीब परिवार से कम-से-कम एक सदस्य, विशेषकर एक महिला** को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाया जाना चाहिए।
- **SHGs सदस्यता:** योजना के तहत वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए **SHG के कम-से-कम 70% सदस्य शहरी गरीब** होने चाहिए। **SHGs में 10-20 सदस्य हो सकते हैं।**
    - **आदिवासी बाहुल्य पहाड़ी इलाकों/ क्षेत्रों में 10 से कम सदस्य मिलकर भी SHG** गठित कर सकते हैं।
    - **दिव्यांगजनों के मामले** में न्यूनतम 5 सदस्य मिलकर भी स्व-सहायता समूह गठित कर सकते हैं।

- **वित्त-पोषण/ वित्तीय सहायता: व्यक्तिगत उद्यमों के साथ-साथ** समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **स्वयं-सहायता समूह - बैंक लिंकेज:**
  - **सभी स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए 7% से अधिक की ब्याज दर** से ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
  - सभी शहरों में समय पर ऋण चुकाने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को **अतिरिक्त 3% ब्याज छूट** दी जाती है।
- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता: इसमें कौशल, सूक्ष्म उद्यम विकास,** ऋण प्राप्ति में सहायता, प्रो-वेंडिंग शहरी नियोजन, कमजोर वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, आदि) के लिए सामाजिक सुरक्षा के विकल्प शामिल हैं।
  - इसके तहत शहरी बेघर लोगों को **सभी मौसम में रहने योग्य 24x7 स्थायी आश्रय** भी प्रदान किए जाते हैं।
- **नवोन्मेषी और विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** यह केंद्र प्रशासित पहल है। इसमें किसी राज्य को अपनी तरफ से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इस पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - **सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी (P-P-C-P)** के माध्यम से शहरी आजीविका के लिए संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  - वृहत (स्केलेबल) पहलों के माध्यम से **शहरी गरीबी की स्थिति से निपटने में** प्रभावी तरीका प्रस्तुत करना या **विशिष्ट प्रभाव डालना।**
- **निगरानी और मूल्यांकन:** राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) और ULBs के स्तर पर सिटी मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU) को निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

प्रमुख पहलें

- **UNDP- DAY-NULM साझेदारी:** विभिन्न तथ्यों एवं स्थितियों को ध्यान में रखकर उद्यमिता के क्षेत्र में **उपयुक्त करियर विकल्प** चुनने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाना।
  - इस परियोजना की अवधि 3 वर्ष है। हालांकि, इसे 2025 में भी जारी रखा जा सकता है।
  - शुरुआती चरण में इस साझेदारी के तहत **आठ शहरों** को कवर किया जाएगा।
- **निपुण/ NIPUN:** निपुण से आशय है; "नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स (NIPUN)।" इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **PaiSA पोर्टल:** यह DAY-NULM के तहत लाभार्थियों को **बैंक ऋण पर ब्याज छूट** दिलाने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। यहां PaiSA से आशय है: **पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस।**

12.1.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पी.एम. स्वनिधि योजना ने **50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना'** है।
- **योजना का उद्देश्य :** स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- **योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों** के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

- इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) **1 वर्ष** की अवधि के लिए **10,000 रुपये** तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। **इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान** करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण के **नियमित पुनर्भुगतान** को प्रोत्साहित करना और **डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।**

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **परिचय/ पृष्ठभूमि:** यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **सूक्ष्म-ऋण (Micro-Credit) योजना** है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने** के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदन (लाभार्थी) जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **योजना हेतु पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड:**
  - **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** द्वारा जारी किए गए **वेंडिंग सर्टिफिकेट/ पहचान-पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स।**
  - ऐसे वेंडर्स, जिन्हे **सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया** है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है।
  - ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम **ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची** में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा

होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/ टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में **अनुशंसा-पत्र (LoR) जारी किया गया हो।**

- **ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं** और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा-पत्र जारी किया गया है।

- **योजना के लिए पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।

पी.एम. स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

- 1 वर्ष की अवधि के लिए **कार्यशील पूंजी** हेतु ऋण दिया जाता है।
- **ऋण का समय पर/ शीघ्र** भुगतान किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में **7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रुपये तक के मासिक कैश-बैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।
- पहले ऋण के समय पर/ शीघ्र पुनर्भुगतान पर लाभार्थी **अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र** हो जाता है।
- देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को योजना में शामिल किया गया है।

- **कार्यान्वयन अवधि:** इस योजना को **दिसंबर 2024** तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **क्रेडिट गारंटी:** इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए **क्रेडिट गारंटी कवर का प्रावधान** किया गया है। इसे **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

प्रमुख पहलें

- **स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम:**
  - इस योजना का उद्देश्य **स्ट्रीट वेंडर्स** के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ** प्रदान करना है।
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इस कार्यक्रम का **कार्यान्वयन भागीदार** है।

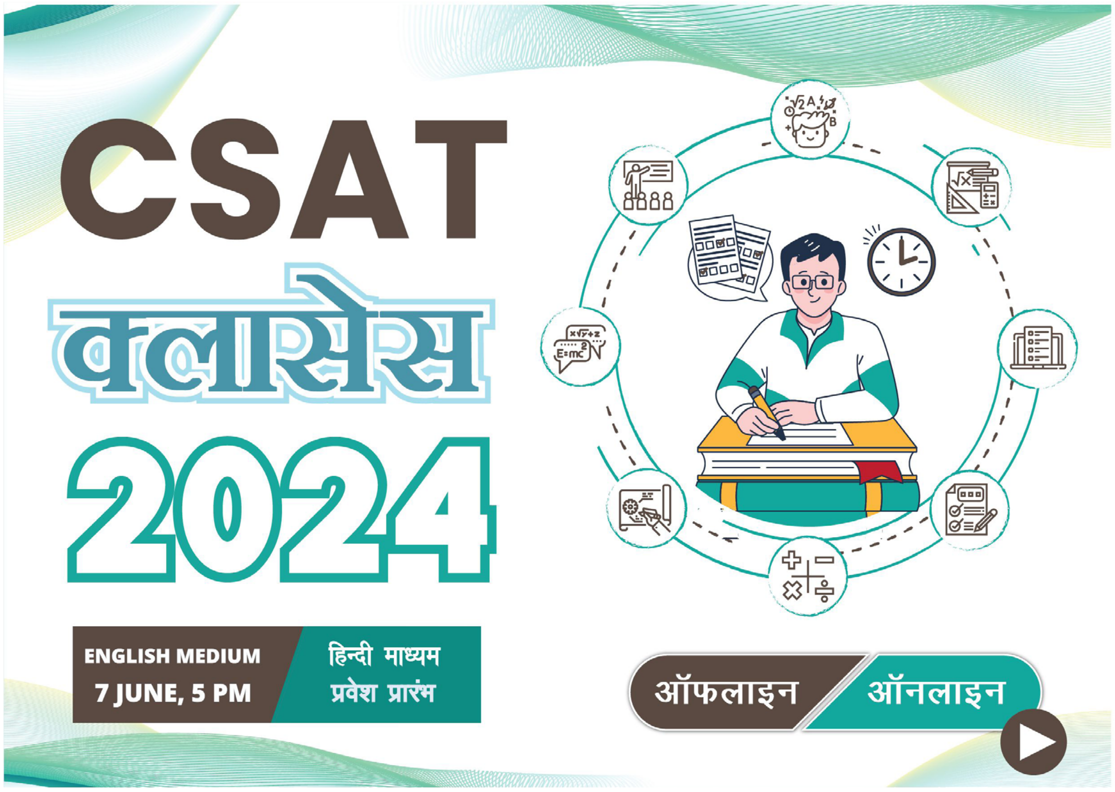

12.1.5. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 {SWACHH BHARAT MISSION URBAN 2.0 (SBM-URBAN 2.0)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सहयोग से SBM-U 2.0 के तत्वावधान में एक मेगा अभियान **"मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर"** की शुरुआत की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य :** इसका उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहर (GFCs) का निर्माण करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना के तहत कवरेज:** योजना के तहत सभी वैधानिक नगर शामिल किए गए हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;
  - सार्वजनिक स्थानों पर **स्वच्छता (क्लीननेस)** और **साफ-सफाई (हाइजीन)** सुनिश्चित करना;
  - **वायु प्रदूषण को कम करना,**
  - **समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) सुनिश्चित करना,**
  - **उपयोग किए गए पानी** को प्रवाहित करने से पहले उसका **उपचार करना,**
  - **क्षमता निर्माण करना,**
  - **जागरूकता का प्रसार करना** तथा
  - **जन आंदोलन** चलाना।

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **पृष्ठभूमि:** SBM-U योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त या **Open Defecation Free (ODF)** बनाना। यह योजना पांच वर्ष (2014-2019) के लिए शुरू की गई थी।
  - **ODF से आशय** ऐसी स्थिति से है **जब एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए।**
- **वित्त पोषण के लिए शर्त:** सरकार अब ULBs द्वारा न्यूनतम 1-स्टार रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करने पर ही धनराशि जारी करती है।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:** निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तित, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाना।

- **डिजिटल सक्षमता:**
    - संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना,**
    - स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में **कौशल विकास** को बढ़ावा देना,
    - **सूचना और संचार-प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम गवर्नेंस** प्रदान करना।
- **शहरी-ग्रामीण समन्वय:** साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करके निकटवर्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को दक्षता-पूर्वक पूरा करने के लिए **अवसंरचनाओं के क्लस्टर** का विकास करना।
- **चैलेंज फंड:** 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क को पूरा करने के लिए 5 वर्षों में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पहलें

- **स्वच्छ सर्वेक्षण:** यह भारतीय शहरों और नगरों में **स्वच्छता (क्लीननेस), साफ-सफाई (हाइजीन) और सैनिटेशन** का आकलन करने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
    - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
- **मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान** का उद्देश्य **मिशन LiFE** के बारे में जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना है।
- **GFC के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क:** इसका लक्ष्य GFC के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करना है।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0

इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है:

- मल-जल का संपूर्ण प्रबंधन करना एवं अपशिष्ट जल का उपचार करना,
- कचरे को उनके प्रकार के आधार पर स्रोत पर ही अलग-अलग करना,
- सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध,
- निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे का प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण को कम करना,
- सभी मौजूदा डंपसाइटों का जैव-उपचार सुनिश्चित करना।

संभावित परिणाम:

- **कचरा मुक्त शहर (GFC): वैधानिक नगरों के लिए स्टार रेटिंग:** सभी वैधानिक नगर कम-से-कम 3-स्टार **"कचरा मुक्त" रेटिंग या इससे अधिक** की रेटिंग से प्रमाणित हों।
- **ODF+: सभी वैधानिक नगर** कम-से-कम ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लें।
  ODF+ के तहत खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ शौचालयों में पानी की उपलब्धता, उसका रख-रखाव और साफ़-सफाई सुनिश्चित करना है।
- ODF++: इसका लक्ष्य **1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक नगरों** को कम-से-कम ODF++ बनाना है।
  ODF++ से आशय शौचालयों के मल-जल और सेप्टेज का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- **वाटर+:** इसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले **सभी वैधानिक नगरों** में से **कम-से-कम 50%** नगरों को वाटर+ बनाना है।
  वाटर+ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल खुले वातावरण या जल निकायों में प्रवाहित नहीं किया जाए।

12.1.6. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA - URBAN (PMAY- U)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार यह एक मांग आधारित योजना है। इसमें **केंद्र सरकार ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया** है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। हालांकि, इस योजना का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** के तहत आता है।
- **योजना का उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक **"सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास"** उपलब्ध कराना है।
- **योजना में परिवार की परिभाषा:** इस योजना के तहत एक परिवार में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे** शामिल होते हैं।
- **योजना के लिए पात्र नहीं:** इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास **भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान हो।**

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत **सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को** सभी मौसम में टिकाऊ **(बारहमासी) पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **अवधि:** मिशन को अब 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल के साथ 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए कहा गया है।
- **लाभार्थी:**
  - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):** EWS के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम है, वे सभी चारों वर्टिकल्स के लिए पात्र होंगे।
  - **निम्न आय वर्ग (LIG):** LIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3-6 लाख रुपये के बीच है। वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।
  - **मध्यम आय समूह (MIG):** MIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6-18 लाख रुपये के बीच है, वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।
- **लाभार्थियों की पहचान:** लाभार्थियों के दोहराव से बचने के लिए **आधार/ आधार वर्चुअल ID** का उपयोग करके उनका सत्यापन किया जाता है।

- **आवासों की गुणवत्ता**
  - **घरों में बुनियादी सुविधाएं:जल,स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, विद्युत** जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **सुरक्षा:** घरों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि को सहने लायक बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से युक्त होना चाहिए।
    - » मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC)** और **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिता** के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

PMAY- U के 4 वर्टिकल

ISSR	CLSS	AHP	BLC
इन-सीटू स्लम पुनर्विकास	क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना	साझेदारी में किफायती आवास	लाभार्थी के नेतृत्व में घर निर्माण
भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपये का अनुदान	3-6.5% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपये तक का लाभ	भारत सरकार द्वारा प्रति घर 1.5 लाख रुपये की दर से अनुदान	भारत सरकार द्वारा प्रति घर 1.5 लाख रुपये की दर से अनुदान

- **वित्त पोषण तंत्र:** इस मिशन के तहत **40% व्यय सरकार द्वारा** तथा 60% व्यय लाभार्थी सहित **निजी निवेशकों** द्वारा किया गया है।
- **निगरानी और मूल्यांकन/ जांच: तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (TPQM) के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा।**
- **शिकायत निवारण तंत्र: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** का उपयोग PMAY-U सहित सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
- **अन्य ग्रामीण योजनाओं पर प्रभाव:**
  - **PMAY (G) की स्थायी प्रतीक्षा सूची** में शामिल लाभार्थियों को PMAY (G) या PMAY (U) के तहत **घर चुनने की सुविधा होगी।**
  - सभी **मौजूदा और भविष्य में शुरू की जाने वाली ग्रामीण योजनाओं के लाभ से किसी भी लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा।**
- **अन्य सुविधाएं**
  - **महिला सशक्तिकरण:** आवास का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाता है। केवल उन मामलों में **जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, घर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।**
  - **'अवसंरचना का दर्जा':** किफायती आवास क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है।
  - **योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक का कार्यान्वयन:** इसे **राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) और आवास शहरी विकास निगम (HUDCO)** द्वारा लागू किया जाएगा।

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (GHTC-इंडिया)**
  - इसका उद्देश्य **टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-रोधी आवास** के निर्माण के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में शामिल करना है।

- इसके तहत **अगरतला, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ, राजकोट** और **रांची** (प्रत्येक के लिए एक) में **6 लाइट हाउस परियोजनाओं** (LHP) को मंजूरी दी गई है।
- LHP एक मॉडल आवास परियोजना है। इसके तहत क्षेत्र की **भू-जलवायु और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त शॉर्टलिस्टेड वैकल्पिक तकनीक** का उपयोग करके **लगभग 1,000 घर** बनाए जाते हैं।

- **CLSS आवास पोर्टल (CLAP):**
  - यह पोर्टल लाभार्थियों के **आवेदनों की प्रोसेसिंग** और प्रदान की जाने वाली **सब्सिडी की स्थिति का पता** करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **CLSS ट्रैकर को PMAY(U) मोबाइल ऐप** और **उमंग (UMANG) प्लेटफार्म** में भी शामिल किया गया है।

13 जल शक्ति मंत्रालय (MINISTRY OF JAL SHAKTI)

13.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

13.1.1. अटल भूजल योजना (अटल जल) {ATAL BHUJAL YOJANA (ATAL JAL)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (NLSC) ने निर्णय लिया है कि **ABY को 2025 के बाद अगले दो वर्षों यानी 2027 तक जारी रखा जाना चाहिए।**

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** भूजल प्रबंधन में सुधार करना।
- **वित्त-पोषण:** इसके कुल वित्त-पोषण का **50 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण** प्राप्त करके और शेष **50 प्रतिशत बजटीय सहायता** के जरिए किया जाएगा।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी।

अन्य उद्देश्य

- सात राज्यों में पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में **सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल प्रबंधन करना।**

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **लक्ष्य:** अटल भूजल योजना का लक्ष्य **समुदाय के नेतृत्व में भूजल का सतत प्रबंधन करके दिखलाना है ताकि इसे आगे व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके।**
- **कवरेज:** इसमें सात राज्यों को शामिल किया गया है। (मानचित्र देखें)
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** योजना के तहत धनराशि, अन्य विषयों के साथ-साथ पूर्व-निर्धारित संकेतकों की उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है।
- **स्थानीय स्तर पर शासन: इसमें समुदायों** की सक्रिय भागीदारी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में **जल सुरक्षा संबंधी योजनाएं (WSPs)** शुरू और लागू की जा रही हैं।

- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संबंधी गतिविधियां:** सतत भूजल प्रबंधन से संबंधित **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संबंधी गतिविधियां संचालित** करना। साथ ही, इसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है।

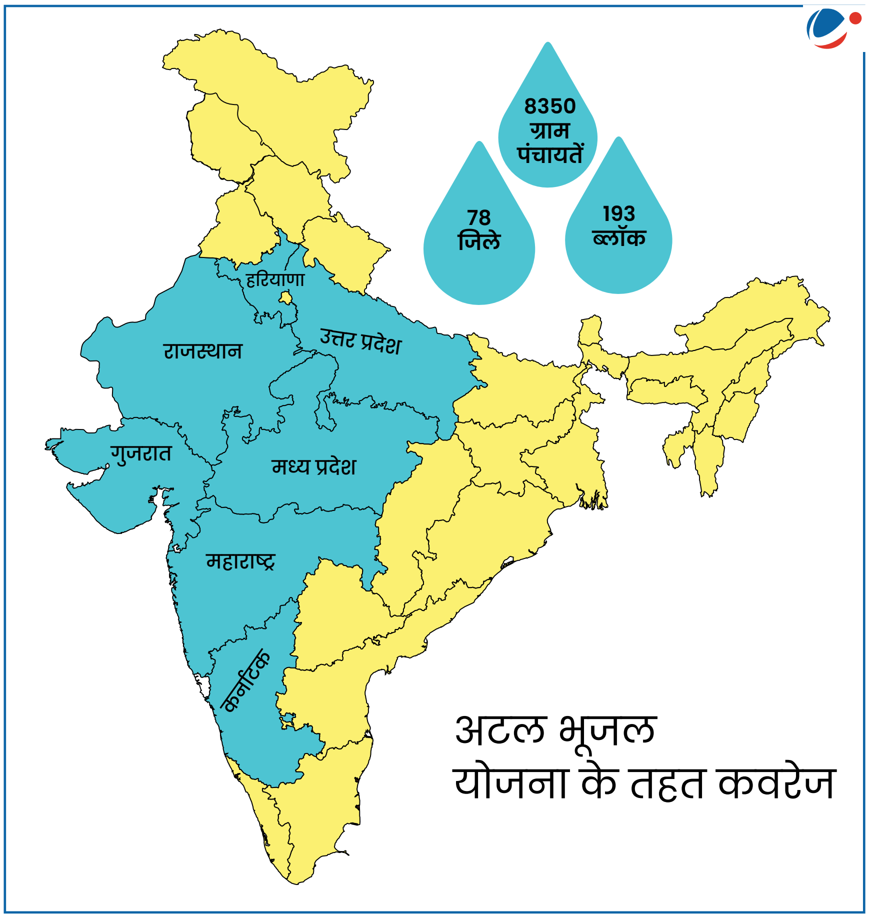

- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)।**
  - CGWB **जल शक्ति मंत्रालय के तहत शीर्ष बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है।**
  - इसे देश के भूजल संसाधनों के **प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन, संवर्धन और विनियमन** के लिए **वैज्ञानिक इनपुट** प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **योजना की प्रभावशीलता में सुधार हेतु पहलें**
  - हितधारकों द्वारा **डेटा संग्रह** के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं;
  - इसे **उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** में संशोधन किया गया है;
  - **राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (NPMU) के अधिकारियों** द्वारा क्षेत्र के दौरे के साथ-साथ अलग-अलग स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाएगी आदि।

13.1.2. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {JAL JEEVAN MISSION (JJM): HAR GHAR JAL}

सुर्ख़ियों में क्यों?

जल जीवन मिशन (JJM) के तहत **13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल** किया गया।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: 'कोई भी न छूटे'**, इस प्रकार **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल** की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **बच्चों पर विशेष ध्यान:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना।
- **निगरानी: एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) और JJM-डैशबोर्ड** स्थापित किए गए हैं।

अन्य उद्देश्य

- **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
- **स्कूलों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि** में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- नकद, वस्तु और/या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों में **स्वैच्छिक स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्त्व पर जागरूकता** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य: 'वॉश (WASH) के प्रति जागरूक गांव'** विकसित करना। इन गांवों में स्थानीय समुदाय सभी के लिए लंबी अवधि तक जल की आपूर्ति करने और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC):** FHTC से तात्पर्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन से है।
- **विकेंद्रीकृत:** JJM दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) का प्रावधान करता है।
  - **VAP अग्रलिखित पर केंद्रित है:** पेयजल स्रोत; ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग; जलापूर्ति प्रणालियां; प्रचालन एवं रख-रखाव।
- **पानी समितियां:** पानी समितियां या ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs) **गाँव की जल**

आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

- **जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी:** यह योजना **जल स्रोतों और वितरण केंद्रों पर जल के नमूनों की नियमित जांच को बढ़ावा देती है।** लोगों को किफायती दर पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाई गई है।
- **फंड्स जारी करना:** यह उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्यों की समान हिस्सेदारी पर निर्भर है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्षमता मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर **प्रदर्शन आधारित अनुदान** प्रदान किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण:

- प्रत्येक गांव में कम-से-कम **पांच महिलाओं** को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता निर्माण करना, जिन्हें पुरुष विशेष क्षेत्र माना जाता है जैसे कि राज-मिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि।
- पानी समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

- **मुख्य संसाधन केंद्र (KRCs):** क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग **सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक्स एवं प्रशिक्षण संस्थानों को KRCs** के रूप में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय वॉश (WASH) विशेषज्ञ (NWE):** राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र NWEs को सूचीबद्ध करने तथा नियोजित करने के लिए उत्तरदायी है। NWEs का कार्य राज्यों को **जमीनी स्तर पर सत्यापन और तकनीकी सहायता** प्रदान करना है।
  - **JJM के कार्यान्वयन की स्थिति** के आधार पर, NWEs **गांवों को स्टार रेटिंग और राज्यों को फीडबैक** प्रदान करते हैं।
- **प्राथमिकताएं:**
  - जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से **प्रभावित जिलों को प्राथमिकता** दी जा रही है।
  - आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, लवणता, भारी धातु जैसे प्राकृतिक **संदूषकों वाले भूजल क्षेत्रों** को प्राथमिकता दी जाती है।
- **गैर-राजस्व जल को कम करना: गैर-राजस्व जल वह जल है, जिसे पंप के जरिए भूमि से बाहर निकाला जाता है और फिर जिसकी खपत हो जाती है या जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।**

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य बना है।
- दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव पहला 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है।
- मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बना है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला 'स्वच्छ सुजल प्रदेश' बना है

- **15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त-पोषण (FFC):** FFC ने **जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में** मान्यता दी है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को **2021-22 से 2025-26 तक के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किए गए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र

उन्नत निगरानी

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS):** इसका कार्य रियल टाइम में, JJM के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करना है।
- रियल टाइम आधार पर **जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान।**
- सभी लेन-देन **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के जरिए किए जाते हैं।

उन्नत वितरण

- JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** की जाती है।
- **'घर के मुखिया' के आधार नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा** जाता है।
- कार्य को आसान बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए **'मोबाइल ऐप'** विकसित किए गए हैं।
- JJM के तहत संपन्न किए जाने वाले **कार्यों** और उपयोग की जाने वाली **सामग्रियों की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए **थर्ड पार्टी जांच (TPI)** को अनिवार्य किया गया है।

JJM से संबंधित शुरू की गई मुख्य पहलें

- **रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF):** प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उत्पादों का विकास और सूचना साझाकरण के माध्यम से WASH क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान:** यह अभियान राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **जल की गुणवत्ता के निरीक्षण और निगरानी संबंधी गतिविधियों** के लिए संगठित प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।
- **जलमणि कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत 2008 से ग्रामीण विद्यालयों में **स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली की स्थापना** की जा रही है।
- **'हर घर जल' कार्यक्रम (2019)**
  - **कार्यान्वयन:** जल जीवन मिशन (JJM)
  - **लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त, किफायती और नियमित आपूर्ति प्रदान** करना।
  - **प्रगति:** 2019 में ग्रामीण नल जल कनेक्शन 16.64% से बढ़कर 41 महीने की अवधि में 62.84% हो गया।

13.1.3. नमामि गंगे योजना (NAMAMI GANGE YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने **दिसंबर 2026 तक 7,000 MLD** की संचयी सीवरेज उपचार क्षमता का लक्ष्य रखा है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** गंगा नदी का कायाकल्प अर्थात् अविरल धारा (सतत प्रवाह), निर्मल धारा (प्रदूषण रहित प्रवाह), भूगर्भिक और पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
- **बाह्य सहायता: विश्व बैंक** परियोजनाओं का वित्त-पोषण कर रहा है। इसके लिए उसने 2026 तक पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण अनुमोदित किया है।

अन्य उद्देश्य

- व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर **गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी और कायाकल्प सुनिश्चित** करना।
- पानी की गुणवत्ता एवं पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी में **न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना।**

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि: अगले पृष्ठ पर इन्फोग्राफिक देखें

- **प्रमुख रणनीति:**
  - **व्यापक** एकीकृत कार्यक्रम
  - **गैर-व्यपगत कोष**
  - हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को अपनाना
  - **5 वर्षीय समर्पित बजट आवंटन**
  - 15 वर्षों के लिए **संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत शामिल**

- **गंगा नदी का कायाकल्प**
  - **जन गंगा:** जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए लोगों को नदी से जोड़ना। साथ ही, बड़े पैमाने पर भागीदारी तथा समुदाय और आम जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना।
  - **निर्मल गंगा**
  - **अविरल गंगा**
  - **ज्ञान गंगा**
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत** हुआ था।
  - यह **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वियन शाखा के रूप में** कार्य करता है।
  - NGRBA का गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- **गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र** (cGanga): यह, **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के साथ व्यापक थिंक टैंक कैपेसिटी के रूप में कार्य करता है।**
  - इसे 2016 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK) में स्थापित किया गया था।
  - यह गंगा नदी बेसिन के संधारणीय विकास हेतु डेटा संग्रह तथा ज्ञान एवं सूचना के सृजन और प्रसार के लिए कार्य करता है।
  - cGanga के उद्देश्य के भाग के रूप में, हर साल 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (India Water Impact summit) आयोजित किया जाता है।

नदी घाटी दृष्टिकोण का विकास

1985

GAP-1 (गंगा कार्य योजना)
- गंगा नदी की मुख्यधारा पर ध्यान देना
  इसमें 25 कस्बों को शामिल किया गया है
  260 योजनाएं

1993

GAP-II (गंगा कार्य योजना)
- वर्ष 1993 में GAP-1 से इसका विस्तार किया गया था
  1996 में NRCP के साथ विलय किया गया था
  इसमें शामिल नदियां हैं- यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा

1995

NRCP (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)
- देश की 41 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया था
  8 गंगा बेसिन नदियां जैसे- गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर महानंदा, बेतवा, मंदाकिनी और रामगंगा

2009

NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण)
- वर्ष 2009 में गंगा के लिए अलग प्राधिकरण का निर्माण किया गया था
  इसके अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं
  वर्ष 2011 में विश्व बैंक ने गंगा बेसिन परियोजना, NMCG व राज्य मिशनों की सहायता की थी
  NMCG (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) केंद्र में स्थापित एक कार्यान्वियन निकाय है

2015

नमामि गंगे मिशन
- एकीकृत संरक्षण मिशन
  बेसिन आधारित दृष्टिकोण
  इसमें सभी सहायक नदियां शामिल हैं

- **संधारणीय और ईको-कृषि**
  - **घाटी क्षेत्र में संधारणीय कृषि भू-खंडों** का विकास करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
  - **गंगा ग्रामों** में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
  - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी** में शुरू किया गया है।
- **गंगा प्रहरी**
  - ये ऐसे **स्व-प्रेरित व्यक्ति** हैं जो आगे गंगा संरक्षण के प्रयासों में दूसरों को भी लामबंद करेंगे।
  - उन्हें **गंगा नदी** और उसकी जैव विविधता **की पारिस्थितिक निगरानी,** वृक्षारोपण तकनीक, जागरूकता आदि **के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।**
- **रिवर फ्रंट का विकास:** गंगा नदी के तट पर **घाटों और शवदाह गृहों** का निर्माण करना।

- **स्वच्छ गंगा कोष (Clean Ganga Fund: CGF): गैर-व्यपगत फंड**
  - **कानूनी स्थिति:** यह भारतीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत है। **केंद्रीय वित्त मंत्री** इसकी अध्यक्षता करते हैं।
  - **CSR का हिस्सा:** इसमें योगदान भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अधिसूचित **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि** के तहत किया जाता है।
  - **सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन:** विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से छूट प्राप्त है। आयकर की धारा 80G के तहत 100% कर कटौती के लिए पात्र है।
- **मानचित्रण संबंधी पहलें**
  - **भौगोलिक मानचित्रण**
    - **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और GIS तकनीक का उपयोग करके **गंगा कायाकल्प कार्य** को सुगम बनाता है।
    - इसका उद्देश्य **5 प्रमुख राज्यों को कवर** करते हुए लगभग 45,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का मानचित्रण करना है। ये 5 प्रमुख राज्य हैं: **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।**
  - **सांस्कृतिक मानचित्रण: INTACH** के साथ भागीदारी में गंगा नदी के किनारे मूर्त, अमूर्त और निर्मित विरासत का डॉक्यूमेंटेशन करना।
  - **सूक्ष्मजीव मानचित्रण:** पारितंत्र सेवाओं के लिए **संपूर्ण गंगा में सूक्ष्मजीव विविधता** का GIS-आधारित मानचित्रण करना।
- **शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP):**
  - इसे **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA)** और NMCG द्वारा विकसित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में **शहरी नदियों की संपूर्णता को बनाए** रखना है।
- **अर्थ गंगा**
  - **लक्ष्य: संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर** गंगा संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।
  - **नदी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग** करना।
  - यह **गंगा बेसिन से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%** का योगदान सुनिश्चित करेगा।
- **गंगा ग्राम योजना**
  - **उद्देश्य:** गंगा नदी की मुख्यधारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/ या पर्यटक महत्त्व के गांवों को विकसित करना।
  - गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाह गृह का निर्माण/ आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**
- **कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)**
  - यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो **भारत में नदियों के संबंध में संवाद और कार्रवाई शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।**
  - **विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है।**
- **प्रयाग प्लेटफार्म (Platform for Real-time Analysis of Yamuna, Ganga: PRAYAG)**
  - **प्रयाग** यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल-टाइम विश्लेषण के लिए प्लेटफार्म है।
  - प्रयाग विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड, जैसे- गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के माध्यम से **परियोजनाओं की कार्यान्वयन से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं एवं निगरानी तथा नदी जल की गुणवत्ता आदि के लिए एक रियल-टाइम निगरानी केंद्र** है।
  - **इसे नमामि गंगे कार्यक्रम** के तहत लॉन्च किया गया है।

13.1.4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II {SWACHH BHARAT MISSION (GRAMEEN) PHASE-II}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के 84% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिनमें से कई ने SBM-G के दूसरे चरण के दौरान 100% ODF+ का दर्जा हासिल किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **योजना का उद्देश्य: सभी गांवों द्वारा जल्द-से-जल्द खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF+) का दर्जा** हासिल करना।
- **मुख्य फोकस: बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई पद्धतियों** को अपनाने के लिए लोगों के **व्यवहार में परिवर्तन** लाना।
- **योजना की अवधि:** 2020-21 से 2024-25 तक।

अन्य उद्देश्य

- गांवों में **ठोस और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन** सुनिश्चित करना,
- **खुले में शौच मुक्त व्यवहार को बढ़ावा** देना, और
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** SBM (G) चरण-1 के तहत **सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वयं को ODF** घोषित किया था।
  - **SBM चरण II** का लक्ष्य **व्यापक स्वच्छता को सुनिश्चित करना है।**
- **खुले में शौच से मुक्त (ODF)**
  - **SBM ODF:** यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को ODF घोषित किया जाता है।
  - **SBM ODF+:** ODF दर्जे को यथावत बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील व सुव्यवस्थित हों।
  - **SBM ODF++:** ODF+ दर्जे को यथावत बनाए रखना तथा शौचालयों की गाद और सेप्टेज का प्रबंधन करना।
- **SBM (G)-II के घटक:**
  - **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) का निर्माण:** IHHL के निर्माण के लिए और जल भंडारण सुविधाओं हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं।

- **शौचालयों की मरम्मत:** राज्यों और जिलों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे लोगों को अपने-अपने घरेलू शौचालयों की समय-समय पर व जरूरत के अनुसार मरम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए राज्यों व जिलों को IEC एवं अंतर्वैयक्तिक संचार (IPC) उपायों को अपनाना चाहिए।
- **सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSCs) का निर्माण:** ग्राम स्तर पर CSCs के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण (SWM):**
  - » **जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन**
  - » **कम्पोस्टिंग**
    - घरों में जहां जगह उपलब्ध हो, वहां पर **कम्पोस्टिंग के लिए गड्ढे** का निर्माण करना, तथा
    - 100-150 घरों के लिए **सामुदायिक स्तर पर कम्पोस्टिंग हेतु गड्ढों** का निर्माण करना।
  - » **गोबर-धन:** गांव/ ब्लॉक/ जिला स्तर पर सामुदायिक या क्लस्टर-स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए **प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये प्रदान** किए जाते हैं।
  - » **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ब्लॉक या जिला योजना का एक घटक होना चाहिए।
- **तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य:**
  - » **ऑन-साइट ग्रे वाटर प्रबंधन:** सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट या किचन गार्डन जैसी संधारणीय तकनीकों का उपयोग करके स्रोत पर ग्रे-वाटर का प्रबंधन करना।
  - » **सामुदायिक स्तर पर ग्रे-वाटर प्रबंधन:** यदि ऑन-साइट प्रबंधन अव्यावहारिक है,यह विकल्प चुना जा सकता है।

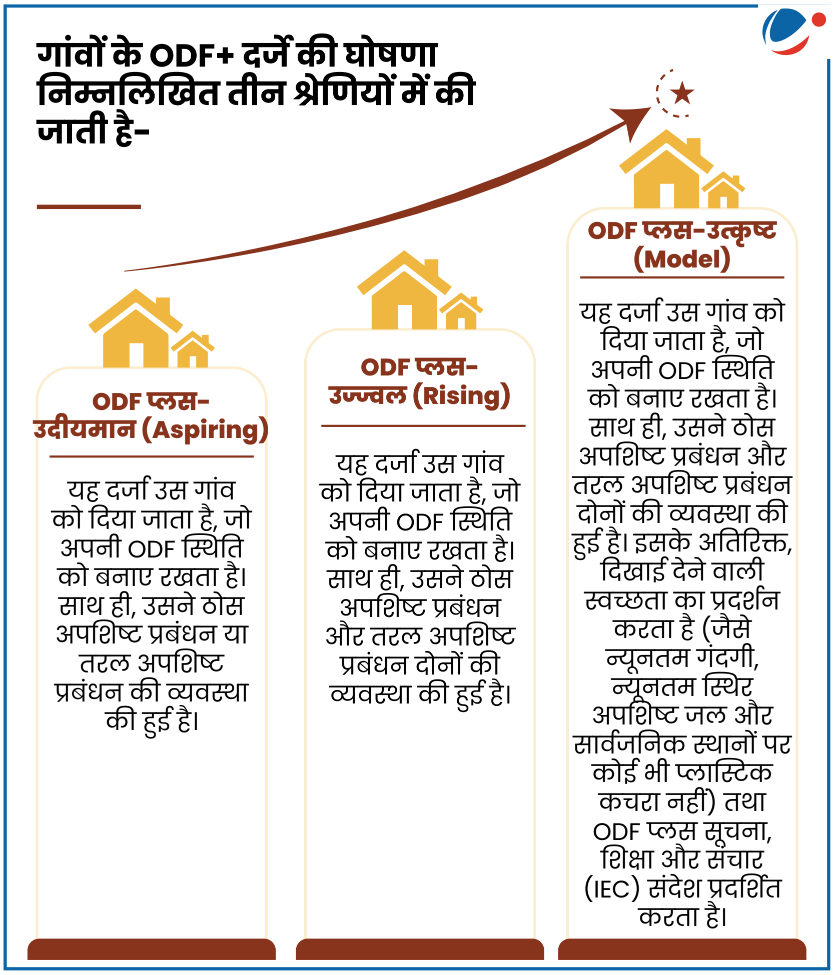

- **मल गाद प्रबंधन (FSM):** जिलों को **ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों की मशीनीकृत मल गाद निकासी** को बढ़ाना चाहिए। साथ ही, मलीय पदार्थ के सुरक्षित निपटान के लिए ट्रीटमेंट यूनिट्स स्थापित करनी चाहिए।
  - » जिला या ब्लॉक स्तर पर FSM को लागू करने के लिए **प्रति व्यक्ति 230 रुपये** आवंटित किए जाते हैं।

   - » जरूरत पड़ने पर अलग-अलग स्रोतों से **अतिरिक्त वित्त-पोषण** प्राप्त किया जा सकता है। इन स्रोतों में **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशें, **संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)/ विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)/ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड** और अन्य राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं में निर्धारित वित्त-पोषण स्रोत शामिल हैं।
  - **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की भूमिका:** योजना बनाना; फंड की प्राप्ति; समन्वय; निगरानी (सामाजिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से); सामुदायिक लामबंदी के जरिए कार्यान्वयन आदि।
  - **ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC):** यह समिति ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में गठित की जा सकती है। यह ग्रामीणों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने, ग्राम कार्य योजना निर्मित करने आदि मामलों में समर्थन प्रदान करेगी।
  - **निगरानी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने निम्नलिखित का विकास किया है-**
    - » ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड;
    - » ODF+ ऐप;
    - » स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप आदि।

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें

- **स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (Swachh Iconic Places: SIP) पहल:**
  - **उद्देश्य:** SIP **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत** शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य **प्रतिष्ठित स्थलों (आध्यात्मिक व सांस्कृतिक) पर और उसके आस-पास साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों में सुधार** करके आगंतुकों के अनुभव को सुखद बनाना है।
  - **अन्य प्रमुख हितधारक:** इसे **शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों**
- **राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (Rashtriya Swachhta Kendra: RSK):** यह **गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (राजघाट)** में स्थित है। यह SBM पर एक **इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र** है।
- **दरवाजा बंद मीडिया अभियान:** इसका लक्ष्य यह उन लोगों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिनके घरों में शौचालय हैं लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। इस अभियान को **विश्व बैंक** की सहायता प्राप्त है।
  - **'दरवाजा बंद-भाग 2'** अभियान देश के सभी **गांवों के ODF के दर्जे को बनाए रखने** पर केंद्रित है।
- **स्वच्छता ही सेवा अभियान:** यह स्वच्छता पहल, स्वच्छ भारत मिशन को रेखांकित करने के लिए **एक पखवाड़े (fortnight-long/ 14 दिन) तक चलने वाला स्वच्छता अभियान है।**

14 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

14.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

14.1.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) {ATMANIRBHAR BHARAT ROZGAR YOJANA (ABRY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) ने **शुरूआत में तय किए गए रोजगार सृजन के अपने लक्ष्य** को हासिल कर लिया है। इसके कारण अब और अधिक रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** कोविड-19 के बाद **औपचारिक क्षेत्रक में नए रोजगार सृजन** को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना के लाभ: केंद्र सरकार** द्वारा **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान** देकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य **नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के लिए EPFO में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित** करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** ABRY की शुरुआत आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के एक भाग** के रूप में की गई थी।
- **पात्रता:** इसका लाभ कुछ विशिष्ट शर्तें पूर्ण करने पर **EPFO के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और उनके नए कर्मचारियों** को दिया जाता है। **नए कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक हैं-**
  - कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम हो;
  - वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच हुई हो, या

- वे कर्मचारी जो **1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी से वंचित** हो गए थे।

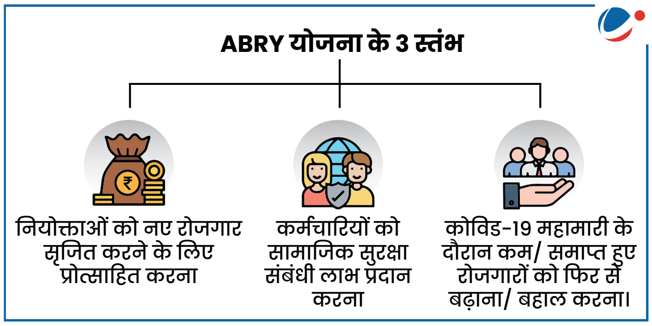

- **लाभ: निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र सरकार EPF में अंशदान करती है:**
  - **1,000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान:** ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार **कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक तथा नियोक्ता के योगदान के 12 प्रतिशत (कुल 24 प्रतिशत)** तक अंशदान करेगी।
  - **1,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान:** ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार **केवल कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक** का अंशदान करेगी।
- **आधार से जुड़ा UAN:** नए कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)** होना चाहिए।
  - भुगतान सीधे पात्र कर्मचारियों के UAN में किया जाएगा। UAN को EPFO सृजित करता है।
- **लाभ की अवधि:** लाभ नए कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से **24 महीनों** के लिए देय होगा। इसकी समय सीमा **मार्च 2024** है।
- **इस योजना के लिए अपात्र लाभार्थी:** यदि नए कर्मचारी पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा-
  - प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना **(PMRPY); तथा**
  - प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना **(PMRPY)।**
- **जवाबदेही:** EPFO द्वारा **योजना के बंद होने** के तीन महीने के भीतर इसका **थर्ड पार्टी से मूल्यांकन** करवाया जाएगा।

14.1.2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PRADHAN MANTRI SHRAM YOGI MAAN DHAN: PM-SYM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवनयापन की उच्च लागत के कारण **असंगठित क्षेत्रक के 21 प्रतिशत श्रमिक PM-SYM योजना से बाहर** हो गए हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना की प्रकृति:** 50:50 के अनुपात में **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना** के रूप में संचालित होती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर LIC है और यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

अन्य उद्देश्य

- **असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन: लाभार्थी** को एक **निर्दिष्ट आयु तक विशेष अंशदान** का भुगतान करना होता है। **केंद्र सरकार** लाभार्थी के **अंशदान के बराबर का योगदान** करती है।
- **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:** इसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद **प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये** की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन मिलने के दौरान **लाभार्थी की मृत्यु होने पर** लाभार्थी के जीवनसाथी को मूल पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन **केवल लाभार्थी के जीवनसाथी को ही मिलेगी।**
- **अन्य योजनाओं के साथ अनुकूलता:** पात्र व्यक्ति **अटल पेंशन योजना (APY)** के साथ-साथ PM-SYM में भी शामिल हो सकता है।
- **नामांकन एजेंसी:** देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) इस योजना में नामांकन करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- **अंशदानों का नियमित भुगतान:** यदि कोई लाभार्थी लगातार अंशदान करने में विफल रहता है, तो उसके पास अपने **भुगतान को नियमित करने का विकल्प** होता है। इसमें लाभार्थी को **सरकार द्वारा पेनल्टी के रूप में तय किए गए शुल्क** के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
- **नामांकन के लिए निर्धारित शर्तें:** व्यक्ति के पास आधार कार्ड के साथ-साथ IFSC सहित **बचत खाता/ जन धन खाता** होना चाहिए।

> **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) पेंशन योजना**
>
> असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
>
> **पात्रता मानदंड**
>
> - इस योजना के लाभार्थी केवल अंसगठित क्षेत्रक के श्रमिक होंगे।
> - योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
> - मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए
>
> पंजीकरण करने के लिए - maandhan.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण भी साथ ले जाएं

- **योजना को छोड़ने संबंधी प्रावधान और रिफंड:**
  - **10 वर्ष से कम:** यदि लाभार्थी **10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना को छोड़** देता है, तो **केवल लाभार्थी द्वारा किया गया अंशदान बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा** दिया जाएगा।
  - **10 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले:** यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले योजना को छोड़ देता है, तो **लाभार्थी को संचित ब्याज के साथ अपने अंशदान का हिस्सा** प्राप्त होता है। यह संचित ब्याज या तो **फंड द्वारा अर्जित ब्याज होगा या बचत बैंक ब्याज दर के आधार पर** होगा। इनमें से जो भी अधिक होगा, उसका लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाएगा।
  - **60 वर्ष से पहले स्थायी दिव्यांगता:** यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और **योजना में शामिल नहीं रह सकता है,** तो उसके/ उसकी जीवनसाथी के पास नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में बने रहने या योजना को छोड़ने का विकल्प होता है।
- **इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** व्यक्ति को **NPS, ESIC योजना या EPFO** में नामांकित नहीं होना चाहिए और उसे **करदाता** भी नहीं होना चाहिए।

15 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS)

15.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

15.1.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम {PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAM (PMJVK)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PMJVK के अंतर्गत अवसंरचना इकाइयों के लिए **50,000 से अधिक निष्क्रिय प्रस्तावों को रद्द** कर दिया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** विकास की कमी वाले क्षेत्रों का **सामाजिक-आर्थिक विकास** करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है।
- **योजना का विस्तार:** सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिले।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा असंतुलित विकास और विकास के अंतराल को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - इसे 2008-09 में **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** के रूप में शुरू किया गया था। MsDP को 2017-18 में PMJVK के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
    - इस योजना में वर्ष 2022 में पुनः संशोधन किया गया। इसके तहत राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश उन **चिन्हित क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं, जहां अल्पसंख्यक आबादी उस क्षेत्र** (15 किलोमीटर की परिधि) **की कुल आबादी के 25% से अधिक हो।**
- इस योजना को नीति आयोग द्वारा **राष्ट्रीय विकास एजेंडे** के अंतर्गत कोर **ऑफ द कोर योजना** के रूप में चिन्हित किया गया है।

- **लाभार्थी:** इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात् **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदाय** शामिल हैं।
- **दृष्टिकोण**
    - केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए **मांग-आधारित वित्तीय सहायता करना।**
    - हालांकि, इस परियोजना के तहत विकसित अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां **अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता (15 कि.मी. के दायरे में) वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के उपयोग** के लिए होंगी।
- **प्रभावित होने वाले क्षेत्र: लगभग 80% संसाधनों** का उपयोग **प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों** से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
- **महिला सशक्तिकरण: कम-से-कम 33-40% धनराशि का उपयोग** महिलाओं/ लड़कियों हेतु परिसंपत्तियों/ सुविधाओं के निर्माण हेतु किया जाना चाहिए।

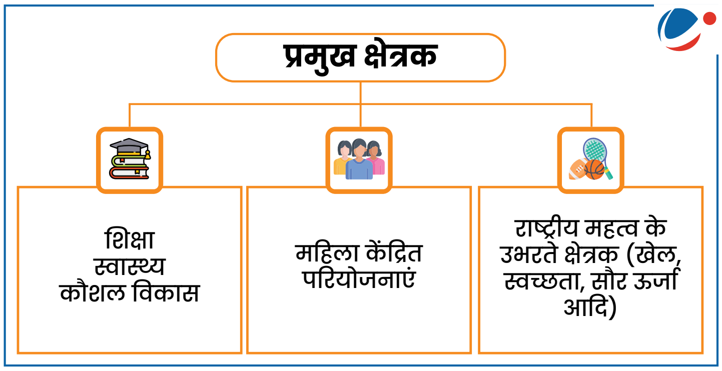

- **प्रधान मंत्री विकास (PM VIKAS) के साथ एकरूपता:** प्रधान मंत्री विकास योजना के तहत **विश्वकर्मा गांवों में कला, शिल्प, कौशल, विरासत** जैसी कौशल विकास से संबंधित **भौतिक बुनियादी सुविधाओं** को भी शामिल किया जाएगा।
- **मोबाइल ऐप PMJVK भुवन:**
    - इसे PMJVK के तहत निर्मित की गई **सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग** करने के लिए विकसित किया गया है।
    - इसके तहत परियोजना के निर्माण/ परियोजना के पूरा होने के अलग-अलग चरणों की तस्वीरों सहित इसकी विशिष्ट विशेषताओं को कैप्चर भी किया जाएगा। इससे परियोजना का **बेहतर कार्यान्वयन / निगरानी सुनिश्चित होगी।**
- **राज्यों के लिए लचीलापन:** PMJVK के तहत **जारी की गई धनराशि किसी विशिष्ट परियोजना से संबंधित नहीं होती है।** इससे राज्यों द्वारा धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

16 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

16.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

16.1.1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES: CGMSE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए **संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (CGMSE)** शुरू की गई है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (Micro & Small Enterprises)** के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाना।
- **ऋण देने वाले संस्थान:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित/ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, आदि।
- **पात्र उद्यम:** मौजूदा और नए, दोनों उद्यम इस योजना के तहत पात्र हैं।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण:** क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट।

अन्य उद्देश्य

- ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना एवं MSE क्षेत्रक के लिए **ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।**
- **गिरवी (कोलैटरल)/ तीसरे पक्ष की गारंटी** के बिना बैंक ऋण उपलब्ध कराना।
- सरकारी सहायता से वंचित या सरकारी सहायता का उचित लाभ न उठाने वालों को वित्त (ऋण) प्राप्त करने में सक्षम बनाना। बैंकों, MFIs आदि से **नई पीढ़ी के उद्यमियों** को वित्त प्राप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को औपचारिक रूप से **2000 में शुरू किया गया था।**
- **पात्र गतिविधियां:** इनमें **विनिर्माण एवं सेवाएं** सहित व्यापार (खुदरा/थोक व्यापार) और शिक्षण/प्रशिक्षण शामिल हैं। **स्वयं सहायता समूह (SHG) और कृषि क्षेत्रक इस योजना** के लिए पात्र नहीं हैं।
- **पात्र ऋण सुविधा:** इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक उधार मांगने वाले को **500 लाख रुपये तक** निधि और गैर-निधि आधारित (लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी आदि) ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है।
- **वार्षिक गारंटी शुल्क (Annual Guarantee Fee: AGF):** योजना के तहत **पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि** पर और शेष अवधि के लिए क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि पर AGF शुल्क वसूल किया जाएगा।
    - **हाल ही में, 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी** की गई है जिसके कारण न्यूनतम गारंटी शुल्क केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर आ गया है।
- **खाता NPAs में बदले जाने पर दावा निपटान:** इसके तहत जब खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल जाते हैं तो ऋण देने वाली संस्था क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी संबंधी प्रावधान को लागू कर सकती है।
    - हालांकि, गारंटी को लागू करने से पहले कानूनी कार्यवाही संबंधी पूर्व शर्त को अब 10 लाख रुपये (पहले 5 लाख रुपये) तक की ऋण सुविधाओं के लिए छूट दी गई है।
- **गारंटी की अवधि:** इस योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण/ मिश्रित ऋण की स्वीकृत अवधि तक के लिए है। कार्यशील पूंजी के मामले में, गारंटीकृत कवर **5 वर्ष या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होता है।**
- **CGTMSE: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सिडबी** ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की है।
    - CGTMSE की निधि में **भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1** के अनुपात में अंशदान दिया जा रहा है।

MSMEs का वर्गीकरण

सूक्ष्म (Micro)
प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश: 1** करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और
वार्षिक टर्नओवर: अधिकतम 5 करोड़ रुपये

लघु (Small)
प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश:** 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और
वार्षिक टर्नओवर: अधिकतम 50 करोड़ रुपये

मध्यम (Medium)
प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश:** 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और
वार्षिक टर्नओवर: अधिकतम 250 करोड़ रुपये।

16.1.2. पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **विश्वकर्मा जयंती** के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए **'पी.एम. विश्वकर्मा' योजना** शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को **समग्र समर्थन** प्रदान करना है।
- **कवरेज:** यह योजना **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू** की जाएगी। इसे **जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को **विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता देना और कौशल उन्नयन** प्रदान करना
- उन्हें विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए **उनके ब्रांड के प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म** प्रदान किया जाएगा।
- विश्वकर्मा कर्मियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए **डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा** दिया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

- **अंतर-मंत्रालयी:** इस योजना का प्रबंधन **निम्नलिखित** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME);**
  - **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) तथा**
  - **वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग (DFS)**
- **पात्रता के लिए मानदंड:** कारीगर-
  - **जो हाथों एवं औजारों की सहायता से कार्य करने वाले** तथा स्वरोजगार के आधार पर **असंगठित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त परिवार-आधारित पारंपरिक व्यापार** (इन्फोग्राफिक्स देखें) में से किसी एक में संलग्न हो और
  - **जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो,**
- **योजना के तहत अपात्रता:**
  - ऐसे कारीगर या शिल्पकार जिन्होंने **पिछले 5 वर्षों** में स्व-रोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार की **समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत ऋण लिया है।**

» **अपवाद:** यह **मुद्रा (MUDRA) और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों** के लिए है, जो उपर्युक्त अवधि के भीतर अपने ऋण का पूरा भुगतान कर देते हैं। वे विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं।

» **सरकारी सेवा** में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र **नहीं** हैं।

- **परिवार के सदस्यों पर सीमा:** इस योजना के तहत लाभ **परिवार के किसी एक सदस्य** को ही दिया जाएगा।
  - इस योजना में एक 'परिवार' के तहत **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों** को शामिल किया गया है।
- **लाभ**
  - **मान्यता देना:** इसके तहत **पी.एम. विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार्ड** प्रदान करके कारीगरों व शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी।
  - **कौशल को बढ़ाना:** इसके तहत **5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक की अवधि का एडवांस प्रशिक्षण** दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान **500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय** दिया जाएगा।
  - **टूलकिट संबंधी प्रोत्साहन:** बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में **ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट से संबंधित प्रोत्साहन** दिया जाएगा।

  - **ऋण आधारित सहायता:** दो किश्तों में **3 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण'** प्रदान किया जाएगा।

» योजना के लाभार्थियों को पहले चरण में **एक लाख रुपये का ऋण** दिया जाएगा। इसे **18 महीनों** में चुकाना होगा। दूसरे चरण में लाभार्थियों को **दो लाख रुपये तक का ऋण** दिया जा सकता है। इस ऋण को **30 महीनों** में चुकाना होगा।

» **ब्याज की रियायती दर:** लाभार्थियों को **5 प्रतिशत** की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऋण पर दी गई **8 प्रतिशत की ब्याज छूट का भुगतान** भारत सरकार करेगी।

» DFS सचिव की अध्यक्षता वाली क्रेडिट ओवरसाइट समिति मौजूदा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए 8% की ब्याज छूट की सीमा को संशोधित कर सकती है।

- **उद्यम विकास ऋण हेतु पात्रता मानदंड:**
  - **पहली किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** जिन लाभार्थियों ने **बुनियादी प्रशिक्षण पूरा** कर लिया है, वे ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  - **दूसरी किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** इसके लिए **निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:**
    - » जिन लाभार्थियों ने **पहली किस्त का लाभ उठाया है,**
    - » एक **मानक ऋण खाता** बनाए रखा है, तथा
    - » या तो उन्होंने अपने काम में **डिजिटल लेन-देन को अपनाया** है या
    - » **एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त** किया है।
- **डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन:** एक माह में **अधिकतम 100 लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन 1 रुपये** का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **मार्केटिंग से संबंधित सहायता:** इस योजना के तहत **नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग (NCM)** पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों के लिए मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग में सहायता प्रदान करेगी।
  - NCM विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों के उत्पादों की **गुणवत्ता के प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग** के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- **लाभार्थियों का नामांकन:** इस योजना के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित पी.एम. विश्वकर्मा पोर्टल** पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा **कॉमन सर्विस सेंटर** पर उपलब्ध रहेगी।
- **समावेशिता:** योजना के तहत निम्नलिखित समुदायों का सशक्तीकरण करना है-
  - **महिलाएं;**
  - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBCs, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जैसे हाशिए पर रहने वाला समुदाय; तथा**
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, द्वीपीय राज्यक्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी।**
- **सामाजिक सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना:** केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी जैसे:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना;
  - अटल पेंशन योजना;
  - प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना आदि।
- **कार्यान्वयन फ्रेमवर्क:** इस योजना की **कार्यान्वयन संरचना त्रि-स्तरीय है।** इसमें शामिल हैं: राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति।
- **ऋण गारंटी: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों को गारंटी कवरेज प्रदान करेगा:

17 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY)

17.1. शुरू की गई नई योजना (NEWLY LAUNCHED SCHEME)

17.1.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सोलर रूफटॉप पैनल की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आवासीय परिसरों को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए सशक्त बनाना।
- **मॉडल सौर ग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में एक गांव विकसित किया जाएगा।
- **स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन:** शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में RTS की स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अवधि: 2024 से 2026-27 तक**

अन्य उद्देश्य

- **आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) के जरिए 30 गीगावॉट (GW) सोलर कैपेसिटी** की स्थापना करना।
- **RTS की स्थापना से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ सस्ती बिजली प्रदान करने में मदद** करना।
- कार्यक्रम के तहत स्थापित क्षमता के जरिए **1,000 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय बिजली** का उत्पादन करना।
- **घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने** के लिए विनियामकीय समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ इसके लिए **आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित** करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ **स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देना।

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2019 में **ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण** को लॉन्च किया गया था। इसे **2025-26 तक लागू** किया जाना है। अब इस योजना को **पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया है।**

- चरण II ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्रक में केंद्रीय वित्तीय सहायता के जरिए 40 GW RTS क्षमता को जोड़ना है।

आवासीय इकाई के प्रकार	**CFA**	**CFA (विशेष श्रेणी वाले राज्य)**
पहले 2 kWp की RTS क्षमता या उसका भाग	Rs 30,000/kWp	Rs 33,000/kWp
1 किलोवाट की अतिरिक्त RTS क्षमता या उसका भाग	Rs 18,000/kWp	Rs 19,800/kWp
3 किलोवाट से अधिक की अतिरिक्त RTS क्षमता	कोई अतिरिक्त CFA नहीं	Rs 19,800/kWp
500 किलोवाट तक की ईवी चार्जिंग (प्रति घर 3 किलोवाट की दर से) सहित साझा सुविधाओं वाली **ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/RWA** आदि।	Rs 18,000/kWp	Rs 19,800/kWp

- **सब्सिडी संरचना:** इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Support: CFA) के जरिए **आवासीय क्षेत्रक में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना में मदद की जाएगी:**
- **CFA का लाभ उठाने के लिए शर्तें**
  - CFA, स्थापित किए जाने वाले **इन्वर्टर के आकार के निरपेक्ष प्रदान किया जाएगा।**
  - स्थापना में प्रयुक्त सौर मॉड्यूल के मामले में **घरेलू सामग्री अनिवार्यता (Domestic Content Requirement) शर्त** को पूरा करना होगा।
  - आवासीय उपभोक्ताओं/ RWAs द्वारा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हेतु जिन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए पूर्व/वर्तमान योजना के तहत CFA का लाभ उठाया है और **उन्होंने बाद में RTS इंस्टॉलेशन का आकार बढ़ाया है,** वे वर्तमान योजना के तहत केवल समग्र RTS संयंत्र आकार की 3 किलोवाट तक की शेष क्षमता के लिए अतिरिक्त CFA के लिए पात्र होंगे।
- **आवासीय RTS की स्थापना के लिए ऋण:** परिवार 3 किलोवाट तक की RTS प्रणालियों की स्थापना के लिए लगभग 7% के जमानत रहित (कोलैटरल फ्री) कम-ब्याज दर वाले ऋण ले सकते हैं।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह पोर्टल **परिवारों को निम्नलिखित सुविधा** प्रदान करेगा:
  - **सब्सिडी के लिए आवेदन करना** और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए **उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में।**
  - रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने से संबंधित परिवारों को **किस क्षमता का सिस्टम लगवाना, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग** आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में।
- **अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता:** क्षमता निर्माण, जागरूकता और आउटरीच आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **लाभार्थियों की सुरक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों से अधिक शुल्क न लिया जाए, मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय पोर्टल पर **सौर मॉड्यूल, इनवर्टर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित** करेगा।
- **गुणवत्ता संबंधी आश्वासन:** यह योजना CFA हेतु पात्रता हेतु रूफटॉप सोलर के लिए अनिवार्य न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं को लागू करेगी।
- **राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान:** आवासीय क्षेत्रक में RTS के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए CFA के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें **अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं।**

18 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS)

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

18.1.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी {NATIONAL PROGRAMME FOR CIVIL SERVICES CAPACITY BUILDING (NPCSCB)- MISSION KARMAYOGI}

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्मयोगी भारत ने **iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म** पर "कर्मयोगी प्रारंभ" कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ मनाई। "कर्मयोगी प्रारंभ" कार्यक्रम कर्मयोगी मिशन की एक पहल है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** यह **सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का निर्धारण करता है।
- **योजना का कवरेज:** यह **कार्यक्रम** केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवकों** के लिए है। इसके तहत **कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर** किया गया है
- **My iGOT:** यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।
- **क्यूरेटेड कार्यक्रम: यह कार्यक्रम, मंत्रालयों/ विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।**

अन्य उद्देश्य

- **भारतीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण दृष्टिकोण को बदलने** के लिए एक मजबूत **डिजिटल इकोसिस्टम/ परिवेश** की स्थापना करना। इससे अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु कभी भी, कहीं भी **निरंतर सीखने** में सक्षम बनाया जा सकेगा।

मुख्य विशेषताएं

- **मिश्रित कार्यक्रम:** इसमें **सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। इसमें **ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
- **विकास/VIKAS (वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट):** यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है।

- **12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** विकसित किए गए हैं।
- **मुख्य बिंदु/ दृष्टिकोण:**
  - सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को **पद की आवश्यकता के साथ उनकी क्षमताओं को जोड़ते हुए** तय करना।
  - 'ऑफ-साइट लर्निंग' के साथ-साथ **'ऑन-साइट लर्निंग'** पर जोर देना।
  - **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना के एक इकोसिस्टम** का निर्माण करना, जिसमें लर्निंग सामग्री, संस्थान और कार्मिक शामिल हैं।
- **संस्थानिक संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की मानव संसाधन (PMHR) परिषद**
  - **मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय यूनिट**
  - **क्षमता विकास आयोग**
  - **कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पज व्हीकल (एक गैर-लाभकारी कंपनी)**
- **कर्मयोगी प्रारंभ** एक प्रकार का **ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है।**
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य **'रोजगार मेलों'** से भर्ती किए गए सभी **नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान** करना है।
  - कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम **आठ पाठ्यक्रमों का एक सेट** है, जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है।
- **संभावित प्रभाव:** भविष्य में **1.5 करोड़ सरकारी अधिकारियों** को प्रत्यक्ष लाभ होगा और सिविल सेवाओं द्वारा सशक्त बनने वाले **नागरिकों** पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ

नीतिगत फ्रेमवर्क (Policy Framework)
नई प्रशिक्षण नीतियां, जिसमें लगातार ज्ञान अर्जित करने तथा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

क्षमतागत फ्रेमवर्क (Competency Framework)
स्वदेशी क्षमतागत ढांचे के जरिए "नियम (Rule) से भूमिका (Role)" में तब्दील होना

संस्थागत फ्रेमवर्क (Institutional Frame-work)
PMHR परिषद द्वारा निगरानी की जाएगी

iGOT-कर्मयोगी
व्यापक स्तर पर लर्निंग प्लेटफॉर्म

ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)
नीतिपरक मानव संसाधन प्रबंधन

निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क
लगातार कार्य निष्पादन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य निर्धारण तथा वास्तविक समय में निगरानी

19 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

19.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 {PRADHAN MANTRI UJJWALA YOJANA (PMUY) 2.0}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का विस्तार किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महिलाओं को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- **योजना के तहत आवेदक:** केवल महिलाएं जिनकी **आयु कम-से-कम 18 वर्ष** हो।
- **योजना के लाभ:** नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं एवं बच्चे

अन्य उद्देश्य

- उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जिन्हें PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया** जा सका था।

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन** प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी।
  - 31 अक्टूबर 2023 तक, PMUY के तहत **9.67 करोड़ सक्रिय LPG कनेक्शन** प्रदान किए जा चुके हैं।
- **पात्रता:** किसी निर्धन परिवार की **ऐसी वयस्क महिला** इस योजना के लिए पात्र होगी, **जिसके परिवार में कोई LPG कनेक्शन नहीं है। योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी:**

- सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011 सूची के अनुसार पात्र हो, या
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित हो,
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) व अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** के लाभार्थी हों,
- वनवासी हो तथा **अति पिछड़ा वर्ग (MBC),** चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति या नदी द्वीप में रहने वाले समुदाय से हो।

> **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूर्ण**
>
> *खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक सार्वभौमिक पहुंच*
>
> **विश्व भर में भारत की उज्ज्वला योजना की सराहना**
>
> *"प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि*
>
> *अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)*

- **सब्सिडी:**
  - प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल वाले 12 सिलेंडर्स पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये** की सब्सिडी दी जाती है।
- **प्रवासी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण का सरलीकरण:** प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक **स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त** होगा।
- **योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** जिस परिवार ने किसी तेल विपणन कंपनी से कोई अन्य LPG कनेक्शन लिया हुआ है।

20 पंचायती राज मंत्रालय (MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ)

20.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

20.1.1. स्वामित्व योजना (SVAMITVA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, स्वामित्व योजना को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए ई-गवर्नेंस 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।
- स्वामित्व/ SVAMITVA का पूरा नाम है- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आवासीय (आबादी) संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India)
- **कवरेज:** यह सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

अन्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु **भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना एवं संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना।**
- ग्रामीणों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर **वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।**
- **संपत्ति कर का निर्धारण करना।** यह कर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से उन ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, इसे राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा।
- **सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना** और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके **बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता करना।**

मुख्य विशेषताएं

- इसका उद्देश्य **ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत, आबादी-परिसंपत्ति स्वामित्व समाधान** प्रदान करना है।
  - इस योजना का लक्ष्य **ग्रामीण परिवारों के मुखिया** को संपत्ति कार्ड/ स्वामित्व दस्तावेज के रूप में **'अधिकार अभिलेख (Record of rights)'** प्रदान करना है।
- योजना का लक्ष्य **वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 6.62 लाख गांवों** को कवर करना है।
- **योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख गतिविधियां:**
  - **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा।
    - योजना के तहत जियो-रेफरेन्स का उपयोग करके मानचित्र **तैयार किया जा रहा है।** यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की **डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक होगा।**
    - बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का **दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर है।**
- **निरंतर संचालित रेफरेन्स स्टेशन (CORS) की स्थापना:** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जो स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है।
- **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के जरिए संपत्ति कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- **ग्राम-मानचित्र (Gram Manchitra): स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' एवं केंद्रीय अवसंरचना** के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को धनराशि आवंटित की गई है।
- योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां** शुरू की गई हैं।

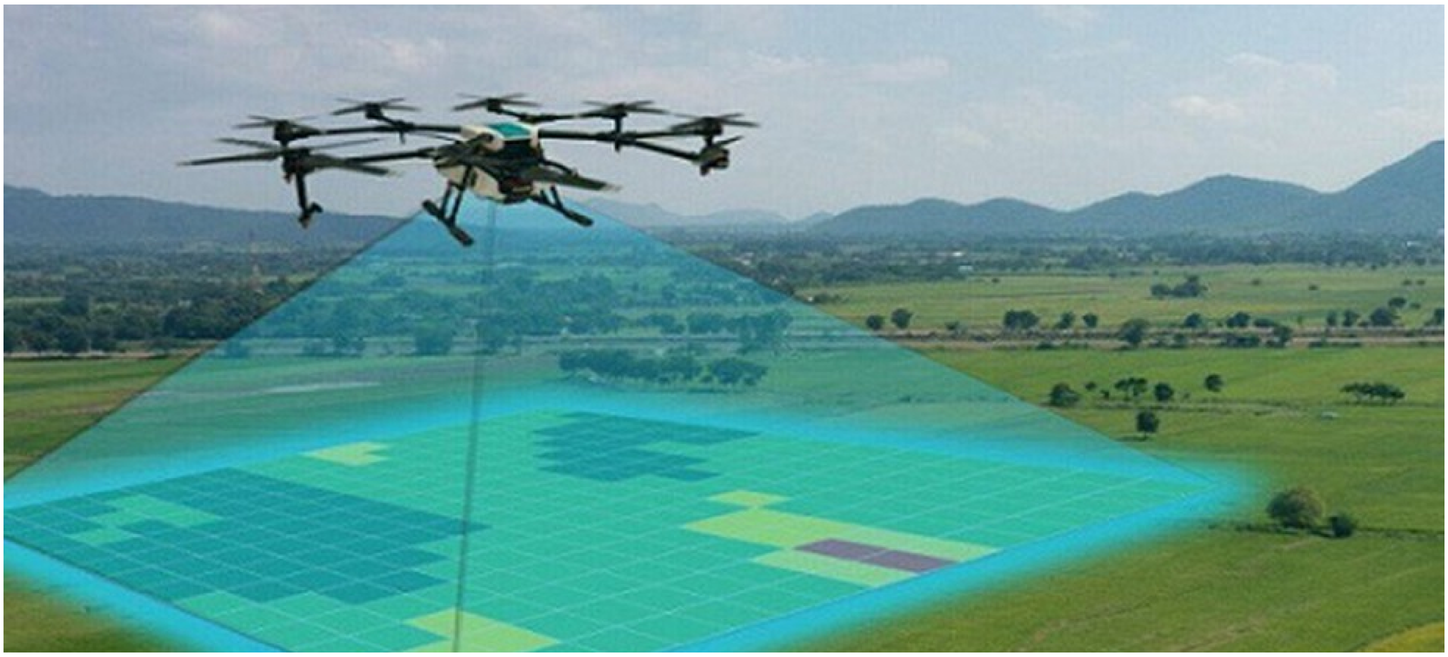

21 विद्युत मंत्रालय (MINISTRY OF POWER)

21.1. शुरू की गई योजनाएं (NEWLY LAUNCHED SCHEME)

21.1.1. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR) {MISSION ON ADVANCED AND HIGH-IMPACT RESEARCH (MAHIR)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: विद्युत क्षेत्रक में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों** के **स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन** को सुगम बनाना।
- **योजना का दृष्टिकोण:** यह मिशन **किसी विचार को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाएगा।**
- **अंतर-मंत्रालयी सहयोग:** यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सहयोग से शुरू की गई है।
- **योजना की अवधि:** इस योजना की अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है।

अन्य उद्देश्य

- यह ऊर्जा क्षेत्रक के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं भविष्य में प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रकों की **पहचान** करेगा।
- यह ऊर्जा क्षेत्रक के लिए **एक जीवंत और नवोन्मेषी परिवेश का निर्माण** करेगा। साथ ही, यह विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए इस क्षेत्रक के हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा।
- यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की **प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान** करेगा तथा उनके वाणिज्यीकरण को आसान बनाएगा।
- ऊर्जा क्षेत्रक में अनुसंधान व विकास में तेजी लाने के लिए **विदेशी गठबंधनों और भागीदारी का लाभ उठाएगा।**
- यह मिशन विद्युत क्षेत्रक में **भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने** में मदद करेगा।

मुख्य विशेषताएं

- **मिशन की संरचना**
  - सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) की अध्यक्षता में गठित **तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति (Technical Scoping Committee)।**
    - » **भूमिका:** अनुमोदित परियोजनाओं के विकास एवं निगरानी के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों की **पहचान करना और उनकी सिफारिश करना आदि।**
  - केंद्रीय मंत्री (विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) **की अध्यक्षता में शीर्ष समिति।**
    - » **भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** प्राप्त करना, **अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना और निगरानी करना।**

- **कवरेज: दुनिया भर की** कंपनियों/ संगठनों से **आउटकम-लिंक्ड फंडिंग** के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- **प्रस्ताव का चयन: गुणवत्ता सह लागत-आधारित चयन (Quality cum Cost-Based Selection)** के आधार पर किया जाना है।
- **पेटेंट:** विकसित **तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को भारत सरकार** और **अनुसंधान एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेही: मिशन की प्रारंभिक अवधि के अंत में** एक विश्वसनीय **तृतीय पक्ष** के जरिए मिशन का मूल्यांकन किया जाएगा।
- **वित्त-पोषण:** विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम और केंद्र के बजटीय संसाधनों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

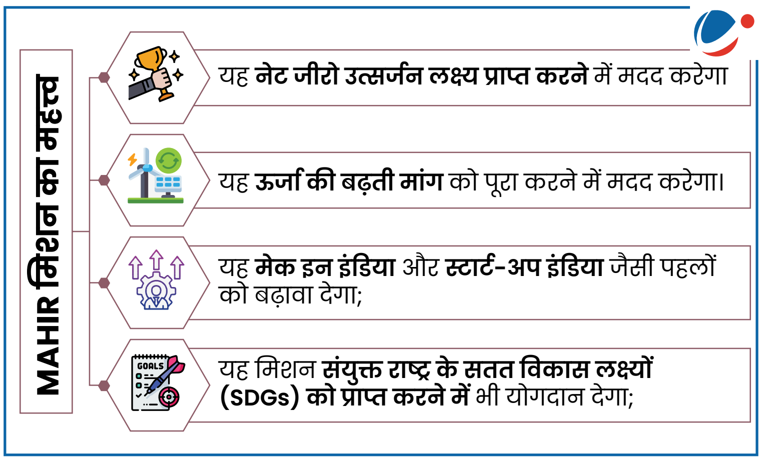

नोट: CEA, **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्रक में तकनीकी मानक और नियम बनाना है।

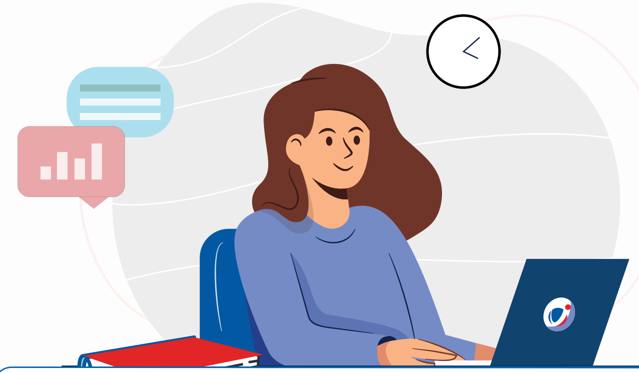

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगे।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफलाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

22 ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

22.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

22.1.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 {MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT (MGNREGA) 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मनरेगा (MGNREGA) से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है एवं इसके के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में** अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए **पूरक/ सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार** बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले **किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु का सदस्य।**
- **निगरानी तंत्र:** ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक लेखापरीक्षा** करके योजना की निगरानी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- यह योजना **एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी** देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल शारीरिक श्रम** करने का इच्छुक होता है।

मुख्य विशेषताएं

- **कवरेज:** इसमें सौ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर देश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
- **वित्त-पोषण साझाकरण**
    - **केंद्र सरकार का योगदान:** अकुशल श्रम लागत का 100% और **सामग्री लागत का 75% वित्त पोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
    - **राज्य सरकारों का योगदान:** राज्य सरकारें **सामग्री लागत का 25% हिस्सा** वहन करती हैं।

- **मांग संचालित एवं जन केंद्रित**
  - **गारंटीकृत रोजगार:** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध** करवाया जाता है। यह कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है।
  - **बेरोजगारी भत्ता:** इसके तहत मांग के **15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता** दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

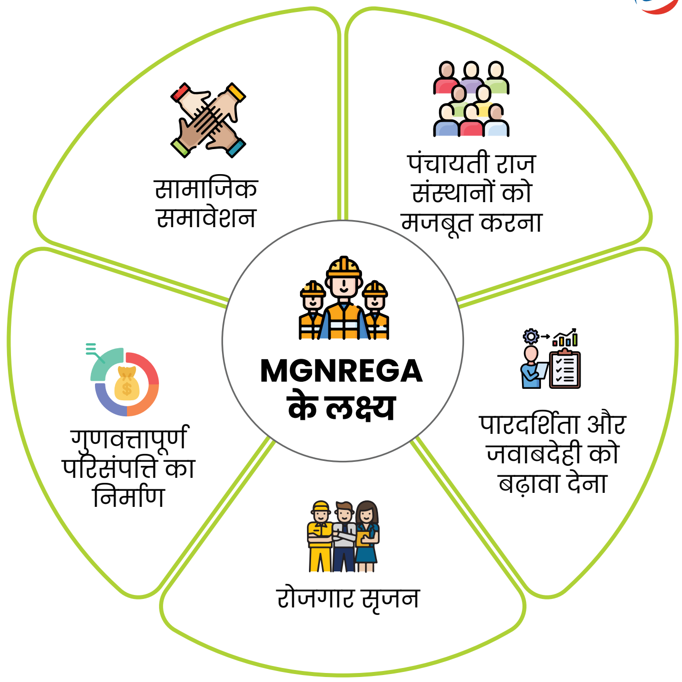

- **अतिरिक्त रोजगार:**
  - **एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम आधारित रोजगार** उपलब्ध करवाया जाता है।
    - » हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **सूखे/प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** ही लागू किया जाता है।
    - » वन क्षेत्रों में निवास करने वाले **अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार** को, 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त यह है, कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।
  - **राज्यों के विवेकाधिकार:** राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।

मजदूरी करने वाले के अधिकार

- पीने योग्य स्वच्छ जल
- आराम करने की सुविधा
- फर्स्ट एड बॉक्स एवं दवा की उपलब्धता
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा (चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम-से-कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है।)

- **दुर्घटना संबंधी मुआवजा**
  - यह कार्य स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना मुआवजे के दावे का प्रावधान करता है।
  - इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप **स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में पूर्व अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान** किया गया है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस योजना के **कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
- **अपरिवर्तनीय (गैर-परक्राम्य) प्रावधान (Non-negotiable provisions)**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**

- बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) के **केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य निष्पादन।**
- किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर **सभी को समान वेतन।**
- **मजदूरी का निर्धारण:** इसका निर्धारण **अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचित काम की गुणवत्ता** और **मजदूरी दरों** के आधार पर किया जाता है।
  - इसके अलावा, मजदूरी की **गणना विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार की जाती है।**
- **मजदूरी का भुगतान:**
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उसकी मजदूरी का भुगतान** किया जाता है।
  - **कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान** कर दिया जाता है।
- **ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड: अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक ग्रामीण परिवार का कोई भी सदस्य, ग्राम पंचायत** में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और **जॉब कार्ड प्राप्त** कर सकता है।
- **सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग:** निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग GeoMGNREGA के तहत करता है। इसे **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने विकसित किया है।

22.1.2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME: NSAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने **2017-18 से 2020-21** के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के परफॉर्मेंस ऑडिट पर एक रिपोर्ट जारी की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों** से संबंधित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि को **सामाजिक सहायता प्रदान करना** है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 41 में राज्य को कुछ मामलों में नागरिकों को **सार्वजनिक सहायता प्रदान करने** का निर्देश दिया गया है।
- **निगरानी तंत्र:** राष्ट्रीय स्तर के निगरानी तंत्रों (NLMs) के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा और वार्षिक सत्यापन।

अन्य उद्देश्य

- **राज्यों द्वारा अन्य लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना।**

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और **इसमें पांच उप-योजनाएं** (3 पेंशन से संबंधित और 2 गैर-पेंशन से संबंधित) शामिल हैं।
- **लाभार्थियों की पहचान**
  - **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना** या SECC 2011 (BPL सूची का उपयोग उस अवधि के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जब SECC तैयार नहीं किया गया था)।
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों** के लाभार्थियों को कवर किया जाता है।
- **पेंशन सहायता**
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): 60-79 वर्ष** की आयु वाले BPL व्यक्ति **200 रुपये** और **उससे अधिक आयु होने पर 500 रुपये** की मासिक पेंशन के हकदार हैं।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS): 40-59 वर्ष** की **BPL विधवाएं 200 रुपये** की मासिक पेंशन की हकदार हैं।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS): गंभीर रूप से** एवं **एक से अधिक अंग से निःशक्त 18-59 वर्ष** की आयु वाले BPL व्यक्ति 200 रुपये की मासिक पेंशन के हकदार हैं।
- **गैर-पेंशन सहायता**
  - **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):** यदि BPL परिवार में **कमाने वाले प्रमुख सदस्य** (18 से 64 वर्ष की आयु के) **की मृत्यु** हो जाती है, तो वे **10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि के हकदार** हैं।
  - **अन्नपूर्णा योजना:** उन **वरिष्ठ नागरिकों** को **प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान** किया जाता है, जो पात्र होते हुए भी **IGNOAPS के अंतर्गत नहीं आते हैं।**

22.1.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA: PMGSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने PMGSY पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय तंत्र अपनाया गया है।
- **योजना की अवधि:** इस योजना की अवधि 2024-25 तक है।

अन्य उद्देश्य

- **ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र अनकनेक्टेड बस्तियों के लिए** आवश्यक पुल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं से युक्त **सभी मौसम में प्रयोग वाली सड़क** के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

- **केंद्र और राज्यों के बीच वित्त-पोषण का साझाकरण**
  - आठ पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के मामले में केंद्र एवं राज्य के बीच **90:10** के अनुपात में वित्त-पोषण में हिस्सेदारी की जाएगी,
  - शेष सभी राज्यों के मामले में यह अनुपात **60:40** होगा।
- **सड़कें**
  - **जिन सड़कों का निर्माण किया जाना है उनके चयन का आधार:** सड़क निर्माण का चयन विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया जता है, जैसे- जनसंख्या, बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं आदि।
  - **निर्माण कार्य:**
    - » **निर्माण के मानक: भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC)** ने ग्रामीण सड़कों के ज्यामितीय मानकों, डिजाइन, निर्माण कार्य और रख-रखाव पर **एक मैनुअल प्रकाशित** किया था।
    - » **क्रियान्वयन:** PMGSY सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा **कम-से-कम 10 वर्षों** की तक अच्छी अवस्था में रहने के लिए डिजाइन किया जाता है।
  - **रख-रखाव:**
    - » **सड़क निर्माण के 5 साल बाद राज्य सरकारों को** सड़कों के रख-रखाव के लिए **पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना होगा।**

PMGSY के विभिन्न चरण

PMGSY-I

- **इस योजना को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था।** इसे निर्दिष्ट जनसंख्या आकार **की पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने** के लिए शुरू किया गया था।
  - मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी होनी चाहिए, और
  - पूर्वोत्तर, पहाड़ी आदिवासी और मरुस्थली क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी होनी चाहिए।

PMGSY -II

- इसे PMGSY-I के दौरान 2013 में शुरू किया गया था। **इसे गांवों को जोड़ने के लिए पहले से बनी** 50,000 किलोमीटर की **सड़कों का उन्नयन करने के लिए** शुरू किया गया था।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA)

- इसे PMGSY के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए **2016 में** एक पृथक कार्य योजना के रूप **में शुरू किया गया था।**
- **कवरेज: 44 जिले 9 राज्यों** से संबंधित हैं। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

PMGSY-III

- 2019-20 में लॉन्च किया गया और इसे 2024-25 तक चलाया जाएगा।
- इसे 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अलग-अलग सुविधाओं से जोड़ने के लिए आरंभ किया गया था। उदाहरण के लिए- ग्रामीण बस्तियों से ग्रामीण कृषि बाजारों आदि तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी प्रदान करना।

» **PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (eMARG):** eMARG अधिकारियों, ठेकेदारों, बैंकों एवं आम जनता की सहायता के लिए एक **GIS-आधारित** एंटरप्राइज़ ई-गवर्नेंस समाधान है।

- यह एक **एंड-टू-एंड समाधान** है, जो इंटरनेट के माध्यम से तय भूमिका-आधारित पहुंच प्रदान करता है।

- **गुणवत्ता आश्वासन: राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA),** PMGSY कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (NQMs) नियुक्त करती है।
- **निगरानी:**
  - आधुनिक वेब आधारित **ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (OMMAS)** को शुरू किया गया है।
  - लाभान्वित बस्तियों में PMGSY के तहत निर्मित सड़कों पर स्थानीय भाषा में प्रमुख स्थानों पर **नागरिक सूचना बोर्ड और कार्य सूचना बोर्ड** लगाए जाते हैं।
  - जिला स्तर पर, एक सांसद (लोक सभा) की अध्यक्षता में **जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा/ Disha)** PMGSY के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
  - **उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी नागरिक सुझाव और शिकायत निवारण प्रणाली के लिए "मेरी सड़क" ऐप** को लॉन्च किया गया है। साथ ही, इस ऐप को OMMAS के साथ एकीकृत भी कर दिया गया है।
- **न्यू/ ग्रीन टेक्नोलॉजी:** अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स तकनीक, सेल फिल्ड कंक्रीट, स्टेबलाइजेशन के लिए सीमेंट और चूने का उपयोग, नैनो तकनीक और फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) का उपयोग किया जा रहा है।

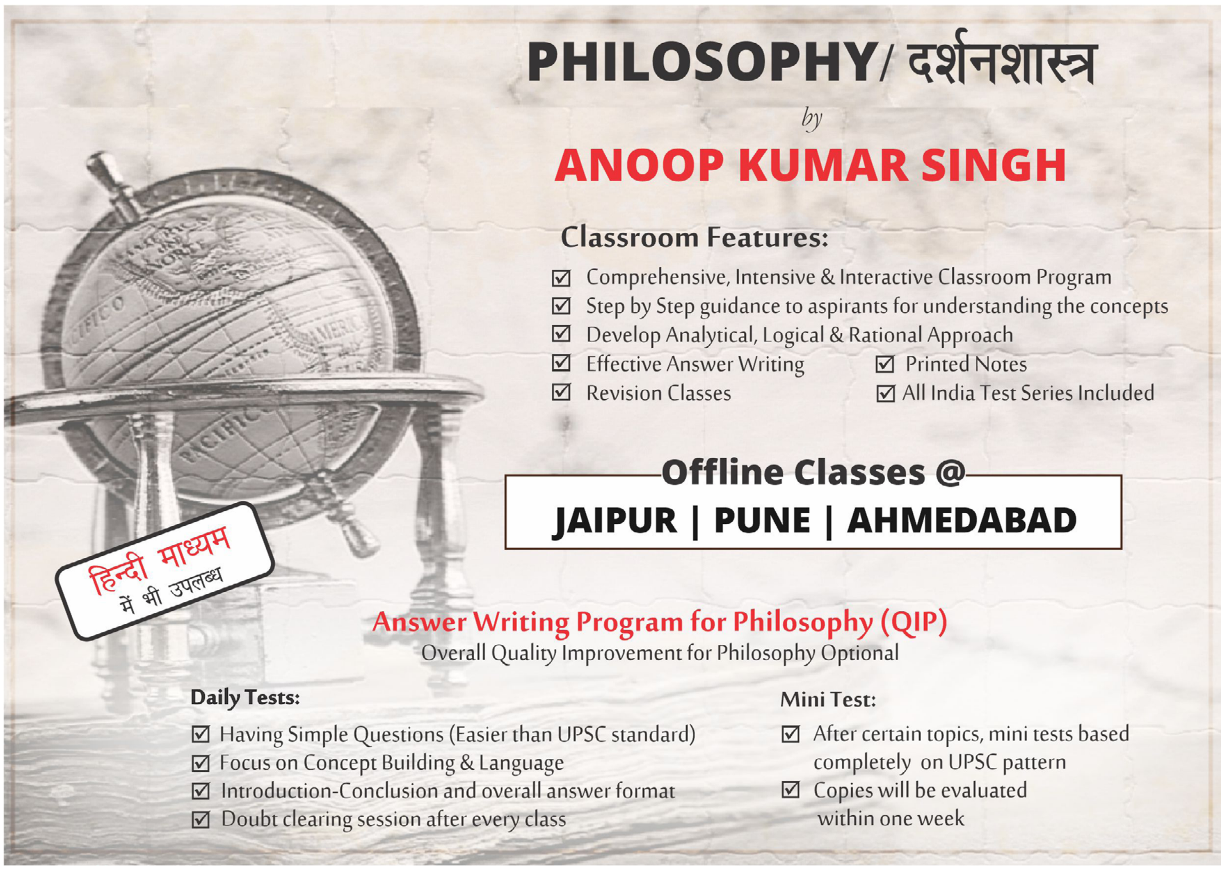

23 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP)

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

23.1.1. स्किल इंडिया प्रोग्राम (SKILL INDIA PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्किल इंडिया प्रोग्राम के 8 वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए **स्किलिंग, रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग** पर केंद्रित है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **वित्त-पोषण:** मंत्रालय का एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD), मिशन के वित्त विंग के रूप में कार्य करता है।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी मिशन के निदेशालय द्वारा की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- भारत के **युवाओं को वैश्विक बाजारों के लिए श्रम बल संसाधन** के रूप में तैयार करना।
- विशेष रूप से उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **कौशल विकास कार्यक्रमों में विविधता लाना।**
- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता** सुनिश्चित करना।
- केवल प्रमाण-पत्र आधारित योग्यता के बजाय **बाजार के अनुरूप कौशल** प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत **कौशल विकास और उद्यशीलता मंत्रालय ने 2015** में की थी।
  - **सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों** के जरिए पूरे भारत में अलग-अलग कौशल विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

- **स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल विकास योजनाएं शामिल हैं**
  - **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** वर्तमान में PMKVY 3.0 को जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
    - » PMKVY 3.0 के तहत **7.4 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है,** 66 प्रतिशत को प्रमाण-पत्र दिया गया है और 41,437 लोगों को रोजगार मिला है।
  - **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:** इसमें **ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों, नव-साक्षरों और पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान** किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन कौशलों की पहचान करके दिया जाता है, जिनका संबंधित क्षेत्रों में प्रासंगिक बाजार है।
  - **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना:** इसके तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले **औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इन प्रतिष्ठानों ने अब तक **21.4 लाख प्रशिक्षुओं** की नियुक्ति की है।
  - **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:** यह योजना 14,938 **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण** प्रदान करती है। वर्ष 2015 से अब तक 91.7 लाख छात्रों को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

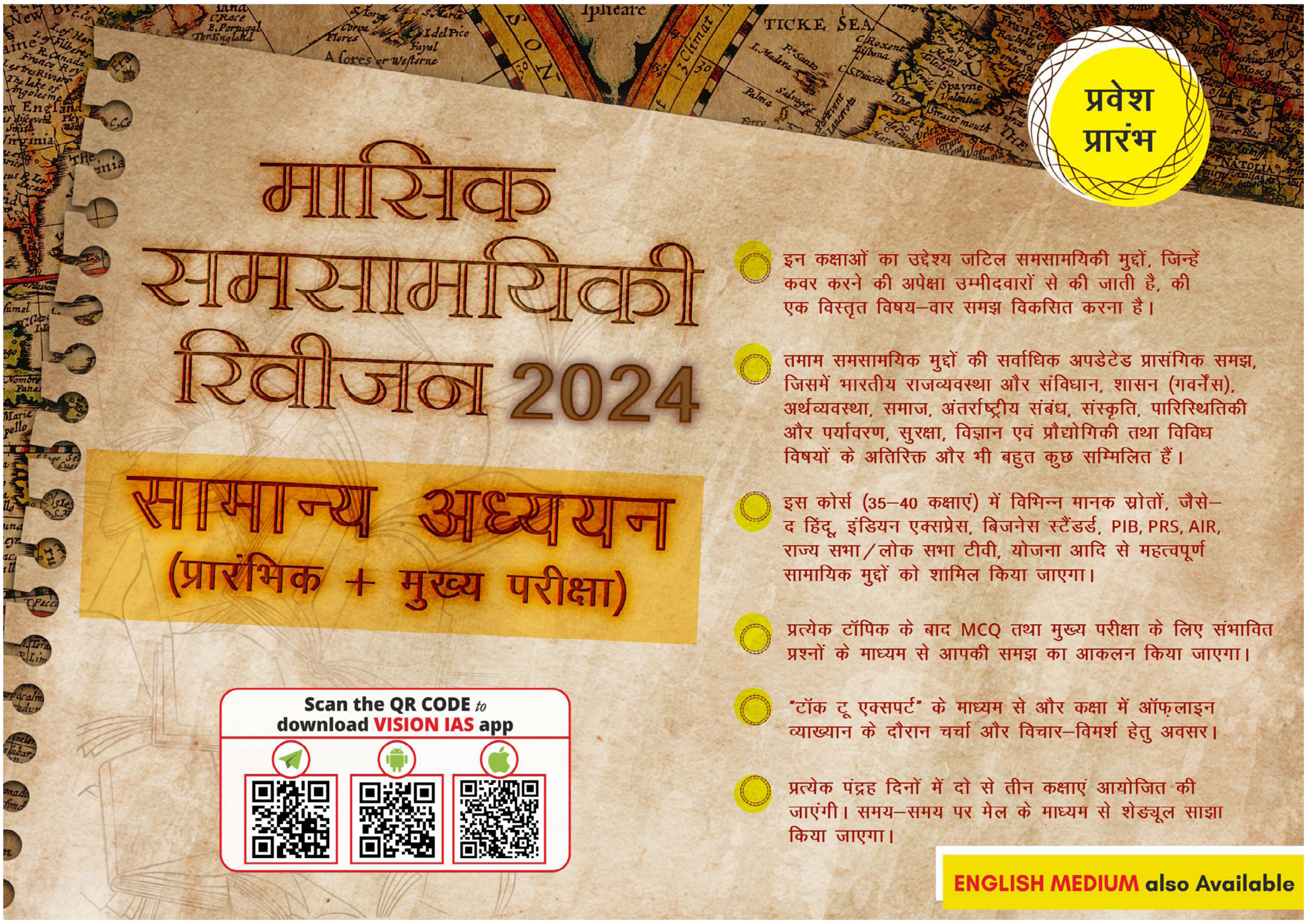

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएँ

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्खियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

24 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

24.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

24.1.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (MISSION SHAKTI: AN INTEGRATED WOMEN EMPOWERMENT PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने बताया कि मिशन शक्ति के **"नारी अदालत"** घटक का पहला चरण **असम तथा केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K)** में कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्मरणीय तथ्य

- **कार्यक्रम के उद्देश्य:** जीवन-चक्र **निरंतरता के आधार पर** महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **निगरानी: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (Hub for Empowerment of Women: HEW)** योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
- **अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

- महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उन पर **देखभाल के बोझ को कम करना।** साथ ही, कौशल विकास आदि को बढ़ावा देकर **महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाना।**
- हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को **तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल, समर्थन व सहायता** प्रदान करना।
- लोगों को **सरकारी योजनाओं** के बारे में जागरूक करना और कर्मचारियों का **क्षमता निर्माण करना एवं उन्हें प्रशिक्षण** प्रदान करना। साथ ही, सहयोगी मंत्रालयों/ विभागों के साथ सहयोग करना आदि।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं- संबल एवं सामर्थ्य (इन्फोग्राफिक्स देखें)**

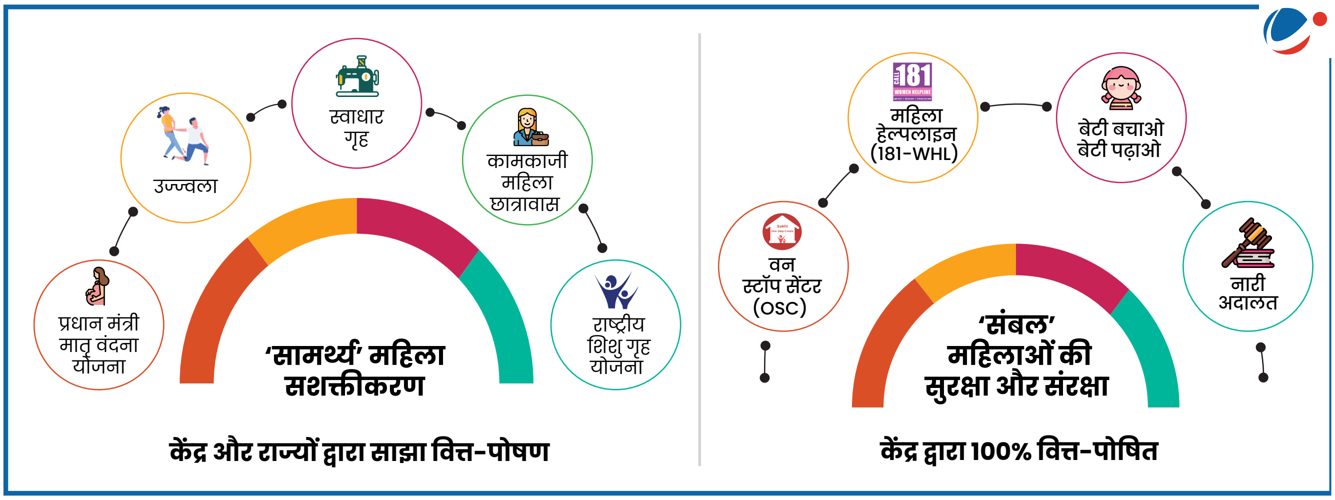

- **संबल: महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा के लिए योजना**
  - **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** इसके तहत **निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित व पीड़ित** महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।
  - **महिला हेल्पलाइन (Women Helpline: WHL)-** इसके तहत ऐसी **महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा** प्रदान की जाती है, जिन्हें सभी **आपातकालीन सेवाओं** के लिए सहायता और सूचना की आवश्यकता होती है। इन **आपातकालीन सेवाओं** में पुलिस/ अग्निशमन/ एम्बुलेंस सेवाएं और वन स्टॉप सेंटर जैसी सभी सेवाएं शामिल होती हैं।
  - **नारी अदालत या महिला समूह:**
    - यह महिलाओं को **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम गंभीर समझे जाने वाले (उत्पीड़न, निष्कासन इत्यादि) मामलों को **ग्राम पंचायत स्तर पर** हल किया जाता है।
    - अदालत में **प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं** को शामिल किया जाता है।
    - **चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं** किया जाता है।
    - **बैठकों के आयोजन** और सदस्यों को बैज/ वर्दी प्रदान करने के खर्च को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

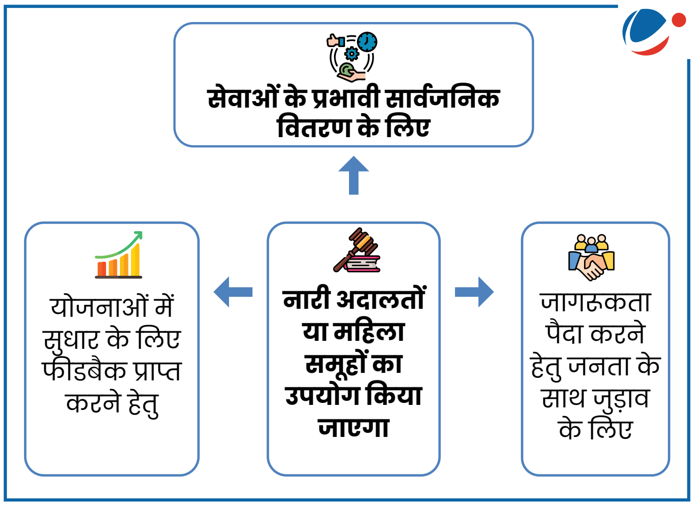

  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)**
    - इस अभियान के घटक बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के **सभी जिलों को शामिल करते हैं।** यह अभियान पहले **केवल 405 जिलों** में ही लागू था।
    - इस योजना का उद्देश्य शून्य बजट को बढ़ावा देना है।
    - **जमीनी स्तर पर प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च** को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए लड़कियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना तथा आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन करना इत्यादि।

- **सामर्थ्य: महिला सशक्तीकरण हेतु**
  - **शक्ति सदन**
    - » **एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह।** इसमें तत्कालीन **स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना** भी शामिल हैं।
    - » यह **निराश्रित, संकटग्रस्त, उपेक्षित, तस्करी की पीड़ित** आदि के लिए एक आश्रय होगा।
  - **मानव तस्करी-रोधी इकाइयां:** ये इकाइयां जिलों में तस्करी और व्यावसायिक लैंगिक शोषण से पीड़ित महिलाओं के **'समाज में पुनः समेकन एवं पुनर्वापसी'** की सुविधा प्रदान करेंगी।

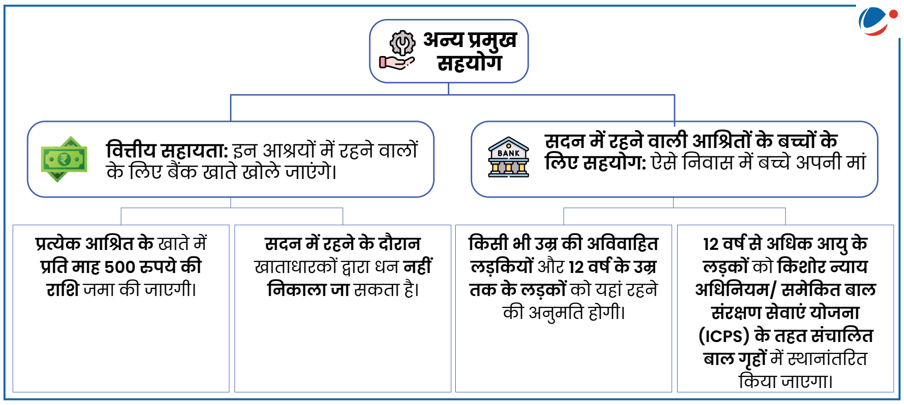

  - **विधवाओं के लिए घर:**
    - » यह योजना **केंद्रीय क्षेत्रक का एक घटक** है।
    - » इसके तहत **1000 विधवाओं के लिए रहने का एक सुरक्षित स्थान प्रदान** किया जाएगा।
    - » **स्वास्थ्य सेवाओं,** पौष्टिक आहार, **कानूनी और परामर्शी सेवाओं की सुविधा** दी जाती है।
  - **सखी निवास-कामकाजी महिला हॉस्टल:** इसके तहत **कामकाजी महिलाओं और उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण** प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं हेतु **सुरक्षित व सुविधाजनक आवास की उपलब्धता** को बढ़ावा दिया जाता है। यह सुविधा उन परिस्थितियों में प्रदान की जाती है, जहां महिलाओं को व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है।
  - **महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (HEW):**
    - » HEW की स्थापना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर की जा रही है।
    - » इसे **केंद्र तथा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर** पर महिलाओं के लिए बनाई गई **योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रक समन्वय की सुविधा** हेतु बनाया जा रहा है।

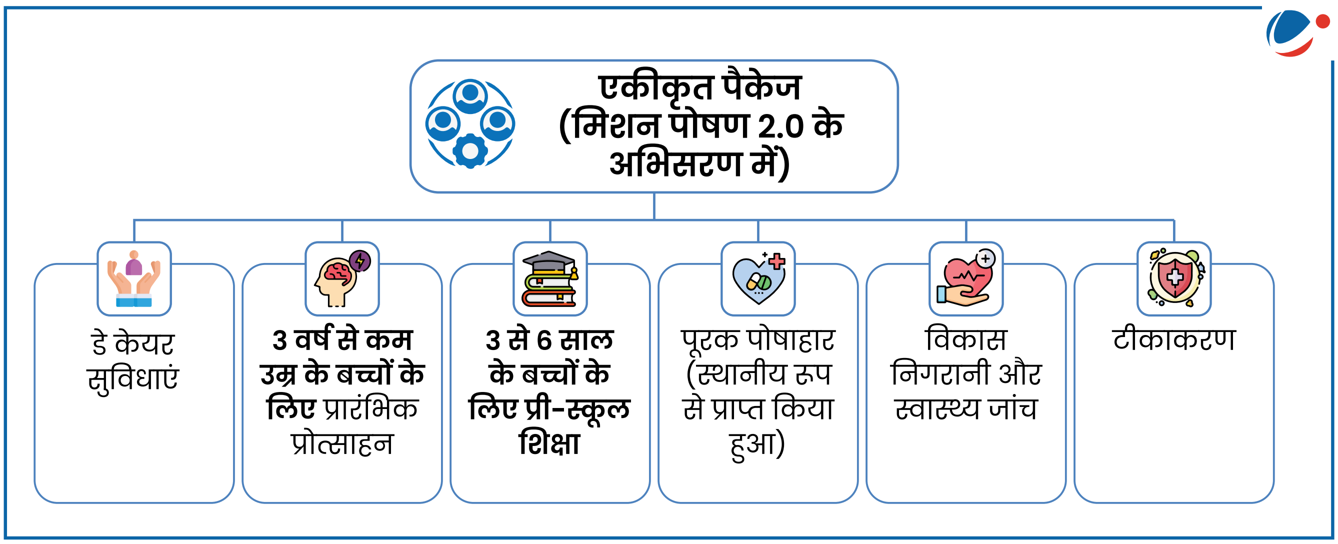

- **जेंडर बजटिंग:** इस घटक के तहत **जेंडर बजटिंग तथा अनुसंधान एवं प्रकाशन और निगरानी से संबंधित योजनाओं** को शामिल किया गया है।
  - इसमें आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **गैप फंडिंग का एक नया घटक** भी जोड़ा गया है।
  - साथ ही, **महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवकों (MPV)** की मौजूदा उप-योजनाओं को **समाप्त** कर दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** इसके तहत **गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु नकद प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।

- **अन्य प्रमुख प्रावधान**
  - **अभिसरण:** वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजनाओं और प्रयासों के जरिए कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से अभिसरण रणनीति अपनाना।
  - **प्रस्तावों को मंजूरी:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा।
  - **जियो-टैगिंग:** मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त **सभी संस्थानों** को रियल टाइम आधार पर **मानचित्रण, विश्लेषण और निगरानी के लिए जियो टैग** किया जाएगा।
  - **सामाजिक लेखा परीक्षा:** उन लोगों से भी **प्रत्यक्ष फीडबैक** प्राप्त किया जाएगा, जिन्होंने उचित साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों के जरिए योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाया है।
  - **राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें**
    - **मंत्रालय की सभी योजनाओं में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के आधिकारिक नाम** (स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है) **का प्रयोग** किया जाएगा। साथ ही, CSSs की ब्रांडिंग के संबंध में केंद्र द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश/ निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
    - केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने की नई प्रक्रिया के संबंध में **व्यय विभाग के निर्देशों** या इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए।

नोट:

- **जेंडर बजटिंग को भारत सरकार द्वारा 2005-06 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने** के लिए एक साधन के रूप में अपनाया गया था। साथ ही, इसका उद्देश्य सरकारी योजना और बजट के जरिए निरंतर निवेश सुनिश्चित करना था।
  - **लैंगिक समानता के लिए वित्त-पोषण** लैंगिक असमानताओं को कम करने का मुख्य उपाय है। जेंडर बजटिंग इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- PMMVY पर अधिक जानकारी के लिए **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** का संदर्भ लें।

24.1.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BETI BACHAO BETI PADHAO: BBBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना की शुरुआत की **9वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** देश भर में जिस तरह से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है, उसमें व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना।
- **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार द्वारा 100% **वित्त-पोषण प्रदान** किया जाता है।
- **नकद लाभ:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- **कवरेज:** देश के सभी जिलों में।

अन्य उद्देश्य

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में प्रति वर्ष 2 अंकों का सुधार** करना।
- **संस्थागत प्रसव** के प्रतिशत में सुधार करना अथवा **95% या उससे अधिक की दर** पर बनाए रखना।
- प्रति वर्ष **पहली तिमाही प्रसव-पूर्व देखभाल (Antenatal Care: ANC) पंजीकरण में 1% की वृद्धि** करना।
- प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और **लड़कियों/ महिलाओं के कौशल में 1% की वृद्धि करना।**
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर **लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट (बीच में ही पढ़ाई छोड़ना) दर को बढ़ने से रोकना।**
- सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management: MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** BBBP योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **जीवन चक्र निरंतरता** में संबंधित मुद्दों के साथ-साथ **बाल लिंगानुपात (CSR) में गिरावट की समस्या का समाधान** करना है।
- **मुख्य फोकस:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य **देश भर में जिस तरह से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है, उसमें व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन** लाना है। यह सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने, संलग्न करने और सशक्त बनाने के द्वारा किया जाएगा।
- **बाल विवाह को रोकना: बाल विवाहों पर नजर रखना** और उन्हें **रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना।**
- **क्षमता निर्माण:** जिला परिषद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) आदि में **अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, चिकित्सकों व अधिकारियों** को संवेदनशील बनाना।

- **सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद (Social and Behaviour Change Communication: SBCC): व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमुख गतिविधियां**
  - **प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
    - » 2008 से **24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में** मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए **समान अवसरों** को बढ़ावा देना और **बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता** बढ़ाना है।
    - » उल्लेखनीय है कि **24 जनवरी, 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधान मंत्री** के रूप में शपथ ली थी।
    - » अब इसी तिथि को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना की वर्षगांठ भी मनाई जाती है। ज्ञातव्य है कि BBBP योजना को **22 जनवरी, 2015** को लॉन्च किया गया था।
  - लड़कों की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ग्राम पंचायतों (GPs) और सार्वजनिक स्थानों पर **गुड्डी-गुड्डा बोर्डों का प्रदर्शन** किया जाता है।
  - लड़कियों के महत्त्व और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए **माता-पिता/ परिवारों के लिए जागरूकता गतिविधियां** संचालित की जाती हैं।
- **गतिविधियों का कैलेंडर**
  - इस **कैलेंडर में जिलों के लिए प्रत्येक माह में की जाने वाली कई गतिविधियों के बारे में बताया** गया है।
  - हालांकि, **जिले** अपनी स्थानीय विशेषताओं और जरूरतों के आधार पर **अपनी गतिविधियों का संचालन करने का विकल्प चुन** सकते हैं।
- **जिला स्तरीय स्कोर कार्ड**
  - **इसे मिशन शक्ति MIS से प्राप्त किए गए आंकड़ों** के आधार पर बनाया जाएगा।
  - जिला स्कोर कार्ड के अनुसार, **वार्षिक जिला BBBP रैंकिंग** जारी की जाएगी।
  - इस डेटा का उपयोग **राज्य के प्रदर्शन को मापने** के लिए किया जाएगा।

- **कार्यान्वयन:** मिशन शक्ति के अधिदेश (Mandate) के तहत गठित की गई समिति योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली शीर्ष समिति होगी। इसकी **अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के सचिव** द्वारा की जाएगी।

24.1.3. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) {SAKSHAM ANGANWADI AND POSHAN 2.0 (MISSION POSHAN 2.0)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **पोषण भी पढ़ाई भी (PBPB) कार्यक्रम** के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों **(AWCs) में डू इट यौरसेल्फ़ (DIY) एवं सीखने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खिलौनों** के विकास और उपयोग के बारे में जानकारी दी। PBPB **मिशन पोषण 2.0** के तहत एक कार्यक्रम है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के जरिए **कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना।**
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लाभार्थी:** 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- देश के **मानव पूंजी विकास** में योगदान देना तथा **कुपोषण** संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।
- बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए **पोषण से संबंधित जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों** को बढ़ावा देना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि (Background): एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना** की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास** के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
  - **ICDS में आंगनवाड़ी सेवा योजना के 6 घटकों** को शामिल किया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

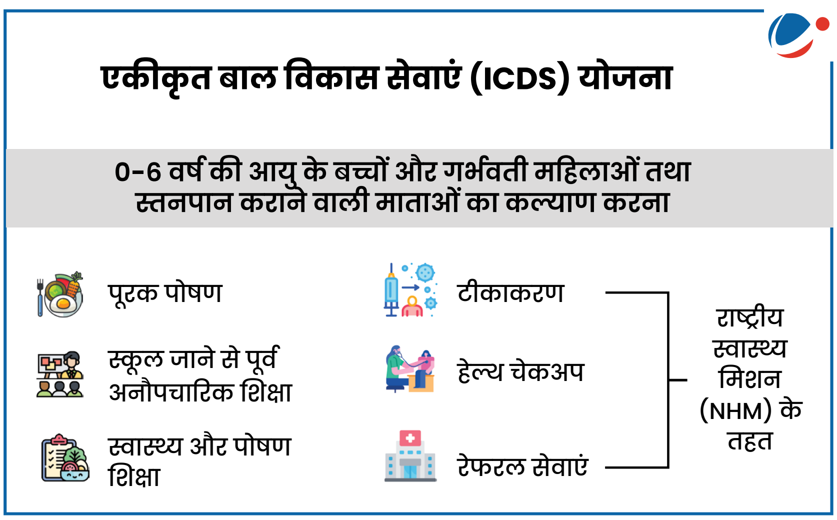

- **घटक**
  - **पोषण सहायता: निम्नलिखित के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP):**
    - » 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के **बच्चे;**
    - » **गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)** और
    - » पूर्वोत्तर के साथ-साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी **14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियां।**
  - **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE): प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक अभिप्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
  - **आंगनवाड़ी अवसंरचना:** देश भर में **2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर** बनाया जाएगा तथा उन्हें **सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत** किया जाएगा।
  - **पोषण अभियान:** पोषण 2.0 अभिसरण, **गवर्नेंस और क्षमता निर्माण** के स्तंभों पर आधारित है। इसमें **पोषण अभियान आउटरीच और नवाचारों** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **आहार विविधता (Diet diversity):**
  - **स्थानीय आहार इनपुट्स और ताजा उपज** (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे एवं जड़ी-बूटियां), **फोर्टिफाइड चावल व मोटे अनाज (Millets) को सक्रिय रूप से बढ़ावा** दिया जाएगा।
  - **सप्ताह में कम-से-कम एक बार मोटे अनाज (Millets) की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।** साथ ही, इसे स्वादिष्ट रूप में **टेक होम राशन** (कच्चा राशन नहीं) और **गर्म पका हुआ भोजन (HCM) में उपयुक्त रूप से एकीकृत** किया जाना चाहिए।
- **पोषण वाटिका (Poshan Vatikas):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **आंगनवाड़ी केंद्रों में या उनके आस पास और सरकारी स्कूलों एवं ग्राम पंचायत भूमि में जहां भी संभव हो,** पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान व पोषक उद्यान) विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- **परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाना:** पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान और पोषक उद्यान) जहां भी संभव हो **आंगनवाड़ी केंद्रों के पास तथा सरकारी स्कूलों और ग्राम पंचायतों की भूमि** पर स्थापित की जाएंगी।
- **लाभार्थी का पंजीकरण:** लाभार्थी को आधार पहचान-पत्र के आधार पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
  - इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आधार कार्ड प्राप्त करने में लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन: जिला मजिस्ट्रेट (DM),** पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल अधिकारी** के रूप में कार्य करेगा।
- **जवाबदेही: सामाजिक लेखा परीक्षा** पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समितियों (VHSNCs) जैसे हितधारकों द्वारा की जाती है।

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **पोषण ट्रैकर ऐप: यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को उनके प्रयासों से अवगत कराने के साथ-साथ सेवाओं के कुशल वितरण के लिए एक **कार्य-सहायता** साधन है।
  - यह **बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता की त्वरित पहचान** एवं पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- **पोषण भी, पढ़ाई भी (PBPB):**
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप **आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पथ-प्रदर्शक ECCE कार्यक्रम व उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क है।**

- **PBPB के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-**
    - समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास तथा प्रारंभिक-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना,
    - विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का उपयोग सुनिश्चित करना,
    - प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना।
- यह **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को मातृभाषा में टीचिंग और लर्निंग के लिए विविध प्रकार की **टीचिंग-लर्निंग सामग्री** (वीडियो सहायक सामग्री, ऑडियो सहायक सामग्री आदि) प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय पोषण माह: 'स्वस्थ भारत' के विज़न** को साकार करने के लिए देश भर में प्रत्येक वर्ष **सितंबर माह** को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
    - यह जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **किशोरी स्वास्थ्य कार्ड**
    - **किशोरियों के लिए योजना (SAG)** के तहत **आंगनवाड़ी केंद्रों** में किशोरी स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं।
    - इसमें **वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) आदि** के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है।
    - यह कार्ड **योजना के तहत उपलब्ध विविध सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है।** जैसे- पोषण प्रावधान, आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता, कृमिनाशक, रेफरल सेवाएं, टीकाकरण आदि।

पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) अभियान {POSHAN (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition) Abhiyan}

उत्पत्ति
इस योजना को **2018 में 'सुपोषित भारत'** के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अलग-अलग हितधारकों की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्देश्य
मुख्य आंगनवाड़ी **सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके सबसे अधिक कुपोषण** वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।

अभिसरण और समन्वय
यह अभियान स्पष्ट रूप से **अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि विविध सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ** बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंच सके।

- **भारतीय पोषण कृषि कोष (B.P.K.K.)**
    - **यह सभी जिलों में भारत की फसल विविधता की जानकारी रखने वाला एक वेब पोर्टल** है। इसे वर्तमान और ऐतिहासिक रूप से उपजाई जाने वाली फसलों के लिए विकसित किया गया है।
    - यह **फूड एटलस** के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य **पारंपरिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण युक्त फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि पारिस्थितिकी संदर्भों से संबंधित डेटा** प्रदान करना है।
    - यह योजना **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF)** के सहयोग से संचालित है।

नोट: कृपया **प्रधान मंत्री पोषण अभियान** और **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)** से भ्रमित न हों। पी.एम. पोषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए NFSA, 2013 देखें, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है।

25 जनजातीय कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEME IN NEWS)

25.1. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PRADHAN MANTRI ADI ADARSH GRAM YOJANA: PMAAGY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर गठित संसदीय समिति ने इस योजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** आदिवासियों की बहुलता वाले गांवों को आदर्श गांवों में बदलना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021 से 2026 तक।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** संबंधित राज्य सरकारें।

अन्य उद्देश्य

- **ग्राम विकास योजनाएं** तैयार करना।
- **अनुसूचित आबादी** तक केंद्र और राज्य सरकारों की **योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचना।**
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की **अवसंरचना में सुधार करना।**

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह **2017 में शुरू की गई जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का संशोधित** संस्करण है।
- **अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** यह योजना केंद्र और राज्यों की **58 योजनाओं** के साथ अभिसरण करती है। इन योजनाओं में **अनुसूचित जनजाति घटक** को भी शामिल किया गया है, ताकि उनमें व्याप्त विविध कमियों को समाप्त किया जा सके।

- **कवरेज:** अधिसूचित अनुसूचित जनजाति आबादी वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
  - **कम-से-कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी और अनुसूचित जनजाति के 500 व्यक्तियों** की संख्या वाले गांवों को दी गई अवधि में कवर करने के लिए चिन्हित किया गया है।
- **वित्त का प्रावधान**
  - प्रत्येक चयनित गांव को प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए **"गैप फिलिंग फंड"** के रूप में **20.38 लाख** रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  - **आवंटित बजट का 2% हिस्सा** प्रशासन और निगरानी व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं

आंगनवाड़ी केंद्र	पेयजल सुविधा	जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	सड़क कनेक्टिविटी (आंतरिक और विविध गावों के बीच)	दूरसंचार कनेक्टिविटी	स्कूल और स्वास्थ्य उपकेंद्र

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

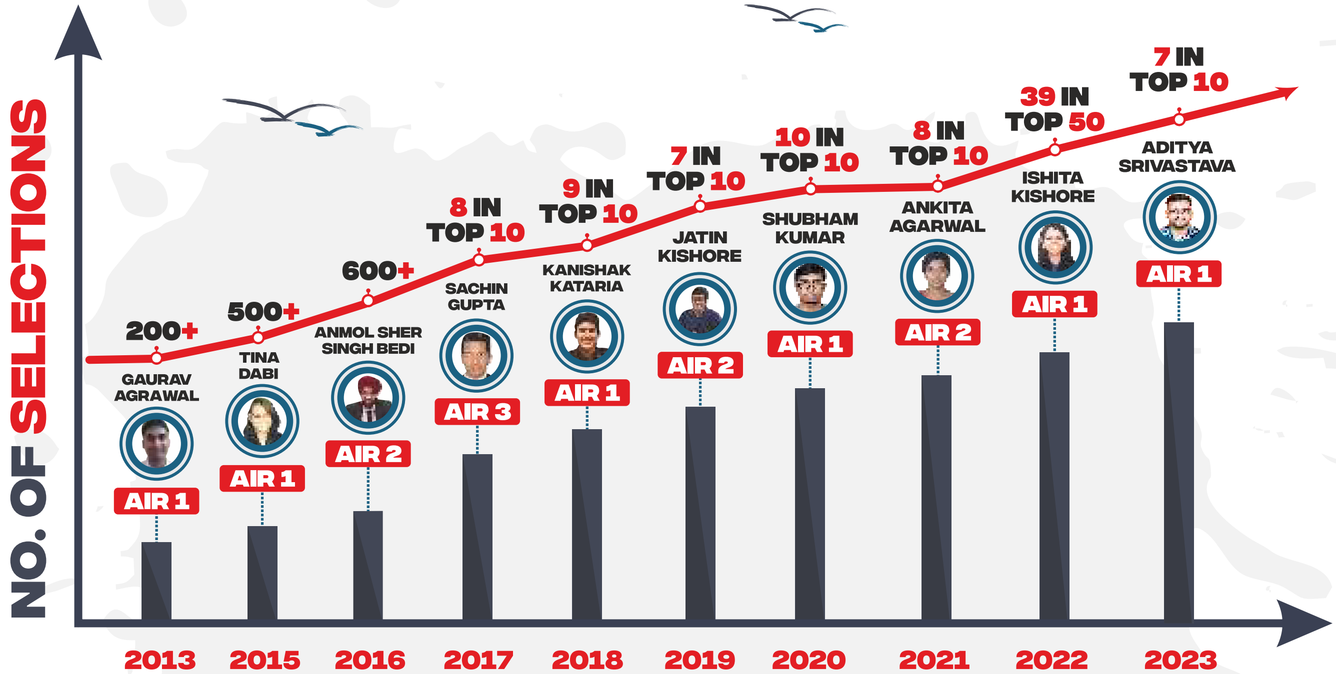

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 9 MAY, 9 AM | 17 MAY, 1 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 JUNE | BENGALURU: 15 MAY | BHOPAL: 21 MAY | CHANDIGARH: 5 APR
HYDERABAD: 10 MAY | JAIPUR: 23 APR | JODHPUR: 22 APR | LUCKNOW: 17 MAY | PUNE: 5 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 14 मई, 9 AM | 10 अप्रैल, 9 AM | BHOPAL: 11 जून | LUCKNOW: 5 जून | JAIPUR: 23 अप्रैल | JODHPUR: 22 अप्रैल

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

26 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (OTHER SCHEMES/ INITIATIVES IN NEWS)

मूल्य समर्थन योजना (PSS)
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
	• केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 के लिए PSS के तहत तीन दालों- **अरहर, उड़द और मसूर पर 40% की खरीद सीमा को हटा** दिया है।
	  ○ इस निर्णय के बाद किसानों से बिना किसी ऊपरी सीमा के **MSP पर इन दालों की खरीद** की जा सकेगी।
	• PSS को **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा)** नामक अम्ब्रेला योजना के तहत शुरू किया गया है।
	  ○ PSS का कार्यान्वयन तब किया जाएगा, जब बाजार में कृषि उपज की कीमतें MSP से कम हो जाएंगी।

पी.एम.-प्रणाम (PM-PRANAM)
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
	• **धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधान मंत्री कार्यक्रम** (PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother - Earth: PM-PRANAM) को 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था।
	• **मुख्य बिंदु**
	  ○ **लक्ष्य:** एक गंभीर समस्या यानी **कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग** का समाधान करना।
	  ○ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है।
	  ○ **योजना की अवधि:** 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक)
	  ○ **राज्यों के लिए प्रोत्साहन:** यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (जैसे यूरिया, DAP, NPK व MOP) की खपत को 50% तक कम करने में सफल होता है, तो वह अनुदान के लिए पात्र होगा। अनुदान उस वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी में कटौती के माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बचाई गई राशि के बराबर होगा।

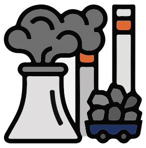 **कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना (Exploration of Coal and Lignite scheme)**	**कोयला मंत्रालय** • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना" को जारी रखने को मंजूरी** दी है। यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है। o अब यह योजना **2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी** रहेगी। • **कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में** o कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण कार्य को दो व्यापक चरणों में आयोजित किया जाता है: » **प्रमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण और** » **गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण।** o **महत्त्व:** यह योजना देश में उपलब्ध **कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और उनकी मात्रा का अनुमान** लगाती है। इससे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। o इन अन्वेषणों के आधार पर तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स का उपयोग **नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी** के लिए किया जाता है।
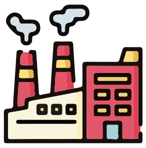 **अग्रिम प्राधिकरण योजना (Advance Authorisation Scheme)**	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** • अग्रिम प्राधिकरण योजना को **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लागू** कर रहा है। • यह योजना उन **इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति** देती है, जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। o किसी भी इनपुट के अलावा **पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक** आदि जिसका निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में **उपभोग/ उपयोग** किया जाता है, **उसे भी शुल्क मुक्त आयात की अनुमति** दी गई है। o अग्रिम प्राधिकरण के तहत **सहायक विनिर्माताओं से जुड़े विनिर्माता निर्यातकों या पण्य निर्यातकों** को शामिल किया जाता है।
भारत ई-मार्ट	**संचार मंत्रालय** • **इंडिया पोस्ट ने भारत ई-मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं। • यह व्यापारियों के परिसर से **वस्तुओं के पिक-अप की सुविधा** प्रदान करेगा और देश भर में **वस्तुओं की घर पर ही डिलीवरी** सुनिश्चित करेगा।

	○ इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हैं। • भारत ई-मार्ट **छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक सहायता** उपलब्ध कराएगा। इससे उनका **कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।**
संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal)	**संचार मंत्रालय** • संचार मंत्रालय ने **'संचार साथी पोर्टल'** नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार** के विज़न को पूरा करने में मदद करेगा। • इस पोर्टल के जरिये **लोग किसी यूज़्ड डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच** कर सकते हैं। • इस पोर्टल को **दूरसंचार विभाग ने विकसित** किया है। **यह निम्नलिखित तीन मॉड्यूल्स के साथ नागरिकों को सक्षम करेगा-** ○ **केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR):** गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने/ ब्लॉक करने के लिए। ○ **अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें:** अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए। ○ **ASTR (टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन सक्षम समाधान):** धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए।
 केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (Central Equipment Identity Register: CEIR)	**संचार मंत्रालय** • सरकार **देश भर में CEIR प्रणाली शुरू** करने जा रही है। • CEIR **गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल** है। • यह गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के नेटवर्क में **ब्लॉक करने की सुविधा** भी प्रदान करता है। इससे भारत में गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। • इसके तहत **गुम हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने** के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए **सिम कार्ड के मोबाइल नंबर, IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर तथा एक मोबाइल खरीद इन्वाइस/ बिल** जैसे विवरण की जरूरत होती है।

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) {Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)}	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
	• **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा SISFS **का जमीनी स्तर पर प्रभाव देखने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव आकलन** किया जा रहा है।
	• SISFS को **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT ने 2021** में लॉन्च किया था।
	  ○ इसका उद्देश्य **स्टार्ट-अप्स को प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार-प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करना है।
	  ○ **इस योजना के लिए आवेदन की पात्रता निम्नलिखित है:**
	    » स्टार्ट-अप DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
	    » आवेदन के समय स्टार्ट-अप को **निगमित हुए 2 वर्ष से ज्यादा समय न हुआ हो।**
	• **स्टार्ट-अप को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त न हुई हो।**
	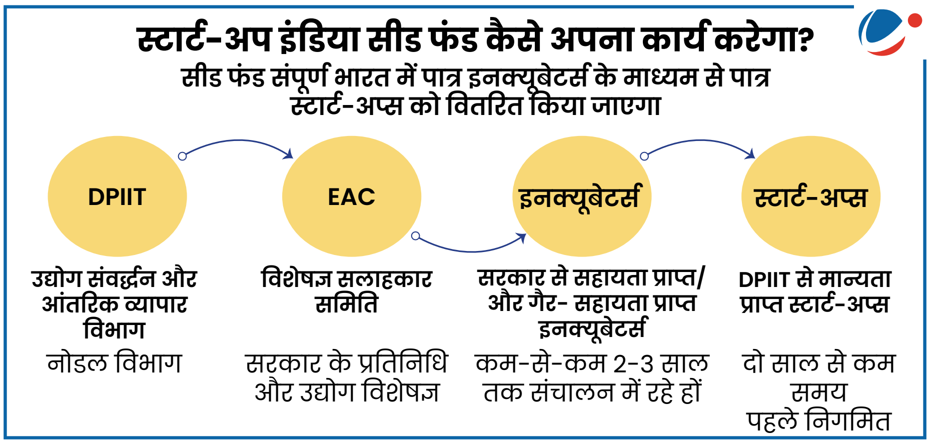

त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) {Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)}	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** • C-PACE की स्थापना **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने की है। इसे कंपनियों को **समस्या मुक्त फाइलिंग तथा समयबद्ध और प्रक्रियाबद्ध तरीके से MCA रजिस्टर से अपना नाम हटाने** की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। • C-PACE हितधारकों के लिए **अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता** सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, **रजिस्ट्री को त्रुटिहीन रखने के साथ-साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक दबाव को कम करने** में भी मदद करेगा।

पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) {PRITHvi VIgyan (PRITHVI)}

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही अलग-अलग योजनाओं को शामिल करके व्यापक योजना **"पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)"** को मंजूरी दी है।
- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **योजना अवधि:** 2021-26 तक।
  - **उद्देश्य: पृथ्वी प्रणाली विज्ञान** से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना।
    - पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, पृथ्वी प्रणाली के **सभी पांच घटकों (वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल) तथा उनकी जटिल अंतःक्रियाओं** से संबंधित है।
  - **घटक: इसमें वर्तमान में जारी पांच उप-योजनाएं शामिल हैं:**
    - **एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ACROSS)**: यह उप-योजना अनुसंधान एवं विकास, डायनैमिक मॉडल्स तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगी।
    - **ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज़ एंड टेक्नोलॉजी (O-SMART): इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
      - महासागर क्षेत्रक से संबंधित सेवाओं (पूर्वानुमान एवं सलाह) के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा
      - समुद्री और तटीय परिवेश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
    - **पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च (PACER):** इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम तथा क्रायोस्फीयर व जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं।
    - **सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस (SAGE):** इसमें भूकंपीय निगरानी एवं माइक्रोजोनेशन और जियोक्रोनोलॉजी (भू-कालानुक्रम) के लिए एक इकाई स्थापित करने सहित 6 गतिविधियां शामिल हैं।
    - **रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच (REACHOUT):** इसमें पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास (RDESS) को शामिल करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल कार्यबल विकसित करना आदि शामिल हैं।

महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC)
	वित्त मंत्रालय
	• योजना की घोषणा **2023-24 के केंद्रीय बजट** में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है।
	• **योजना की मुख्य विशेषताएं**
	  ○ **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC) को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए** उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत **7.5 प्रतिशत की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर** प्रदान की जाएगी।
	  ○ MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से **एक वर्ष की समाप्ति** के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले **एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकाल सकती हैं।**
	  ○ इसके तहत निवेश की जाने वाली **न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये है तथा 100 के गुणक में कोई भी राशि** निवेशित की जा सकती है। इसमें **अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है।**

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (Special Assistance to States for Capital Investment)
	वित्त मंत्रालय
	• इस योजना (2023-24 के बजट में घोषित) के तहत, **राज्य सरकारों को** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान **1.3 लाख करोड़ रुपये की अधिकतम राशि तक 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में **विशेष सहायता प्राप्त होगी।**
	  ○ पूंजी निवेश/ व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना **पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में कोविड-19 महामारी** के मद्देनजर शुरू की गई थी।
	• **इस योजना के निम्नलिखित 8 भाग हैं:**
	  ○ 15वें वित्त आयोग की घोषणा के अनुसार, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
	  ○ नगरपालिका बॉण्ड्स और उन्हें जारी करने के लिए, इन बॉण्ड्स को ऋण योग्य बनाने हेतु **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में वित्तीय सुधार** किए गए हैं।
	  ○ शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानों के ऊपर या उसके हिस्से के रूप में **पुलिसकर्मियों के लिए आवास** उपलब्ध कराए गए हैं।
	  ○ पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ-साथ **बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय** की व्यवस्था की गई है।
	  ○ राज्य सरकारों द्वारा **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के लिए वित्त को समय पर जारी करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

	○ **पुराने वाहनों को हटाने के लिए** वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। ○ **शहरी नियोजन में सुधार** किया जा रहा है। ○ **यूनिटी मॉल का निर्माण** किया जा रहा है।
 अभिलेख पटल	**संस्कृति मंत्रालय** • प्रधान मंत्री ने **राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल "अभिलेख पटल" की प्रशंसा की है।** • यह इंटरनेट के माध्यम से **भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) के संदर्भ माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला वेब पोर्टल है।** • यह **NAI की एक पहल** है। इसका उद्देश्य इसके **भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स को सभी के लिए उपलब्ध** कराना है। ○ NAI संस्कृति मंत्रालय का **एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत सरकार के गैर-वर्तमान अभिलेखों के भंडार के रूप में कार्य करता है।**
 प्रोजेक्ट दंतक	**रक्षा मंत्रालय** • प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत **1961 में सीमा सड़क संगठन (BRO)** ने की थी। ○ इसे **भूटान में बेहतर परिवहन योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा** गया था। ○ इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में **पारो हवाई अड्डा, थिम्पू-त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और जलविद्युत अवसंरचना का निर्माण** आदि शामिल हैं। • BRO का गठन **1960 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क के विकास व रख-रखाव** के लिए किया गया था। ○ यह **2015 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य** कर रहा है।
 स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स/ STARS) प्रोजेक्ट	**शिक्षा मंत्रालय** • **शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक** ने स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया है। • स्टार्स एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। इस योजना को **छह राज्यों में लागू** किया जा रहा है। इन राज्यों में **हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल** शामिल हैं।

	• स्टार्स कार्यक्रम को **समग्र शिक्षा अभियान** से तैयार किया गया है। इसके तहत उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, **जो स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन में सबसे प्रत्यक्ष रूप से समर्थन** करेंगे।
	• **इसके निम्नलिखित दो प्रमुख घटक हैं:**
	  ○ **राष्ट्रीय स्तर पर: अधिगम (लर्निंग) मूल्यांकन प्रणालियों** को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय आकलन केंद्र (परख/ PARAKH) की स्थापना करना।
	  ○ **राज्य स्तर पर:** प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं आधारभूत अधिगम (Foundational Learning) को सशक्त बनाना, कक्षा अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त करना तथा उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए शासन व्यवस्था में सुधार एवं विकेंद्रित प्रबंधन करना।

परख/ PARAKH (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और विश्लेषण)
	शिक्षा मंत्रालय
	• **PARAKH/ परख** ने निम्नलिखित के लिए **समग्र प्रगति कार्ड (HPC)** तैयार किया है:
	  ○ बुनियादी चरण (कक्षा 1 और 2), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से 5) और मध्य चरण (कक्षा 6 से 8)।
	  ○ वर्तमान में परख **माध्यमिक चरण** के लिए भी इसी तरह का HPC विकसित करने पर कार्य कर रहा है।
	• **परख के बारे में**
	  ○ **उत्पत्ति:** इसे 2023 में **NCERT में एक स्वतंत्र घटक इकाई** के रूप में स्थापित किया गया था।
	  ○ **उद्देश्य: छात्र मूल्यांकन** से संबंधित मानदंड, मानक व दिशा-निर्देश निर्धारित करना और गतिविधियां लागू करना। इसके अलावा, इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** द्वारा भी अन्य कार्य सौंपे गए हैं।
	  ○ **परख के तहत 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं:**
	    » योग्यता आधारित मूल्यांकन में **क्षमता विकास;**
	    » बड़े पैमाने पर **उपलब्धि सर्वेक्षण;**
	    » **स्कूल बोर्डों में समतुल्यता;** और
	    » बुनियादी, तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए **समग्र प्रगति कार्ड।**

 शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कोष योजना {Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)}	**शिक्षा मंत्रालय** • इससे लगभग **30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को अब CGFSEL से ऋण सुरक्षा** प्राप्त होगी। o इससे **RRBs, वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो जाएंगे और उन्हें ऐसे ऋणों पर ब्याज दर कम करने में मदद** मिलेगी। • शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में CGFSEL की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य **शिक्षा ऋणों को आसान बनाने और सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋणों में चूक की स्थिति में गारंटी कवरेज** बढ़ाना है। • वर्तमान में, यह योजना **बिना कुछ गिरवी रखे या तीसरे पक्ष की गारंटी के 7.5 लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाले शिक्षा ऋण पर चूक को कवर करती है।**
 साइबर सुरक्षित भारत (CSB)	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** • **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)** ने CSB के तहत **36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO)-डीप डाइव ट्रेनिंग कार्यक्रम** का आयोजन किया है। • साइबर सुरक्षित भारत, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** की एक पहल है। o इस पहल का उद्देश्य **साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार** करना है। साथ ही, सभी सरकारी विभागों में **CISO और अग्रिम पंक्ति के आई.टी. अधिकारियों की क्षमता का निर्माण** करना है। • अन्य संबंधित सुर्ख़ियां- **चंडीगढ़ में भारत का पहला सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी (CenCOPS) विकसित** किया जा रहा है। इसका विकास केंद्रीय गृह मंत्रालय की **'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना'** के तहत **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा** किया जा रहा है।

पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम
{Environmental Information
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
	• **21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान (IFGTB)** में एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया था।
	• **EIACP के बारे में**
	  o यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** द्वारा वित्त-पोषित परियोजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विविध पहलुओं पर जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसका प्रसार करना है।
	  o यह **मिशन LiFE** के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही **केंद्रीय क्षेत्रक की उप-योजनाओं** में से एक है।
	  o यह कार्यक्रम पूरे भारत में व्यक्तियों और समुदायों के बीच

Awareness Capacity Building and Livelihood Programme (EIACP)}	**जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने और संधारणीय कार्यों को बढ़ावा** देने के प्रति समर्पित है। ◦ इसमें **पूर्ववर्ती पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) योजना** के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है।
 "विवाद से विश्वास-1 MSMEs को राहत" योजना (Vivad se Vishwas I-Relief to MSMEs scheme)	**वित्त मंत्रालय** • वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को राहत प्रदान करने हेतु **विवाद से विश्वास योजना** शुरू की है। • इस योजना की घोषणा **केंद्रीय बजट 2023-24** में की गई थी। • इसके तहत, **कोविड के दौरान अनुबंध को सही से लागू न कर पाने के मामले में बिडिंग या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के मामले में जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से वापिस कर दिया जाएगा।**
 ई-अपील्स योजना (e-Appeals Scheme)	**वित्त मंत्रालय** • **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने ई-अपील्स योजना, 2023 अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य **आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम** करना है। • **ई-अपील्स योजना के बारे में:** ◦ **पीड़ित कर निर्धारिती (assessee),** संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से नीचे के कर निर्धारण अधिकारी (Assessing officer) द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर निर्धारिती यह अपील **संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष** कर सकता है। ◦ इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को **व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं** होगी। ◦ हालांकि, **अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध** कर सकता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।
 किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (SWAMIH/स्वामी) कोष {Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH) Fund	**वित्त मंत्रालय** • **स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना पूरी** हो गई है। इस परियोजना के तहत लगभग **3000 परिवारों को किफायती घर** उपलब्ध कराए गए हैं। • यह एक **सामाजिक प्रभाव कोष** है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे विशेष रूप से **दबावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा** करने के लिए बनाया गया है। ◦ यह कोष **वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित** है। इसका **प्रबंधन SBICAP वेंचर्स लिमिटेड** कर रहा है। ◦ स्वामी कोष का उद्देश्य **दबाव ग्रस्त, ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA/रेरा) द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त-पोषण** प्रदान करना है।

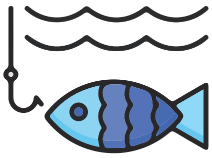
पशुधन क्षेत्रक के लिए "क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Livestock Sector)"
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
	• योजना के बारे में
	  ○ **उत्पत्ति:** पशुधन क्षेत्रक के लिए पहली "क्रेडिट गारंटी योजना" आरंभ की गई। इस योजना को **पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)** के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
	  ○ **लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य **ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत** करना है। साथ ही, पशुधन क्षेत्रक में कार्यरत MSMEs तक **ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक** बनाना है।
	  ○ **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट**
	    » DAHD ने 750.00 करोड़ रुपये का **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित** किया है।
	    » यह ट्रस्ट **MSMEs को दिए जाने वाले ऋण का 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज** प्रदान करेगा।
	• AHIDF पशुपालन अवसंरचना विकास के लिए एक **विशेष ऋण सुविधा** है।
	  ○ यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
	  ○ हाल ही में, इसके कार्यकाल को **2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।**
	  ○ **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
	    » इसके तहत **3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान** दिया जाता है।
	    » किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से कुल परियोजना लागत का **90 प्रतिशत तक** ऋण प्रदान किया जाता है।

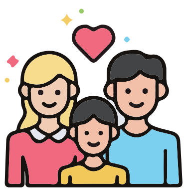
राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (NCDs) रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) {National Programme for Prevention & Control of NCD (NP-NCD)}
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
	• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)** का नाम बदल दिया है। इसे अब **'राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (NCDs) रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम' (NP-NCD)** कहा जाएगा।
	  ○ इस कार्यक्रम में **गैर-अल्कोहोलिक फैटी लिवर रोग, क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई नई बीमारियों को शामिल** किया गया है। साथ ही, NCDs को नियंत्रित करने तथा रोकथाम के लिए **नई स्वास्थ्य पहलें** भी शुरू की गई हैं। इन्हीं, वजहों से NPCDCS का नाम बदलना अनिवार्य हो गया था।
	  ○ इसमें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आदि को भी **शामिल** किया गया है।
	  ○ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NPCDCS को 2010 में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था।

	• मंत्रालय ने **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल NCD पोर्टल का नाम भी परिवर्तित कर 'राष्ट्रीय NCD पोर्टल'** कर दिया है। यह पोर्टल 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी के बीच फैले पांच सामान्य NCDs के प्रति **जोखिम आकलन और स्क्रीनिंग को सक्षम** बनाता है। ये पांच सामान्य NCDs हैं: उच्च रक्तचाप, मधुमेह और तीन प्रकार के कैंसर अर्थात मुख, स्तन और सर्वाइकल कैंसर।
 थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (TBSY) {Thalassemia Bal Sewa Yojana (TBSY)}	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** • **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री** ने TBSY के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से TBSY का क्रियान्वयन** कर रहा है। • TBSY एक **हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट (HSCT) कार्यक्रम** है। यह कोल इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत वित्त-पोषित है। इस कार्यक्रम के तहत **गरीब वर्ग के ऐसे थैलेसीमिया रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान** किया जाता है, जिनके पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (HLA) मिलान वाला सहोदर (sibling) दानकर्ता हैं।
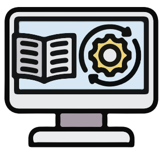 **लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (LMIS) - सक्षम (SAKSHAM) {SAKSHAM Learning Management Information System (LMIS)}**	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** • **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** ने सक्षम LMIS लॉन्च किया है। इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW), नई दिल्ली** ने विकसित किया है। • सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को **ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित व एकीकृत मंच** है। • यह प्रणाली ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों तथा महानगरीय शहरों में स्थित कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के स्वास्थ्य पेशेवरों का **समावेशी क्षमता निर्माण** सुनिश्चित करेगी।

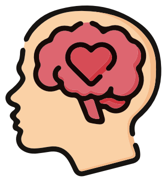
राज्यों में टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली-मानस/ Tele-MANAS) पहल {Tele Mental Health Assistance and Networking Across State (MANAS)}
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
	• **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मानस हेल्पलाइन ने 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त** करके एक रिकॉर्ड बनाया है।
	• टेली- मानस हेल्पलाइन, 2022 में **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस** के अवसर पर शुरू की गई थी।
	  o टेली-मानस का लक्ष्य देश भर में **निःशुल्क 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान करना है। यह विशेष रूप से सुदूर व सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करेगी।
	  o इसका नोडल केंद्र **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बेंगलुरु** है।
	• **भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) इसे तकनीकी सहायता** प्रदान करेंगे।

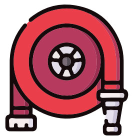
राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना (Scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States)
	गृह मंत्रालय
	• इस योजना को **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत "तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त-पोषण विंडो"** हेतु निर्धारित आवंटन से शुरू किया गया है।
	• यह योजना **15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित** है।
	  o आयोग ने NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF), प्रत्येक में से **12.5 प्रतिशत** राशि "तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त-पोषण विंडो" हेतु आवंटित करने की सिफारिश की है।
	• **योजना की विशेषताएं:**
	  o इस योजना का **उद्देश्य** राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करना है।
	  o NDRF के **कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपये की राशि 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण'** को प्राथमिकता देने के लिए निर्धारित की गई है।
	    » राज्यों को उनके **कानूनी और बुनियादी ढांचे में सुधारों की आवश्यकता के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में 500 करोड़** रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
	• इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का लाभ उठाने के लिए, **संबंधित राज्य सरकारों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अपने बजटीय संसाधनों से** उपलब्ध कराना होगा।
	    » **पूर्वोत्तर और हिमालयी (NEH) राज्यों** को अपने बजटीय संसाधनों से 10 प्रतिशत की राशि का योगदान करना होगा।

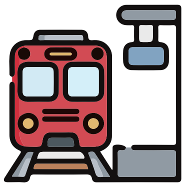 **प्रोजेक्ट स्मार्ट (SMART) {Project-SMART}**	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं। यह समझौता **'स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल' (SMART)** के लिए किया गया है। • प्रोजेक्ट-स्मार्ट के अंतर्गत **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (MAHSR) स्टेशंस के आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना** बनाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों और अन्य हितधारकों की स्टेशंस तक पहुंच व सुविधाओं में वृद्धि करना है। साथ ही, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। • यह **राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता** को बढ़ाएगा।
 जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM) {Aquifer Mapping and Management Programme (NAQUIM)}	**जल शक्ति मंत्रालय** • केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने देश में जलभृतों का मानचित्रण करने के लिए **2012 से NAQUIM शुरू** किया था। ○ जलभृत **भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक निकाय** होता है। • NAQUIM को **भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू** किया गया था। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने हेतु जलभृतों का चित्रण और उनके लक्षणों का वर्णन करना है। • इसका कार्य **भूगर्भिक ढांचे, जल विज्ञान संबंधी विशेषताओं, जल स्तर तथा प्राकृतिक और मानव-जनित संदूषकों के प्रभावी होने** के संबंध में व्यापक एवं वास्तविक जानकारी प्रदान करना है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for the Judiciary)
	विधि और न्याय मंत्रालय
	• न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) 1993-94 में अपने परिचालन के बाद से ही **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत** कर रही है।
	• **योजना के बारे में**
	    ○ **योजना अवधि:** इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
	    ○ **उद्देश्य:** सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **अदालत भवनों और न्यायिक अधिकारियों (JO) के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि** करना।
	• **योजना वित्त-पोषण:** केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में, 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 2 हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त-पोषण साझा किया जाता है। केंद्र-शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त-पोषण प्राप्त होता है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) {Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme}
	विधि और न्याय मंत्रालय
	• FTSCs योजना को 2023 से आगे **तीन वर्षों के लिए** (अर्थात् मार्च 2026 तक) **बढ़ा** दिया गया है।
	• **योजना के बारे में**
	  o **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
	  o **योजना के उद्देश्य: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना।**
	  o **वित्त-पोषण:** इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है।
	  o **अन्य उद्देश्य: बलात्कार तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम** (POCSO अधिनियम) के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष POCSO न्यायालयों सहित **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs)** की स्थापना करना।
	  o **न्यायालय की संरचना:** प्रत्येक **न्यायालय में 1 न्यायिक अधिकारी** और **7 कर्मचारी सदस्य** होते हैं।
	  o योजना के लिए पात्र 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 30 इस योजना में शामिल हो चुके हैं।
	  o **निर्भया फंड: महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD), निर्भया फंड** के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन/ सिफारिश करने वाला **नोडल मंत्रालय** है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (National SC-ST Hub) {National Schedule Caste - Schedule Tribe Hub}
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
	• इस हब में **1 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण** किया जा चुका है।
	• **राष्ट्रीय SC-ST हब के बारे में**
	  o इसे **SC-ST वर्ग के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। इससे इस वर्ग के उद्यमी **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012** के अंतर्गत दायित्व पूरे करने हेतु मदद प्राप्त कर सकेंगे।
	  o **कार्यान्वयन:** इसे सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** कार्यान्वित कर रहा है।
	• राष्ट्रीय SC-ST हब के अंतर्गत एकल बिंदु पंजीकरण योजना, विशेष विपणन सहायता योजना आदि सहित **कई विशेष सब्सिडी आधारित योजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी** दी गई है।

ग्रामोदय विकास योजना (GVY) {Gramodyog Vikas Yojana (GVY)}	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**
	• ग्रामोदय विकास योजना (GVY) **खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY) का एक घटक है।** अन्य दो घटक **खादी विकास योजना और खादी अनुदान हैं।**
	  ○ KGVY एक **अम्ब्रेला योजना** है। यह **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** की एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
	• GVY का उद्देश्य सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से **ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा उनका विकास** करना है।
	• **GVY के घटक/कार्यक्षेत्र:**
	  ○ कल्याण एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग;
	  ○ हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग;
	  ○ कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग;
	  ○ खनिज आधारित उद्योग;
	  ○ ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग; तथा
	  ○ सेवा उद्योग।

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग MSME परफॉरमेंस (RAMP) कार्यक्रम {Raising & Accelerating MSME Performance (RAMP) program}
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
	• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं शुरू की है।
	• **योजना के बारे में**
	  ○ **योजना के उद्देश्य:** MSME क्षेत्रक के प्रदर्शन को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन हो।
	  ○ **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना
	  ○ **योजना की अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक
	  ○ **वित्त-पोषण:** विश्व बैंक और भारत सरकार
	  ○ **पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन (ESSA):** मंत्रालय के विभिन्न

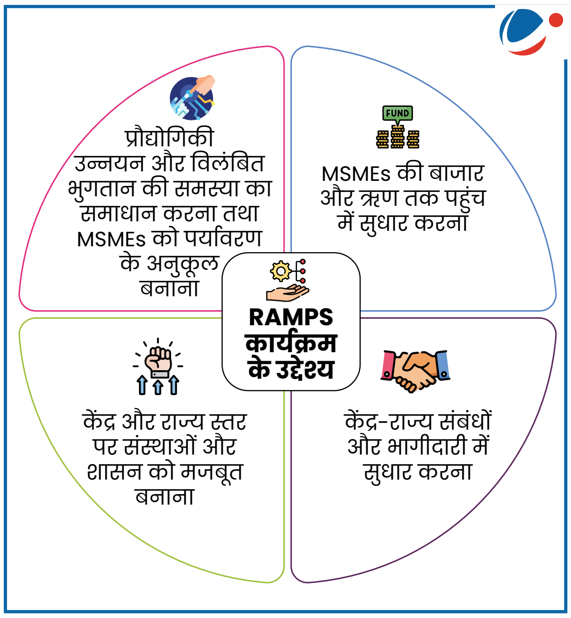

	कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए सभी उद्यमों द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों के अनुपालन को सत्यापित करना अनिवार्य है।
	• **हालिया 3 उप योजनाओं में शामिल हैं:**
	  ○ **MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त-पोषण योजना (MSE GIFT Scheme):** इसका उद्देश्य **MSMEs** को ब्याज में छूट देना और ऋण गारंटी समर्थन के जरिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है।
	  ○ **चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए MSE योजना (MSE SPICE Scheme):** इसके तहत **ऋण सब्सिडी के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था** से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा।
	    » इसके अलावा, यह योजना **MSME क्षेत्रक के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के सपने को साकार** करने में मदद करेगी।
	  ○ **विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना (MSE ODR Scheme):** इसके तहत MSMEs के लिए विलंबित भुगतान जैसे मुद्दे के समाधान हेतु आधुनिक आई.टी. उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित किया जाएगा।

 समर्थ (SAMARTH) अभियान	**ग्रामीण विकास मंत्रालय** • समर्थ अभियान का उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा** देना है। • यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में **ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सशक्त** बनाएगा। साथ ही, उन्हें **डिजिटल लेन-देन के लाभ उठाने में समर्थ** बनाएगा।

नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) (NLPM) {National Logistics Portal Marine}
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
	• **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने NLPM का **'सागर सेतु'** मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
	• NLPM एक **राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है। इसमें पूर्ण एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान** शामिल हैं।
	  ○ यह निर्यातकों, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को **दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान-प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद** करता है।
	  ○ NLPM का व्यापक विज़न **सरकार से सरकार (G2G), सरकार से व्यवसाय (G2B) और व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) मॉडल में अलग-अलग हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति** करना है।
	• इसमें इकोसिस्टम में अलग-अलग **पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स/टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अन्य हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत** होने की क्षमता है।

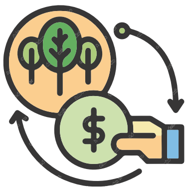

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)

विद्युत मंत्रालय

- विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) को अधिसूचित किया है।
- CCTS-2023 योजना में एक **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान** किया गया है। भारत का लक्ष्य **अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण** करना है। साथ ही, भारत **2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक की कटौती** करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

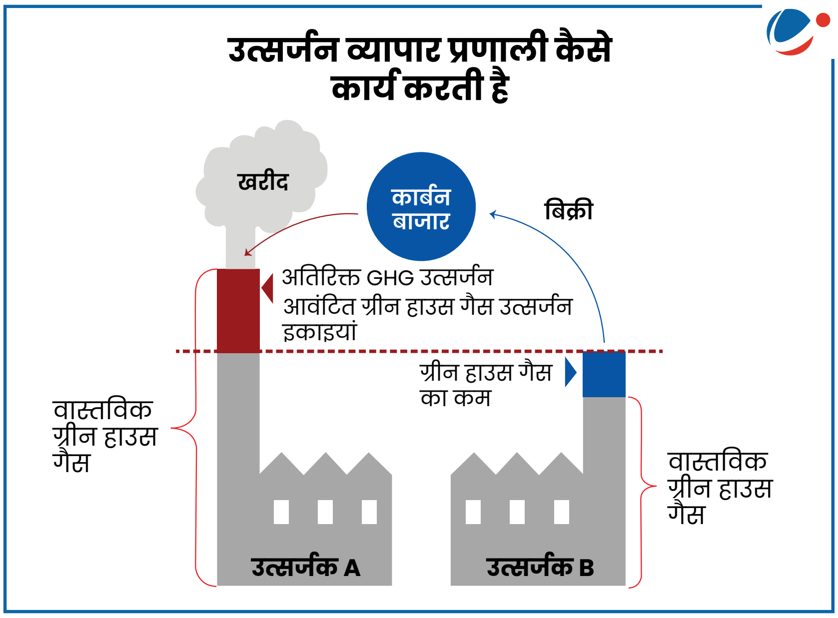

  - CCTS की घोषणा पहली बार **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत की गई थी। इसे **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022** द्वारा संशोधित किया गया था।
- **CCTS के मुख्य बिंदु**
  - एक **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड (ICMGB)** का गठन किया जाएगा। **विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव** इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति **भारतीय कार्बन बाजार (ICM) के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देख-रेख का काम** करेगी।
  - **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) कार्बन बाजार का प्रशासक** होगा। साथ ही, वह निम्नलिखित कार्य भी करेगा-
    - » उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना करेगा,
    - » कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करना करेगा, तथा
    - » कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना करेगा।
  - **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)** सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए विनियामकीय कार्य करेगा।
  - **ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया** ICM के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा।

स्टार लेबलिंग कार्यक्रम (Star Labelling Programme)

विद्युत मंत्रालय

- सरकार के **स्टार लेबलिंग कार्यक्रम** के परिणामस्वरूप स्प्लिट AC और विंडो AC की ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ है।
- स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा 2006 में एक **स्वैच्छिक पहल** के रूप में फिक्स्ड-स्पीड रूम एयर कंडीशनर (RACs) के लिए शुरू किया गया था, जिसे 2009 से अनिवार्य कर दिया गया है।
    - **स्टार लेबलिंग कार्यक्रम** वर्तमान में 34 उपकरणों/ सामग्रियों के लिए लागू किया गया है।
        - 11 उपकरणों को अनिवार्य लेबलिंग के तहत अधिसूचित किया गया है, जबकि अन्य को वर्तमान में स्वैच्छिक लेबलिंग चरण के तहत रखा गया हैं।
- 2015 में, **BEE ने इन्वर्टर RACs के लिए एक स्वैच्छिक लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया था,** और जनवरी, 2018 से इस कार्यक्रम को अनिवार्य बना दिया गया।
    - **RACs के लिए लेबलिंग कार्यक्रम अब एक ही लेबलिंग योजना के तहत फिक्स्ड** और **इन्वर्टर** दोनों इकाइयों को कवर करता है।
- 2018 में, **BEE ने एक बेहतर रेटिंग पद्धति को अपनाया है,** जो भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और परिचालन घंटों में तापमान में भिन्नता को ध्यान में रखती है।
    - नए मीट्रिक को **भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (ISEER)** कहा जाता है। यह कूलिंग सीजनल टोटल लोड (kWh/किलोवाट घंटा में) और कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन (kWh/ किलोवाट घंटा में) का अनुपात है।

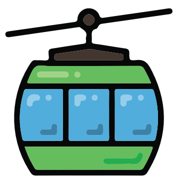

पर्वतमाला परियोजना (राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- भारत सरकार **पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 साल में 250 से ज्यादा परियोजनाओं** को विकसित करने की योजना बना रही है।
- इसकी घोषणा पहली बार 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में क्रियान्वित** किया जाएगा। यह कार्यक्रम **दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक बेहतर और पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकल्प** प्रदान करेगा।
    - यह कार्यक्रम **पर्यटन को बढ़ावा** देगा। इसके अतिरिक्त, यह यात्रियों के लिए **संपर्क और सुविधाओं में सुधार** पर भी केंद्रित होगा।
    - इस परियोजना के लिए **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** नोडल मंत्रालय है।

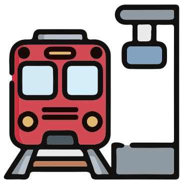 **एक स्टेशन एक उत्पाद (One Station One Product: OSOP) योजना**	**रेलवे मंत्रालय** • रेल मंत्रालय ने **भारतीय रेलवे के लिए OSOP योजना शुरू** की है। इसका उद्देश्य **'वोकल फॉर लोकल'** के विज़न को बढ़ावा देना है। साथ ही, **हाशिये पर रहने वाले वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित** करना है। • इस योजना के तहत **रेलवे स्टेशनों पर देशज/ स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए OSOP आउटलेट्स आवंटित** किए जाएंगे। ○ एकरूपता के लिए OSOP स्टॉल्स को **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान** ने डिजाइन किया है। • OSOPs **स्थान विशेष के लिए विशिष्ट हैं।** इनमें **स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार हथकरघा** आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली {National Generic Document Registration System (NGDRS)}
	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	• NGDRS एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेयर पहल के अंतर्गत देश भर के पंजीकरण विभागों के लिए विकसित के लिए एक जेनेरिक अनुप्रयोग है।
	• **उद्देश्य:**
	  ○ एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम करना।
	  ○ संपत्ति का मूल्यांकन, शुल्क की स्वचालित गणना सहित ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने को सक्षम करके नागरिकों का सशक्तिकरण करना।
	  ○ पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करना।
	• NGDRS, **राज्यों को राज्य की स्थितियों के अनुकूल** और आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है।

 गर्भ-इनी या गर्भिणी (Garbh-Ini) कार्यक्रम (जन्म के परिणामों पर उन्नत अनुसंधान के लिए अंतःविषय समूह- डी.बी.टी. भारत पहल)	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** • दक्षिण एशिया में पहली बार, गर्भ-इनी कार्यक्रम में शोध करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों ने उन **जेनेटिक मार्कर्स की पहचान की है, जो प्रीटर्म या प्रीमेच्योर जन्म से जुड़े हुए हैं।** ○ प्रीटर्म जन्म विश्व स्तर पर **नवजात शिशुओं की मृत्यु और जन्म संबंधी जटिलताओं का सबसे बड़ा कारण है।** इसे गर्भावस्था के **37 सप्ताह पूरे होने से पहले होने वाले जन्म** के रूप में परिभाषित किया गया है। • गर्भ-इनी भारत सरकार के **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** के अधीन शुरू की गई एक पहल है। इसे एक सहयोगी अंतःविषय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है।

	• इसका उद्देश्य **प्रीटर्म जन्म के जैविक और गैर-जैविक जोखिमों को स्पष्ट** करना है। इससे **महत्वपूर्ण ज्ञान-आधारित उपायों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण** किया जा सकेगा। इन उपायों व प्रौद्योगिकियों को इस समस्या के समाधान के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस और समुदाय में सतत तरीके से लागू किया जाएगा।

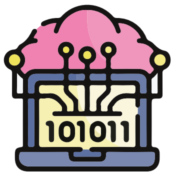
सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट (सुप्रीम/SUPREME)
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
	• सुप्रीम को **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च** किया है।
	• यह **अपनी तरह का पहला कार्यक्रम** है, जिसके तहत मौजूदा **विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (AIFs) की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत/ उन्नयन/ रखरखाव/ रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
	  ○ **वित्त-पोषण का प्रारूप: सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों को 75:25** के अनुपात में तथा राज्य वित्त-पोषित संस्थानों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।
	  ○ योजना के तहत **3 साल के लिए सहायता** दी जाएगी।
	• **विश्लेषणात्मक उपकरण** आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में **नमूना विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान करने हेतु महत्वपूर्ण हैं।**

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव/ VAIBHAV)	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
	• हाल ही में, केंद्र सरकार ने **वैभव फेलोशिप कार्यक्रम** की घोषणा की है।
	• **वैभव फैलोशिप कार्यक्रम के बारे में:**
	  ○ **उद्देश्य:** भारतीय STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) डायस्पोरा को सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जोड़ना।
	  ○ **पात्रता:** यह फैलोशिप भारतीय मूल (NRI/OCI/PIO) के ऐसे **उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों** को प्रदान की जाएगी, जो अपने **प्रवास देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न** हैं।
	  ○ **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)।

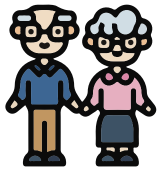
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तीकरण {Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY): Empowering the Elderly for a Dignified Life}
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
	• **पृष्ठभूमि: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने 2021 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में AVYAY को शुरू किया था। इसे पहले **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** के नाम से जाना जाता था।
	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक **ऐसे समाज का निर्माण करना** है, जहां वरिष्ठ नागरिक मजबूत सामाजिक और अंतर-पीढ़ीगत संबंधों के साथ **स्वस्थ, गरिमापूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।**
	• **AVYAY के घटक**
	  ○ **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):** इसके तहत वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों/निरंतर देखभाल गृहों को चलाने तथा उनका रखरखाव करने वाले **पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
	    » वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों में लगभग 1.5 लाख वृद्धजन रह रहे हैं।
	  ○ **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** इस घटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों को **सहायता एवं जीवन सहायक उपकरण** प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया जाता है, जिनकी आय 15000 रुपये प्रतिमाह से कम है।
	• **AVYAY के अन्य घटक**
	  ○ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय बढ़ाने तथा उनमें आत्म-सम्मान की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करने के लिए **आजीविका और कौशल पहलों** की शुरुआत की गई है। **इसमें दो कार्यक्रम शामिल हैं:**
	    » SACRED (सीनियर एब्ल सिटीजन्स फॉर री-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी/सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करना) पोर्टल तथा
	    » सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य समूह **(AGRASR समूह)।**
	  ○ बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी परियोजनाओं के लिए **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड** को उचित तरीके से आवंटित किया जा रहा है।
	  ○ बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान हेतु **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन** की शुरुआत की गई है।

India handmade
Gateway to Indian Heritage
इंडियाहैंडमेड पोर्टल (Indiahandmade portal)
	वस्त्र मंत्रालय
	• इस ई-कॉमर्स पोर्टल को **केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र** के लिए विकसित किया है।
	  ○ हथकरघा **हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया** है। इसके विपरीत, हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं।
	• इंडिया हैंडमेड पोर्टल **वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों अन्य साजो सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला** उपलब्ध करवाता है।
	  ○ यह पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और शिल्पियों को **भविष्य के ई-उद्यमी बनने** का अवसर प्रदान करेगा।
	• यह पोर्टल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा। साथ ही, 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद **सीधे उपभोक्ताओं** को उपलब्ध करवाएगा।

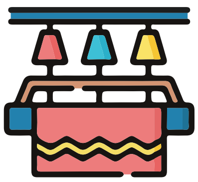
समर्थ योजना (Samarth Scheme)
	वस्त्र मंत्रालय
	• हाल ही में, इस योजना में विभिन्न नए कार्यान्वयन भागीदारों को शामिल किया गया है।
	• **समर्थ योजना की मुख्य विशेषताएं**
	  ○ **उत्पत्ति:** समर्थ योजना को वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना (SCBTS) के क्रम में लॉन्च किया गया था। इसका कार्यान्वयन 2017-18 से 2019-20 तक तीन साल की अवधि तक किया गया था।
	  ○ **योजना के उद्देश्य**
	    » हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रकों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में **मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम** उपलब्ध कराना।
	    » संगठित **वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में रोजगार सृजित करने** में उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाना। इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर किया जाना है।
	    » देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए **मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा आजीविका के संधारणीय प्रावधान** को सक्षम बनाना।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी: वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के संस्थान / संगठन,** वस्त्र क्षेत्रक में सक्रिय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान / NGOs / सोसायटी / ट्रस्ट/ संगठन / कंपनियां / स्टार्ट-अप्स / उद्यमी आदि।
	• **अवधि:** मार्च **2024 तक।**

पी.एम. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल (पी.एम. मित्र/PM MITRA) पार्क
	वस्त्र मंत्रालय
	• **महाराष्ट्र के अमरावती** में पी.एम. मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है।
	• पी.एम. मित्र पार्क का उद्देश्य **विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण** करना है। यह अवसंरचना **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित** करेगी। साथ ही, **वस्त्र क्षेत्रक के भीतर नवाचार और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित** करेगी।
	  ○ पी.एम. मित्र योजना **प्रधान मंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। '5F' फॉर्मूले में शामिल हैं**- फार्म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन।
	  ○ यह **संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रखकर लॉजिस्टिक लागत को कम** करती है।
	• पार्क को एक **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** विकसित करेगा। इसका स्वामित्व **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा।**

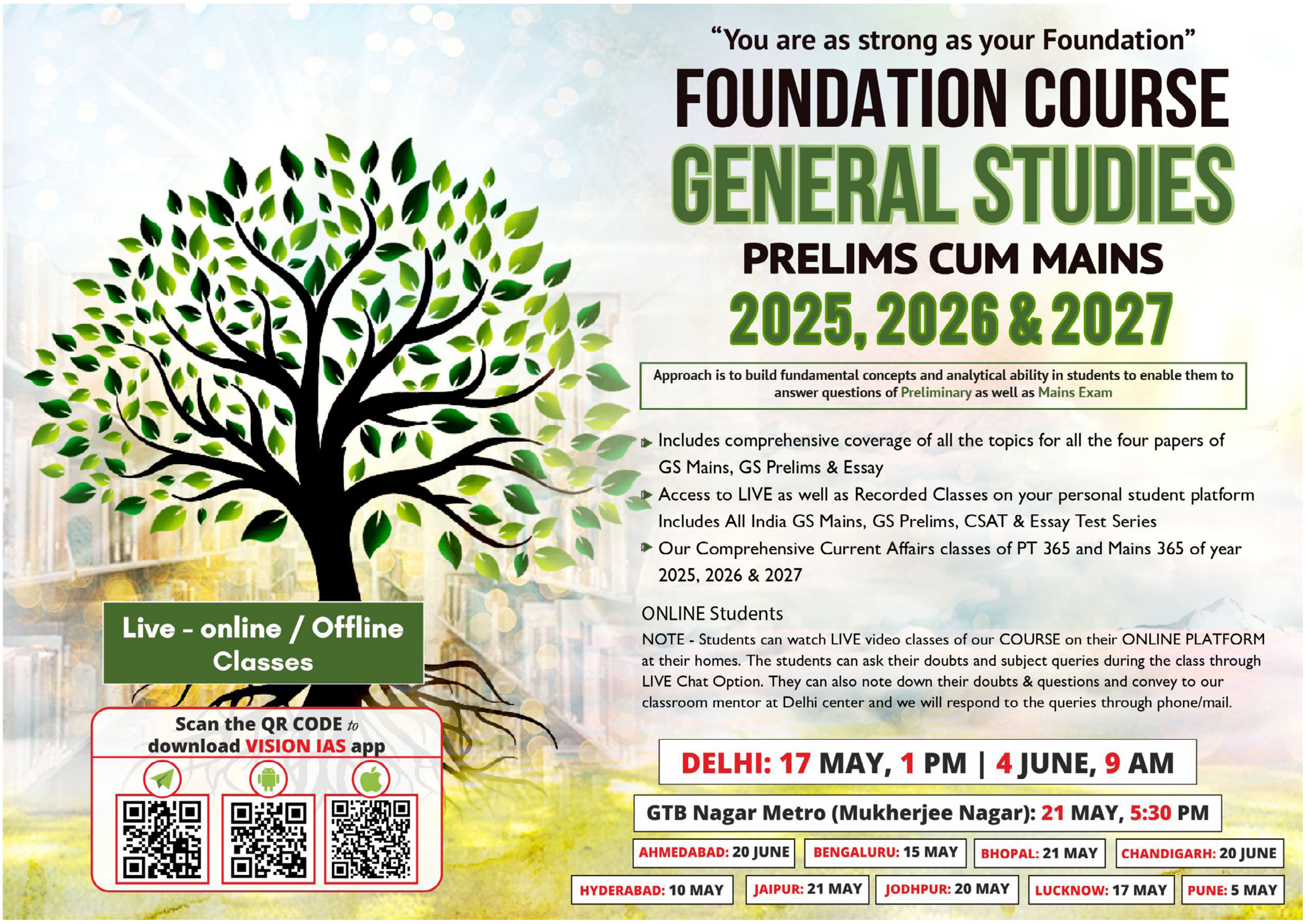

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
14 मई | 9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

39 Selections in **TOP 50** in **CSE 2022**

1 AIR
Ishita Kishore

2 AIR
Garima Lohia

3 AIR
Uma Harathi N

HEAD OFFICE (DELHI)
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

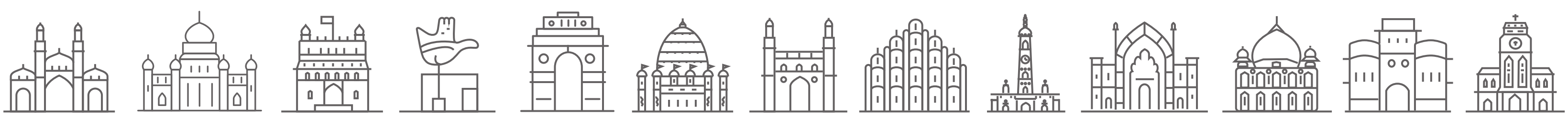

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची